# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक २ ] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का द्वितीय दिवस [ संख्या २



मंगलवार, ५ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

## तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

### विकास विभाग द्वारा बनेठा (त० उनियारा) में स्कूल के लिए २२००) रु०

२४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( १ ) क्या यह सही है कि बनेठा, तहसील उनियारा, डिस्ट्रिक्ट टोंक में स्कूल बनवाने के लिये डेवलपमेंट विभाग से २२००) रु० दिया गया था ?

( २ ) अगर हां, तो ग्रामवासियों से क्या उतनी ही रकम वसूल किये जाने पर यह रकम दी गई थी या पहले ?

( ३ ) क्या इसके मुतल्लिक कोई केस तहसील में चल रहा है ? अगर हाँ, तो वह केस क्या है और कब से चल रहा है ?

( ४ ) क्या यह सही है कि बनेठा ग्राम में पहले ही ठिकाने की इमारत मौजूद है ?

**उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :** (१) जी हाँ। सन् १९५५-५६ में २२५०) रु० लोकल डेवलपमेंट फन्ड से दिये गये थे।

( २ ) उपरोक्त रकम के खर्च हो जाने के बाद जनता ने अपनी ओर से २२६६) रु० श्रमदान के रूप में इस कार्य के लिये दिये।

( ३ ) यह सूचना तहसीलदार, उनियारा से मंगाई गई है, आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

( ४ ) जी हाँ।

**श्री सरदारसिंह :** जब आप कह रहे हैं कि तहसीलदार से सूचना मंगाई गई है तो फिर यह २२००) रु० स्कूल बनाने को दिये, यह कहां से सूचना आई ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** ये २२५०) रु० हैं २२००) रु० नहीं हैं।

**श्री सरदारसिंह :** डेवलपमेंट ब्लॉक का मैं भी एक सदस्य होने के नाते जानता हूँ। पहले जो चन्दा वसूल होता है वह तहसील में जमा हो जाता है और उसके बाद डेवलपमेंट विभाग से मंजूर होता है।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** रकम जमा हो, ऐसी बात नहीं है। श्रमदान से भी पूरा किया जा सकता है।

**श्री सरदारसिंह** : आप फरमाते हैं कि ऐसा कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मीटिंग में बहुत से आदमियों को इस ओब्जेक्शन के साथ रुपये नहीं दिये गये कि पहले रकम...

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह तो आप मुझे सूचना दे रहे हैं।

**श्री सरदारसिंह** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि छात्रों की संख्या क्या है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह अलग से प्रश्न है। लड़के कितने हैं यह आपने अपने प्रश्न में पूछा नहीं है।

**श्री सरदारसिंह** : क्या ठिकाने का स्कूल पहले से वहां मौजूद है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आपने पूछा है, ठिकाने का भवन है। यह धर्मादे का स्थान भी हो सकता है, कोई कोटड़ी भी हो सकती है। आपका जो सवाल है, उसको आप देखें।

**श्री सरदारसिंह** : यह तो कोमन सेन्स की बात है। इतनी कोमन सेन्स तो होनी ही चाहिये।

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : But common sense is the rarest sense.

**श्री सरदारसिंह** : प्रश्न यह है कि क्या वहां ठिकाने की इमारत मौजूद है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : इमारत का मतलब है, भवन। आपने स्कूल के लिये नहीं लिखा है।

**श्री सरदारसिंह** : क्या यह २२००) रु० स्कूल के लिये या ठिकाने ने इसको एज्युकेशन को सम्भलाया उसकी मरम्मत के लिये लगाये गये ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री सरदारसिंह** : क्या यह सही है कि २२००) रु० स्कूल में नहीं लगाये और १५००) रु० सरपंच के नौहरे के लिये दे दिये ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ऐसा नहीं है। २२५०) सरकार के लगे और श्रमदान या किसी के पेटे वहां के सरपंच ने अपना नौहरा दिया।

**श्री सरदारसिंह** : क्या इस सरपंच के खिलाफ तहसील में इस सम्बन्ध में कोई केस चल रहा है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह जानकारी अभी हमारे पास नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : अभी जानकारी नहीं है।

**श्री सरदारसिंह** : अध्यक्ष महोदय, हम बहुत पहले प्रश्न पूछते हैं। इतने समय से तो पाकिस्तान से जवाब आ जाता है; एक महीने पहले प्रश्न पूछा जाता है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**प्रन संख्या २५**

श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

**प्रश्न संख्या २६**

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

**सीकर, खेत[illegible] व उनियारा के जागीर कर्मचारि[illegible] के पेन्शन केसेज़**

**रावराजा श्री [illegible]रदारसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री [illegible]म्नलिखित प्रश्न का

( रावराजा श्री सरदारसिंह )

उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या सीकर, खेतड़ी व उनियारा के जागीरी कर्मचारियों के पेन्शन केसेज़ विचाराधीन थे ।

(ख) उनमें से कितने तय हो चुके हैं और अब कितने किन किन के बाकी हैं और उनके अब तक बाकी रहने के क्या कारण हैं ?

**राजस्व मंत्री** (दामोदरलाल व्यास) :

(क) जी हां ।

(ख) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है, आपको मिल गई होगी ।

**श्री सरदारसिंह** : सूचना मुझे अभी मिली नहीं । नोटिस ऑफिस में जाकर आया हूँ ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं पढ़ देता हूँ

| | तय हुए केसेज़ | बाकी रहे केसेज़ | मिनिस्ट्रयल स्टाफ़ | स्टाफ़ ४ श्रेणी | फेमिली पेंशनर्स |
|---|---|---|---|---|---|
| सीकर | २३६ | ११० | २४ | ७१ | १५ |
| खेतड़ी | ६८ | १४ | ८ | ६ | ० |
| उनियारा | ८८ | ५० | = | = | = |

इनके बाकी रहने के कारण निम्न प्रकार हैं :

(१) कुछ केसेज़ महालेखापाल के कार्यालय में भेजे गये हैं ।

(२) कुछ में जांच जारी है ।

(३) कुछ स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किये हुए हैं ।

(४) कुछ कर्मचारियों के पाकिस्तान चले जाने के कारण बाकी हैं ।

(५) कुछ केसेज़ ऐसे हैं जिनमें स्वीकृति तो हो चुकी है किन्तु कर्मचारियों का पता नहीं लग रहा है ।

(६) कुछ केसेज़ दुरूस्ती के लिये तत्सम्बन्धी कार्यालय (जागीर कार्यालय) में भेजे हैं ।

(७) कुछ आदमियों का देहान्त हो चुका है; आदि आदि अनेक कारणों के बाकी रह रहे हैं ।

**श्री सरदारसिंह** : उनियारा के कितने आदमी थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने आपसे अर्ज किया कि ८८ आदमी थे उनमें से ५० केसेज़ बाकी रहे हैं ।

**श्री सरदारसिंह** : उनियारा से में कितने आदमी पाकिस्तान चले गये ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने आपसे कहा कि ४००-५०० केसेज़ हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर केस की बात पूछते तो उसका उत्तर मैं आपको देता ।

**श्री सरदारसिंह** : उनियारा का सबसे पहले जागीर रिज़म्शन में श्री गणेश हुआ लेकिन अभी तक उनके पेन्शन के केसेज़ तय नहीं हुए हैं और लोगों को पेन्शन्स नहीं मिली हैं ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप खुद इस बात को मंजूर करेंगे कि इसमें हमारी क्या खामी है ?

**श्री सरदारसिंह** : इसमें किसकी कमी है ?

Page No.4



**श्री दामोदरलाल व्यास** : कायदे के माफिक हो रहा है और हो जायगा।

**श्री मदनसिंह** : कायदे के माफिक कोई मर भी जाए तो उसका क्या ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : तहकीकात हो रही है, मगर लोग खुद जांच नहीं करावें तो उसका हम क्या करें ? गलत पता दिया है, उसका हम क्या करें ? सरकार के यहां देरी हो रही हो, ऐसी बात नहीं है।

**श्री सरदारसिंह** : जिनकी जांच आदि सब हो चुकी है उनको भी अभी तक पेन्शन नहीं मिली है, उसका क्या कारण है ? दो-दो तीन-तीन साल हो गये हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप ऐसे केसेज़ मेरे नोटिस में लाते तो उसका उत्तर देता।

**श्री जगदीशप्रसाद** : यह क तक हो जायगा ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपको मैने कारण सुना दिये। कुछ केसेज़ महालेखापाल के दफ्तर में पड़े हैं, कुछ जागीर डिपार्टमेंट में वापिस भेज दिये गये हैं।

**श्री सरदारसिंह** : इनमें कितने मर चुके हैं, साहब ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

## बीकानेर जिला कोष से राजकीय परिवारों को मिलने वाला गुजारा व मुआवजा

२८. **श्री भीमसेन** (लूनकरसर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बीकानेर जिला कोष से प्रति वर्ष राजकीय परिवार एवं अन्यों को मुआवजा व गुजारा कुल कितना व किन शर्तों पर मिलता है ?

**मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : बीकानेर कोष से प्रतिवर्ष राजकीय परिवार एवं अन्य व्यक्तियों को मुआवजा व गुजारा के रूप में कुल रुपया ६१०७५ रु. ८४ नये पैसे निम्न लिखित शर्तें पर दिये जाते हैं :

गुजारा व धान-कपड़ा अलाउन्स पाने वाले मौजूदा व्यक्तियों को यह अलाउन्स सिर्फ उनके जीवन पर्यन्त ही दिया जाता है।

धान कपड़ा अलाउन्स प्राप्त करने वाला (क) यदि सरकारी नौकरी कर लेता है या (ख) कोई स्त्री दुबारा शादी कर लेती है अथवा (ग) कोई कंवारी लड़की शादी कर लेती है तो यह अलाउन्स बन्द कर दिया जाता है।

**श्री भीमसेन** : किन किन शर्तों पर यह दिया जाता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने आपको शर्तें बतला दीं। गुजारा व धान-कपड़ा अलाउन्स प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सिर्फ उनके जीवन पर्यन्त ही दिया जाता हैं। धान कपड़ा अलाउन्स प्राप्त करने वाला (१) यदि सरकारी नौकरी कर लेता है या कोई स्त्री दुबारा शादी कर लेती है या कोई कुंवारी लड़की शादी कर लेती है, तो यह अलाउन्स बन्द कर दिया जाता है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : यह किस फन्ड में से दिया जाता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह आप, बजट में स्टेटमेंट दिया है, उसमें से देख लें।

( श्री दामोदरलाल व्यास )

"Allowances to princes and their relations"

**श्री मदनसिंह** (दांता) : रिलेशन्स की क्या परिभाषा है ?

**प्रश्न संख्या २६**

**श्री अध्यक्ष :** श्री लक्ष्मीचंद ।

**( अनुपस्थित )**

## तहसील दूनी व उनियारा में छः छः गुना लगान वसूली

३०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या तहसील उनियारा और तहसील दूनी, डिस्ट्रिक्ट टोंक में छः छः गुना लगान वसूल किया जाता है ?

(ख) अगर हां, तो क्या इसके बाबत राजस्व विभाग से कोई आदेश दिये गये हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि पटवारी हल्का फी खाता २) रुपया वसूल करता है ? अगर हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** तो क्या माननीय मंत्रीजी इसकी तहकीकात करायेंगे कि अब भी छः गुना देते हैं, मैं चेलेन्ज करता हूं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास :** अगर आप कोई इन्डीविजुअल केस बतायेंगे तो मैं तहकीकात करने के लिए तैयार हूँ। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १८३ के तहत अगर कोई अन-ऑथोराइज्ड पज़ेशन किसी जमीन पर कर लेता है तो छः गुना लगान वसूल करने का नियम है। अगर किसी को इस कानून के तहत शिकायत है तो उसके लिए अपील करने का प्रोवीज़न भी है, अपील कर सकते हैं। किसी केस में यदि कोई लगान किसान से लिया गया है और वह छः गुना या उससे ज्यादा है तो मैं तहकीकात करूंगा।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** ठीक है, जो ऑर्डर निकला उसकी आड़ लेकर और दूसरे केसेज़ में उनयारा में छः गुना लिया जाता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उनियारा और दूनी की तहसील फोर्मर जयपुर की तहसीलें है और उनमें पहले भी यह नियम था कि कोई ट्रेस्पास करता था तो उससे ६ गुना लगान वसूल किया जाता था; इसलिए यह कोई नया कानून नहीं था।

**रावराजा श्री सरदारसिंह :** मैंने पटवारियों के लिए कहा उसके लिए आपने कोई जवाब नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : उसके लिए जवाब पहले दे दिया है।

## जागीरदारों को लोन दिये जाने का आधार

३१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जागीरदारान को कोई लोन दिया गया है ? अगर हां, तो किन किन को ?

# Page No.6



( श्री दामोदरलाल व्यास )

(ख) उपरोक्त लोन किस आधार पर दिया जाता है और इसे प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया निर्धारित है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जागीर रिज़म्प्शन एक्ट की तहत मुआवजा पेटे कोई रकम दी गई है ?

(घ) अगर हां, तो किन किन जागीरदारान को और कितनी कितनी और उसकी वसूली की क्या क्या शर्तें हैं ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां, (१) श्री भैरूसिंहजी, जागीरदार, मिन्डर, जिला उदयपुर (२) श्री वृजराजसिंह जी, जागीरदार, सावर, जिला अजमेर।

(ख) किसी विशेष परिस्थिति में लिखत लिखा कर मुआवजे की रकम में से अदा करने की शर्त पर दिया गया है।

(ग) जी नहीं, ये रकमें मुआवजे की मिलने वाली रकम में से अदा करने की शर्त पर सरकार के लोन-फन्ड से स्वीकार किया गया है।

(घ) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री पी० के० चौधरी** : एक एक को कितना रुपया दिया गया ? What is the amount ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I am sorry the amount is not with me.

**श्री मदनसिंह दांता** : यह क्यों दिया गया था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कर्जे के रूप में।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : यह जागीर रिज़म्प्शन एक्ट का कौन सा प्रोवीज़न है जिसके तहत यह कर्जा दिया गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह कोई नहीं है। जो लोन की सब-ग्रान्ट है उसमें से दे दिया है। कोई खास कारण होते हैं तो उनको कर्जा दे दिया जाता है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह**: क्या जिनको कर्जा दिया गया है उनका मुआवजा मन्जूर हो चुका था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी हां।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : उनको फर्स्ट, इन्स्टॉलमेंट, सेकिन्ड, इन्स्टॉलमेंट या थर्ड इन्स्टॉलमेंट मिल चुका था ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह अलग से प्रश्न है। मैं नहीं कह सकता कि मिल चुका था या नहीं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : तो फिर उनको यह कर्जा देने की नौबत कैसे आई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : उनको पैसे की जिज्युआइ आवश्यकता थी।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : क्या अब किसी को आवश्यकता है तो इस तरह का कर्जा मिल सकता है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी हां, जरूर मिल सकता है।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : क्या ये दोनों कांग्रेस के मेम्बर हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं नहीं जानता। मैं कांग्रेस के मेम्बरों की फेहरिश्त जेब में नहीं रखता।

Page No.7



**रावराजा श्री सरदारसिंह** : उन्होंने अपनी दरख्वास्त में क्या क्या जरूरतें जाहिर की थीं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : भैरोंसिंहजी, जागीरदार, भिन्डर, जिला उदयपुर को उनकी लड़की की शादी करनी थी और बृजराजसिंहजी जागीरदार, सवार, उनके ऊपर पुराने लिटीगेशन की वजह से कर्जा था और उन पर कुड़की हो गई थी; इसलिए यह कर्जा इन दोनों को दिया गया।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : बृजराजसिंह को कर्जा पुराने लिटीगेशन की वजह से दिया गया या उनके झगड़े चल रहे थे ?

( कोई उत्तर नहीं दिया गया )

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती सतवन्त कौर।

### गंग कैनाल कोलोनी में ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलें

३२. **श्रीमती सतवंत कौर** (करनपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) गंग कैनाल कोलोनी में ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा के लिए कितने प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल सरकार द्वारा खोले हुए हैं और उनमें कितनों के बोर्डिंग हाउस हैं ?

(ख) क्या सरकार पदमपुर और करणपुर में लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोलने तथा बोर्डिंग हाउस बनवाने का विचार रखती है ?

**उप शिक्षा मन्त्री ( श्री पूनमचन्द बिश्नोई )** : (क) ८ प्राथमिक शालायें, ७ माध्यमिक शालायें तथा १ हाई स्कूल खोले हुए हैं। इन विद्यालयों के साथ कोई भी छात्रावास नहीं है।

(ख) पदमपुर में कोई कन्या पाठशाला इस समय नहीं है। अतः यहां लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोलने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अगर लड़कों के प्राथमिक पाठशालाओं में कक्षा ५ में लड़कियों की पर्याप्त संख्या हो तो वहां माध्यमिक पाठशाला खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

करणपुर में कन्या माध्यमिक शाला को हाई स्कूल बनाने के प्रश्न पर यदि वहां की जनता हाई स्कूल के लिए उपयुक्त भवन देने का प्रबन्ध करने का आश्वासन दे तो अगले साल ऐसे ही अन्य स्कूलों के साथ विचार किया जा सकेगा।

जहां तक छात्रावासों का सवाल है जनता की ओर से इस विषय में कोई प्रस्ताव या प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है न ही किसी संरक्षक महानुभाव ने अपनी लड़कियों के लिए छात्रावास में रहने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है।

**श्रीमती सतवंत कौर** : यह कब तक बन जायगा और सरकार इस पर क्या कार्य कर रही है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : सरकार का विचार तो मैंने आपके सामने रख दिया और कब बन जायगा, इसका जवाब मैंने कोई साफ नहीं कहा है कि कब बन जायगा। अगर परिस्थिति होगी तो जैसा मैंने कहा, हो सकता है।

**ग्राम आकोड़ा, तहसील दूनी में आबाद गांधीग्राम में पड़त व काश्त योग्यभूमि का वतरण**

**३३. रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

( क ) क्या यह सही है कि ग्राम आकोड़ा, तहसील दूनी में कोई गांधीग्राम आबाद हुआ है ?

( ख ) अगर हां, तो कब और कितने रकबे पर, कितनी पड़त और कितनी काश्त योग्य भूमि है तथा उसमें से किन किन आसामियान को कोमवाइज् कितनी कितनी जमीन वितरित की गई ? उपरोक्त ग्राम में किस किस जाति के आसामियों के कितने कितने घर आबाद हैं ?

(ग) क्या उस ग्राम के उत्थान के लिए सरकार द्वारा कोई धन-राशि भी दी गई है ? अगर हां, तो कितनी और कब और उसके आय-व्यय का सुपरविज़न कौन करता है ?

**राजस्व मन्त्री** ( श्री दामोदरलाल व्यास ) : (क) जी हां।

(ख) संवत् २०१० में आबाद हुआ जिसका रकबा १८३६१३ है जिसमें १२०१।।)४ रकबा पड़त व ६३४।) ४ काश्त योग्य है। ६३४।)४ रकबा चमारों को ही वितरित किया गया है और उस ग्राम में केवल चमारों के ही ४४ घर आबाद हैं।

(ग) जी हां। (१६१५०) रुपये की धन-राशि सन् १६५४-५५ व १६५५-५६ में दी गई है। पहले उसकी आय–व्यय का सुपरविज़न श्री त्रिलोकचन्द कोठ्यारी करते थे और अब स्वामी श्री हरिश्चन्द्र जी करते हैं।

**डाक्टर चन्द्रकला** : यह त्रिलोकचन्द कोठ्यारी तो उसके कार्य कर्ता हैं। क्या इनको भी अधिकार दिया गया था कि वे उसकी आय-व्यय का सुपरविज़न करें ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी हां। वह सुपरविज़न आय-व्यय का करते थे।

**रावराजा सरदारसिंह** : यह जो जमीन दी गई थी यह एक ही कॉम्युनिटी को क्यों दी गई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अगर आपके ध्यान में कोई हो और जिसको नहीं मिल रही हो तो बतायें। आपके ध्यान में हो तो आप बतायें।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मेरे तो ध्यान में है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह सिर्फ एक ही कॉम्युनिटी को क्यों दी गई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह मैं अपने उत्तर में कहना भूल गया कि यह सारी जमीन रावराजा साहब ने ही दी थी।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : यह ग्राम किसी योजना के अनुसार बसाया गया ?

**श्री दामोदलाल व्यास** : जी हां।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : तो जो आपने ४४ घर बतायें हैं वहां उनके लिए पानी का क्या इन्तजाम है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कूए खोद रखे हैं और पास में ही एक नाला है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या वह नाला बाँध रखा है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि वह नाला बाँधा हुआ है।

प्रश्न संख्या ३४

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीचन्द ।

( अनुपस्थित )

### रेशनेलाइज़्ड व युनीफाइड पे स्केल के अनुसार राजस्थान में कर्मचारियों का फिक्सेशन

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : माननीय अध्यक्ष जी यह श्री लक्ष्मीचन्द जी का प्रश्न है यह बहुत ही महत्व का है और यदि माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहें तो अच्छा रहे । इसमें पुलिस और एजुकेशन के जो कर्मचारी हैं उनको रेशनेलाइज़्ड पे स्केल मिलता है या नहीं इसके बारे में हम जानना चाहते हैं ।

३४. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (श्री लक्ष्मीचन्द की अनुपस्थिति में) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या रेशनेलाइज़्ड व यूनिफाइड पे स्केल के माफिक राजस्थान में कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक होने की आशा है ।

**उप-वित्त मंत्री** (श्री रिखबचंद धारीवाल) : युनिफाइड पे स्केल में कर्मचारियों का फिक्सेशन प्राय: पूर्ण हो चुका है । सन् १९५६ में सारे विभागों के नॉन गजेटेड कर्मचारियों के लगभग ७०,००० केस थे जिसमें से सिर्फ २७०० केस शेष रहे हैं । अगले ३ मास के भीतर इन बचे हुए केसों के पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

रेशनेलाइज़्ड पे स्केल में फिक्सेशन का कार्य रेशनालाइज़ेशन रूल्स के अन्तर्गत विभागीय एकाउन्ट्स ऑफिसरों एवं ट्रेज़री ऑफिसरों को सौंपा गया है जिसके अनुसार प्रत्येक विभाग सम्बन्धित ऑफिसर से अपने केस सीधे पास करा लेता है और जिसके अनुसार अपनी तनख्वाह तथा पिछली बकाया खजाने से बरामद कर लेते हैं । फिक्सेशन पूर्ण नहीं हुआ है । जल्द पूर्ण कराने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : किस किस विभाग का हो गया है ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल**: मैंने आपको अभी निवेदन किया है न कि अलग अलग विभाग वाले जो अकाउट्स ऑफिसर और ट्रेज़री ऑफिसर हैं, उनके पास करा लेते हैं । किस किस विभाग में कितना कितना हुआ है, यह इनफॉर्मेशन अभी नहीं आ सकी है ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : पुलिस और एजुकेशन विभाग में ऐसा नहीं हुआ हैं ।

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : हो सकता है ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : इनको पूरा करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**श्री रिखबचन्द धारीवाल** : बहुत किये जा रहे हैं और यह जल्दी ही करा दिया जायगा ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : अध्यक्ष महोदय, अधिक कर्मचारी पुलिस और एजुकेशन विभाग में ही हैं और इनके सम्बन्ध में इधर जो फैसले हुए हैं, वे ठीक नहीं हुए हैं, इसके कारण कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही है । क्या मन्त्री महोदय कोई तारीख निश्चित करेंगे कि जल्दी से जल्दी इतनी तारीख तक इन केसों को निपटा दिया जायगा ?

# Page No.10



श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

## सिरोही जिले में बहुद्देशीय स्कूल का अभाव

३५. श्री मोहब्बतसिंह ( सिरोही ) : Will the Education Minister be pleased to state—

(1) Is the Government aware that there is no Multi-purpose School in Sirohi District ?

(2) Does the Government contemplate to raise the Government High School, Sheoganj, to a Multipurpose Higher Secondary School from the next session ?

उप शिक्षा मन्त्री ( श्री पूनमचन्द बिशनोई ) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

## चक १४ एम. एल. व रायसिंहनगर की खरीद शुदा भूमि

३६. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) चक १४, एम. एल. व रायसिंह नगर की कितनी खरीदशुदा भूमि में से एम. के. राजबाहा कब निकाला गया था ?

(ख) उस राजबाहा में किस किस की और कितनी भूमि आई ?

(ग) उपरोक्त भूमि के बदले में आज तक उन खरीददारों को कोई भी दूसरी भूमि न दिये जाने का क्या कारण है तथा सरकार उनको भविष्य में कबतक दूसरी भूमि देने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्रीदामोदरलाल व्यास) : (क) १६ बीघा २ बिस्वा जमीन में से सन् १९३७-३८ में निकाला गया था।

(ख) श्री सम्पूर्णसिंह आदि २ बीघा १२ बिस्वा

| | | |
|---|---|---|
| श्री जीपसिंह आदि | ३ बीघा | ७ बिस्वा |
| श्री पूर्णसिंह आदि | | १३ बिस्वा |
| श्री लालसिंह आदि | | ४ बिस्वा |
| श्री दलजीतसिंह | ५ बीघा | १६ बिस्वा |
| श्री सम्पूर्णसिंह आदि | ३ बीघा | १० बिस्वा |
| कुल | १६ बीघा | २ बिस्वा |

(ग) उपरोक्त खरीददारान में से ३ आसामियान को मुआवजा दिया जा चुका है। बाकी ३ आसामियान का रेकार्ड २० साल पुराना होने के कारण उपलब्ध नहीं हो रहा है। तलाश होने पर अगर मुआवजा दिया जाना पाया गया तो किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं रहेगी वर्ना जल्द कार्यवाही की जायगी।

## मिडिल स्कूल, कालन्द्री जिला सिरोही को हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाने की सरकारी योजना

३७. श्री मोहब्बतसिंह ( सिरोही ) : Will the Education Minister be pleased to state :

Does the Government contemplate to raise the Government Middle School, Kalandri, in Sirohi District to a Higher Secondary School ? If so, when ?

उप शिक्षा मन्त्री ( श्री पूनमचन्द विश्नोई ) : सिरोही जिले के राजकीय मिडिल स्कूल, कालन्द्री को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के प्रश्न पर अन्य मिडिल स्कूलों के साथ उनकी उपयुक्ततानुसार आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष विचार किया जावेगा।

# Page No.11



**श्री मोहब्बतसिंह** : क्या इस कालन्द्री गांव से कोई डेपुटेशन आया था और उस डेपुटेशन को शिक्षा सचिव ने आश्वासन दिया था कि भवन बना दिया जाय तो अगली साल हायर सेकेन्डरी में परिवर्तित कर देंगे ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : ऐसी बात हमारी जानकारी में नहीं है ।

**श्री मोहब्बतसिंह** : अगर भवन बना लिया जाय तो क्या आगामी वर्ष हायर सेकेन्डरी स्कूल बना दिया जायगा ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : पक्का तो मैं नहीं कह सकता, जितनी भी स्कूलें खोलनी होंगी उन सब को मेरिट्स के आधार पर तय किया जायगा ।

**श्री श्रीभानसिंह** : क्या आपके पास ऐसा प्लान नहीं है कि ५८-५९ में कहां कहां और कितनी कितनी स्कूलें खोली जायेंगी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : दूसरी पंचवर्षीय योजना में ५० हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने का प्लान था लेकिन दो साल में ही ४२ ४३ स्कूलें खोल दी गई हैं । शेष स्कूलें कहां कहां खोली जायेंगी, यह इस वक्त नहीं कहा जा सकता । वैसे मांग बहुत ज्यादा है और पैसे की बहुत कमी है ।

**श्री श्रीभानसिंह** : आपने भी तो किसी मेरिट के आधार पर डिसाइड किया होगा कि किस किस जगह स्कूलें खोली जायेंगी ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : वह तो हम कर चुके हैं ।

**श्री श्रीभानसिंह** : तो फिर माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था कि किस प्लान में कालिन्द्री में हायर सेकन्डरी स्कूल खोला जायगा, उस स्थान को इन्क्लूड किया या नहीं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : थर्ड ईयर के लिये पूछ रहे हैं ?

**श्री श्रीभानसिंह** : क्या आप स्पेसिफिकली यह बता सकते हैं कि यह स्कूल उसमें इन्क्लुडेड है या नहीं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैं इस बारे में तहकीक नहीं कह सकता, अभी तक कई ऐसी जगहें भी हैं जहां तहसील हैडक्वार्टर होते हुए भी हायर सेकन्डरी स्कूलें नहीं हैं, कई बेकवर्ड जिले हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है ।

**श्री श्रीभानसिंह** : क्या आप यह नहीं बता सकते कि कितनी स्कूलें खोलेंगे, सेकन्ड फाईव ईयर प्लान में ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : मैंने निवेदन कर दिया था, अपने प्रश्न के उत्तर में, कि पचास हायर सेकन्डरी स्कूलें खोलने की योजना थी । उसमें इन दो सालों में ४२-४३ स्कूलें खोल दी गई हैं । बाकी स्कूलें कहां कहां खोली जायेंगी, यह नहीं कहा जा सकता ।

**श्री श्रीभानसिंह** : Then where has the Government planned for the third year ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : For an expanding department, like Education, it is impossible to have a plan in black and white as to at what places we shall be having these schools. The only plan we have in our mind is that we are having ultimately one higher secondary school within an area

# Page No.12



( श्री पूनमचंद बिश्नोई )

of five miles, but when we shall be able to achieve that target, I cannot say at this stage.

**श्री श्रीभानसिंह :** So the Government must have decided that during the Second Five year plan it will open 3,000 secondary schools. Has the Government got a plan that during these five years, in the first year so many schools, in the second year so many schools and so on will be opened, and according to the plan has the Government distributed these secondary schools district-wise and tehsil-wise ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** As I submitted, the policy for the entire duration of the Five Year Plan was to open 50 Secondary schools. As a matter of fact even during the first two years only we have opened as many as 42 schools and only 7 or 8 schools remain to be opened now. But even this will not fulfil the needs of the people and we shall have to increase the number.

**श्री श्रीभानसिंह :** But according to the plan how did you come to the plan-less conclusion that during the first year or during the second year 42 schools should be opened ? Did the Government come to this conclusion according to the distribution of population ? If so, are the population figures not with the Government ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** They are with the Government and the Government has always considered them whenever we open a school. But the need is so much that we cannot actually meet it and we have to expand our programme time and again.

**श्री श्रीभानसिंह :** But can the Government not expand it during the Five Year Plan itself ?

**श्री अध्यक्ष :** There is a plan, he says, but it is a flexible plan.

**श्री मोहब्बतसिंह :** क्या सरकार यह महसूस करती है कि इलेवन्थ ऑवर पर डिसीजन लिया जाता है, इसलिये प्राथमिकता का सवाल ही पैदा नहीं होता ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** इलेवन्थ ऑवर पर कोई डिसीजन नहीं होता, हां, यह बात जरूर है कि सेक्रेटेरिएट से इलेवन्थ ऑवर पर डिसीजन हो सकता है, लेकिन जो प्रोपजल्स आदि हैं वे तो एज्युकेशन डिपार्टमेंट द्वारा काफी अर्से पहले चलने शुरू हो जाते हैं। बजट की सेंक्शन आते ही प्रापोजल्स शुरू हो जाते हैं।

**श्री मोहब्बतसिंह :** क्या आप निश्चित रूप से यह बताने की स्थिति में हैं कि यह मिडिल स्कूल कब तक हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित हो जायगा ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई :** मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। दूसरे अन्य केसेज भी आ सकते हैं। क्योंकि कई तहसील हैडक्वार्टर्स भी ऐसे हैं जहां स्कूलें नहीं हैं, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ही कहा जा सकता है।

# Page No.13



**श्री मोहब्बतसिंह** : और भी कहीं की डिमान्डस और क्लेम्स हैं क्या ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आपने प्रश्न में यह तो पूछा नहीं था, यदि आप अलग से प्रश्न करेंगे तो उत्तर दिया जा सकता है।

**रावल श्री मदनसिंह** : आपने निश्चित रूप से कोई काम भी किया है ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## तहसील सूरतगढ, जिला गंगानगर में रशियन फार्म क्षेत्र से हटाये गये लोगों को भूमि वितरण

३८. **श्रीमती सतवन्त कौर** (करनपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) तहसील सूरतगढ़, जिला गंगानगर में रशियन फार्म क्षेत्र से जिन लोगों को हटाया गया है उनमें से कितनों को भूमि वितरण कर दी गई है और कितनों को नहीं ?

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त भूमि के बदले में जो कि अधिक उपजाऊ है एक विशेष वर्ग के लोगों को घटिया भूमि दी गई है और अधिकतर लोगों को आज तक मकानों के लिये भी स्थान नहीं दिया गया है ?

(ग) क्या सरकार इसकी जांच कराने के लिये तैयार है ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सब को वितरण कर दी गई है। केवल ११७ बीघा के मौरूसीदारों की अनुपस्थिति के कारण अभी तक नहीं दी जा सकी है।

(ख) जी नहीं। अलबत्ता कुछ काश्तकारों को नाली की बजाय लाईट लूम व सेन्डी लूम उनकी इच्छानुसार दिया गया है। रकबा नाली की कीमत के बराबर लाइट लूम या सेन्डी लूम दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## सरकार द्वारा सिरोही में लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का विचार

३९. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state :

Does the Government contemplate to open a Higher Secondary School Girls' School at Sirohi from the next session ?

**उप शिक्षा मंत्री** (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): सिरोही में गर्ल्स हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने के प्रश्न पर जैसे अन्य स्कूलों के साथ उनकी उपयुक्तानुसार आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष विचार किया जावेगा।

**श्री मोहब्बतसिंह** : यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री जब सिरोही आये थे तो उन्होंने इस प्रकार का आश्वासन दिया था कि आगामी वर्ष से हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दिया जायगा ?

**श्री अध्यक्ष** : आश्वासनों में भी प्रायोरिटी होती है ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : आश्वासन दिया होगा किन्तु जहां तक मुझे मालूम है, तिथि निश्चित नहीं की थी। इसके अलावा यह भी ज्ञात है कि अगली साल तक तो वहां सातवीं क्लास तक था और इसी साल आठवीं क्लास हुई है, पहली दफा व मिडिल स्कूल बना है।

**श्री श्री भानसिंह** : According to the plan, how many girls' secondary schools will be opened in Rajasthan ?

( बिना उत्तर प्राप्त हुए ही )

**श्री मोहब्बतसिंह** : कितने ऐसे तहसील हैडक्वार्टर्स हैं जहां हायर सेकेंडरी स्कूल्स नहीं हैं ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : यह सूचना मेरे पास नहीं है, यह प्रश्न पृथक से पूछिये।

**श्री श्रीभानसिंह** : According to the plan how many girls schools do you intend to open in the next five years ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : There is no provision for opening girls schools; it goes with the general provision of opening so many higher secondary or middle schools.

**श्री श्रीभानसिंह** : Has the Government no plan for educating girls or women or ladies ?

**श्री पूनमचन्द बिश्नोई** : In the eyes of law, men and women are one !

( हँसी )

**श्री मोहब्बतसिंह** : क्या माननीय मंत्री यह महसूस नहीं करते हैं कि यह पिछड़ा हुआ प्रदेश है, यहां स्त्री-शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये ?

**श्री मदनसिंह** ( दांता ) : माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री ने मैन (men) और वीमैन (women) को एक कैसे कह दिया ?

**श्री अध्यक्ष** : उनके कहने का मतलब यह था कि स्कूलें खोलने का जहां तक ताल्लुक है उसमें लड़कों के लिये कितनी बनेंगी और लड़कियों के लिये कितनी, इस प्रकार की भिन्नता नहीं होगी।

**प्रश्न संख्या ४०**

**श्री अध्यक्ष** : **श्री लक्ष्मीचन्द**।

( अनुपस्थित )

## राजस्थान में भांग और गांजा की दुकान

४१. **श्रीतनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में सन् १९५०।५१ से अब तक प्रतिवर्ष भांग और गांजा की कितनी दुकानें थीं तथा सबसे अधिक किस डिविज़न में थीं ?

(२) उपरोक्त दुकानों में कुल कितनी भांग व गांजा बिका और उनकी पृथक् पृथक् क्या कीमत थी ?

(३) सबसे अधिक किस डिविज़न में भांग और गांजा बिका तथा वह कितना था ?

**उपमंत्री** (श्री सम्पतराम) : ( १ व २ ) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। सबसे अधिक दुकानें जयपुर डिविज़न में थीं।

(३) जयपुर डिविज़न में बिक्री का विवरण नीचे दिया जाता है।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

| सन् | भांग मन सेर छटांक |
|---|---|
| १९५०।५१ | २८६।११।३ |
| १९५१।५२ | ४६४।२८।७ |
| १९५२।५३ | ७७२।३८।१४ |
| १९५३।५४ | ८१८।३४।११ |
| १९५४।५५ | ८५१।८।१२ |
| १९५५।५६ | ८१४।६।२ |
| १९५६।५७ | ९०६।३७।६ |

अब गांजा........

# Page No.15



**श्री तनसिंह** : सब है मेरे पास।

**श्री अध्यक्ष** : यह जानकारी है उनके पास।

**श्री सम्पतराम** : That has already been submitted.

**श्री तनसिंह** : सन् ५१ से ५७ तक इन भांग और गांजे की दुकानें उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जा रही हैं, क्या माननीय मन्त्री जी इसका कारण बता सकेंगे ?

**श्री सम्पतराम** : ऐसी बात तो नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ रही हों, कहीं कम भी हुई हैं और कहीं एक दो बढ़ी भी हैं ?

**श्री तनसिंह** : ऐसा तो नहीं है इस जवाब पर से। सन् ५१ में ८६६ थीं, ५२-५३ में ६२३ हो गई, बाद में ६३६ हुई, ५४-५५ में ६४६ हुई, ५५-५६ में १०२६ हो गई और यह बढ़कर अगले साल ५६-५७ में १०३६ हो गई। एक साल में चाहे पांच दस घटी हों पर अगले ही साल वह बढ़ गई जैसे ५०-५१ में ८६६ थीं पर ५१-५२ में ८५० हो गई पर वही बढ़कर अगले साल ५२-५३ में ६२३ हो गईं और बाद में बराबर बढ़ती ही चली गईं। तो क्या यह सरकार की नशाबन्दी की नीति को क्रियान्वित करने का तरीका है ?

**श्री सम्पतराम** : यह ठीक है कि सरकार ने अबोलिशन की स्कीम मानी है, पर दुकानें बढ़ जाने का मतलब यह नहीं है कि कन्ज़म्पशन बढ़ गया। यह तो पब्लिक की सहूलियत के हिसाब से दुकानें बढ़ाई भी जाती हैं।

**श्री मदनसिंह** : क्या इस पर कोई प्रोहिबिशन है, पीने पर ?

**श्री सम्पतराम** : नहीं, अभी तो प्रोहिबिशन नहीं है।

**श्री तनसिंह** : आप बताते हैं कन्ज़म्पशन नहीं बढ़ा, पर कन्ज़म्पशन भी बढ़ा है। दुकानें और कन्ज़म्पशन दोनों ही बढ़ रहे हैं। अब पता नहीं आपने जो तालिका हमें दी उसे देखकर आप बता रहे हैं या और कहीं के आधार पर बता रहे हैं। हमें जो सूची आपने दी है उसके हिसाब से तो दोनों ही बढ़े हैं।

**श्री सम्पतराम** : यह ठीक है, पर यह ख्याल नहीं किया जाता कि पोपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है।

**श्री तनसिंह** : पोपुलेशन बढ़ती है तो यह उसके बढ़ने के साथ नशाबन्दी की नीति भी लागू होगी या नहीं, या यह भी आगे बढ़ती जावेगी ?

**श्री सम्पतराम** : कन्ट्री तो लिखकर बन्द करने का तय कर लिया है, पर मुश्किल से थोड़ी बाहर से मंगानी पड़ती है।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : पोपुलेशन बढ़ी तो वह पांच वर्ष की हुई होगी, वह पांच वर्ष की भी क्या अभी पीने लग गई ?

( उत्तर नहीं दिया गया )

**श्री तनसिंह** : सब से ज्यादा बिक्री जयपुर डिविज़न में हुई पर राजस्थान सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है उसके पेज ६० पर लिखा है कि उदयपुर में बढ़ी है। अब इन दोनों में कौन सी इन्फोरमेशन सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, राजस्थान सरकार की सही है या माननीय उपमन्त्री महोदय ने जो अभी रिपोर्ट दी वह सही है ?

**श्री सम्पतराम** : उस रिपोर्ट का तो मुझे ख्याल नहीं है पर मेरा जो जवाब है वह सही है।

# Page No.16



**श्री सरदारसिंह** : क्या मांग भी चुनाव में काम आती है ?

**श्री समृतराम** : हां, उणियारा में काम में आई है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है ।

( हंसी )

## राजस्थान निर्माण के बाद बीकानेर जिले में इन्डस्ट्रियल एवं कमर्शियल कन्सर्न्स को सहायता

४२. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) राजस्थान निर्माण के बाद से बीकानेर जिले में अब तक सरकार की ओर से कौन कौन सी इन्डस्ट्रियल एवं कमर्शियल कन्सर्न्स को किस रूप में सहायता दी गई है ?

(ब) बीकानेर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन से बड़े व छोटे उद्योग धन्धे सरकार की ओर से खोलने की योजना है ?

(स) क्या बीकानेर शहर के किसी फर्म की ओर से रियायती दर पर जमीन लेने एवं कच्चे माल का कोटा बढ़ाने की मांग की गई है ? अगर हां, तो अब तक सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

**उप उद्योग मन्त्री** ( श्री रिखबचन्द धारीवाल ) : (अ) राजस्थान बनने के बाद सरकार द्वारा बीकानेर जिले में इन्डस्ट्रियल एवं कमर्शियल कन्सर्न्स को सहायता दी गई उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है जो सदन की मेज पर रख दी गई है और मुझे इत्तला है कि आपको भी शायद उसकी कापी मिल गई है ।

(ब) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बीकानेर जिले में बड़े उद्योग सरकार की ओर से खोलने की कोई योजना नहीं है । इसके अतिरिक्त छोटे उद्योग प्राइवेट सैक्टर में खोलने के लिये रखे गये हैं । अतः सरकार द्वारा बीकानेर जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई छोटा धन्धा नहीं खोला जा रहा है ।

(स) हां, मूंदड़ा मैटल वर्क्स द्वारा रियायती दर पर जमीन दिलाये जाने की मांग की गई थी । जमीन रियायती दर अर्थात् दो आना प्रति वर्ग गज पर दिये जाने के लिये तारीख २४-७-५७ को राजकीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । मूंदड़ा मैटल वर्क्स द्वारा ही कच्चे माल वाला लोहे का कोटा बढ़ाने की मांग की गई थी । चूंकि कोटा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, इस सम्बन्ध में उनके पास सिफारिश की गई, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने निर्धारित कोटे में वृद्धि करने के लिये अपनी असमर्थता प्रकट की है ।

( कृपया परिशिष्ट–२ देखिये )

**श्री भीमसेन** : क्या सरकार को मालूम है कि यह कोटा बढ़ाने के बजाय कुछ कोटा घटा दिया गया है ?

**श्री रिखबचन्द** : कच्चे माल का जो कोटा राजस्थान सरकार को केन्द्रीय सरकार देती है । उसके [illegible] से उन्हें मिल रहा है । उस [illegible] कमी [illegible] जाती है अगर सरकार के पास में [illegible] का पूरा माल देने की व्यवस्था न हो । ऐसी अवस्था में जब तक कि हमारे यहां लोहे के कारखाने तैयार न हों तब तक कोटे का बढ़ाया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता ।

**श्री भीमसेन** : यह कोटा कौन देता है ?

**श्री ऋखबचन्द** : केन्द्रीय सरकार।

**श्री भीमसेन** : क्या सरकार को यह मालूम है कि कच्चे माल के कोटे को घटाने की वजह से यह कारखाना बन्द होने की स्थिति में है?

**श्री रिखबचन्द** : ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है। उन्होंने तो केवल यह मांग की थी कि उनको ज्यादा मिलना चाहिये। हरएक कारखाना आज कल यही मांग कर रहा है, सारे देश में ही यह मांग बढ़ रही है।

**प्रश्न संख्या ४३**

**श्री अध्यक्ष** : श्री लक्ष्मीचन्द।

( अनुपस्थित )

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमसेन।

## राजस्थान सचिवालय में मई से जुलाई १९५७ में पानी, बिजली व खस के टाटों आदि का खर्चा

४४. **श्री भीमसेन** ( लूनकरणसर ) क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान सचिवालय में माह मई, जून, एवं जुलाई, १९५७ में पानी, बिजली एवं खस के टाटों आदि की मदों में अलग अलग कितना खर्चा किया गया है?

**मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में राजस्व मंत्री** ( श्री दामोदरलाल व्यास ) :

| | बिजली खर्च रु० | नये पैसे |
|---|---|---|
| माह मई, १९५७ | ४८९१ | ०० |
| माह जून, १९५७ | २५५५ | ३० |
| माह जुलाई, १९५७ | ३८०० | ८७ |
| | ११२४७ | १७ |
| खस के टट्टों की छिड़काई | १२६४ | ५० |
| खस के टट्टों की कीमत व बनवाई व अन्य सामान | ११३०२ | २१ |
| योग | २३८१३ | ८८ |

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : यह खस की टट्टियों का खर्च सालाना ही लगता है या एक बार लग गया, वही अगले साल काम में आती रहती हैं?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इस साल बनवाई थीं। आयन्दा साल की नहीं कह सकता।

**डॉ० चन्द्रकला** : यह खर्चा मई में ज्यादा है और दूसरे महीनों में कम तो क्या दूसरे महीनों में गरमी कम पड़ी?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी हाँ। शुरू मे फरवरी–मार्च में १९७४.३७ न० पै० और अप्रैल–मई में २५९८.५० न. पै., इस तरह से ४५७२.८७ न. पै. दोनों महीनों के मिलाकर हैं।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : पहले की टट्टियां मौजूद थीं या नहीं?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : ऐसी कोई टट्टियां नहीं थीं।

**श्री मदनसिंह** : क्या माननीय मंन्त्रीजी को यह मालूम है कि इन दिनों में बाहर से जो मुकदमे वाले आते थे, उनमें से बहुतों को इनसे नमूनिया हो गया था?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जी नहीं। इससे नमूनिया नहीं होता।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : क्या पहले के मिनिस्टरों को गरमी नहीं लगती थी, आज के मिनिस्टरों को ज्यादा लगती है?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : पहले समय सचिवालय का प्रात: का था। अब दोपहर का हो गया है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं सवेरे का था तो कहीं दोपहर का भी था।

# Page No.18



**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं तो सचिवालय की बात कह रहा हूं।

**डॉ० चन्द्रकला** : तो क्या यह गरमी सचिवालय में ही पड़ती है? यह सुविधा सबको मिलनी चाहिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : सबको सुविधा बजट के माफिक मिलती है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री तनसिंह।

## राजस्थान के सर्किट हाउस, उनका वार्षिक आय व्यय और बकाया

४५. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कुल कितने सर्किट हाउस हैं तथा उनका मेन्टीनेन्स का सालाना क्या खर्चा है?

(२) सर्किट हाउस प्रयोग में लाने के निमित्त सरकारी अफसरों, मन्त्रियों तथा उप मंत्रियों में सरकार का कितना रुपया बकाया है?

(३) उपरोक्त राशि में से कितना रुपया तीन अथवा अधिक साल से बकाया है?

(४) जिनके नाम ३००) रुपया या उससे अधिक बकाया है उनके कृपया नाम और पद भी बतावें?

**मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में राजस्व-मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास)** : (१) राजस्थान में ९ सर्किट हाउस हैं। उनका वार्षिक खर्चा इस प्रकार है :

| | | |
|---|---|---|
| (१) | राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर | २,४६,०००) |
| (२) | सर्किट हाउस जोधपुर | ४२,०००) |
| (३) | ,, उदयपुर | ४३,०००) |
| (४) | ,, बीकानेर | ३०,०००) |
| (५) | ,, कोटा | २२,०००) |
| (६) | ,, बूंदी | १०,०००) |
| (७) | ,, अलवर | २८,०००) |
| (८) | ,, अजमेर | २३,०००) |
| (९) | बीकानेर हाउस, नई दिल्ली | २७,०००) |

(२) रुपया इस प्रकार बकाया है :

| | | |
|---|---|---|
| (१) | राजस्थान होटल, जयपुर | १६,०००) |
| (२) | सर्किट हाउस, जोधपुर | ७००) |
| (३) | ,, उदयपुर | ७,०००) |
| (४) | ,, बीकानेर | १,१००) |
| (५) | ,, कोटा | १३०) |
| (६) | ,, बूंदी | १४०) |
| (७) | ,, अलवर | |
| (८) | ,, अजमेर | ५००) |
| (९) | बीकानेर हाउस, नई दिल्ली | ८,०००) |

(३) यह सूचना इस प्रकार है:

| | | |
|---|---|---|
| (१) | राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर | १४,०००) |
| (२) | सर्किट हाउस, जोधपुर | ६००) |
| (३) | ,, उदयपुर | २,०००) |
| (४) | ,, बीकानेर | १८,०००) |
| (५) | ,, कोटा | १००) |
| (६) | ,, बूंदी | १५०) |
| (७) | ,, अलवर | |
| (८) | ,, अजमेर | |
| (९) | बीकानेर हाउस, नई दिल्ली | ८,०००) |

(४) यह सूचना एकत्रित की जा रही है, आने पर सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायगी।

**श्री तनसिंह** : यह वसूली क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : वसूली की कार्यवाही की जा रही है और अब और भी ज्यादा तेज की जा रही है।

**श्री पी० के० चौधरी** : अब तक कितना पैसा रिअलाइज़ हुआ?

Page No.19



**श्री दामोदरलाल व्यास** : That is a different qnestion altogethor.

**श्री पी. के. चौधरी** : इसमें आता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** That figure is not available,

**श्री पी. के. चौधरी** : आपने सर्किट हाउसों का खर्चा बताया, हम उनकी आमदनी भी जानना चाहते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : No 1 Total budget of the Circuit Houses; No. 2. Arrears.

**श्री पी. के. चौधरी** : मेरा सवाल यह है कि मैं इनकी आमदनी को जानना चाहता हूँ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It is a different question. You can give notice for that.

**श्री पी. के. चौधरी** : बजट होना चाहिये।

**श्री तनसिंह** : मैन्टीनेन्स का इतना ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है तो उसको कम करने की क्या व्यवस्था है जिससे कि आमदनी से ज्यादा खर्चा न हो ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : कहां बढ़ रहा है ?

**श्री तनसिंह** : यह खर्चा आमदनी से अधिक बढ़ रहा है या उससे कम हो रहा है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपने आमदनी के फीगर्स मांगे नहीं हैं और मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं इस समय आमदनी के फीगर्स भी आपको बता सकूं।

**श्री अनोपसिंह** : बड़े बड़े मिनिस्टर्स जाते हैं........

**श्री श्रीभानसिंह** : Is the Government running these circuit houses on a commercial basis ?

( घंटी )

**श्री अध्यक्ष** : श्री अनोपसिंह।

**श्री अनोपसिंह** : बड़े बड़े आदमी, मिनिस्टर्स वहां जाते हैं तो फिर उनका बकाया क्यों रहता है ? गरीब आदमी तो जाते नहीं और उनका बकाया भी नहीं रहता।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मिनिस्टर्स का तो बहुत कम होगा, बाकी में है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मिनिस्टर्स में से किन किन का बाकी है ?

**श्री अध्यक्ष** : डिटेल्स कब आ जावेंगे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : नाम, पता क्या है आदि; That information could not be collected and as soon as it is collected I will put on tne Table of the House.

**ठा॰ मदनसिंह** (दांता) : एक दो की इन्फोर्मेशन बता दीजिये।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : नाम बताने में क्या एतराज है ?

**श्री श्रीभानसिंह** : Is the Government running these Circuit Houses on a commercial basis ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : रूल्स है, It is not necessary to run the Circuit Houses on a profit basis.

**श्री अध्यक्ष** : फिगर्स ऑफ इन्कम हैं ?

श्री श्रीमानसिंह : Is the Government urnning the Jaipur Circuit house on a "no profit on loss" basis ?

श्री अध्यक्ष : Figures about income have not been asked and he has already said that.

श्री दामोदरलाल व्यास : Some circuit houses have got to be maintained, though at a loss.

श्री श्रीमानसिंह : They are run on a commercial basis and not on philanthropy basis.

श्री तनसिंह : मैंने १०-१०-५७ को नोटिस दिया था और उसका उत्तर ५-११-५७ को मिला है, करीब एक महीने के बाद तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि फीगर्स क्यों नहीं मिले ? तो फिर नेक्स्ट टर्न पर बता दें। आप कुछ तो कमिट करें ताकि मुझे दूसरा प्रश्न नहीं पूछना पड़े ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that in answer to part (4) of the question that information is being collected and as soon as it is received it will be placed on the Table of the House.

श्री अध्यक्ष : You mention date regarding part (4) of the question.

श्री दामोदरलाल व्यास : Within a fortnight,

श्री अध्यक्ष : Next

**भूतपूर्व मंत्री श्री कुम्भाराम के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन के रजिस्टर की पूर्तियों में अनियमितता**

४६. श्री तनसिंह (बाड़मेर) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्री श्री कुम्भाराम के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन के लिये रखे गये रजिस्टर में नियमानुसार पूर्तियां नहीं की गई थीं ?

(ख) क्या यह सही है कि टेलीफोन सन्देश भेजने के कारण वाले कालम नहीं भरे गये हैं ?

(ग) उपरोक्त मंत्री के निजी कार्य के लिये भेजे गये टेलीफोन सन्देशों के व्यय की वसूली के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

**मुख्य मंत्री राजस्व मंत्री की ओर से**
( श्री दामोदरलाल व्यास ) :

(क) जिन कॉल्स को ट्रन्क कॉल रजिस्टरों में दर्ज किया गया है उनकी पूर्तियां नियमानुसार की गई हैं। किन्तु कुछ कॉल्स को ऐसे इन्हीं रजिस्टरों में दर्ज ही नहीं किया गया है।

(ख) यह सही नहीं है। ट्रन्क कॉल के रजिस्टर में टेलिफोन सन्देश भेजने के कारण के कॉलम भरे गये हैं।

(ग) मंत्री महोदय से पत्र-व्यवहार करने पर ११३६ रु० ७ आने निजी कार्य के लिये भेजे गये। टेलीफोन सन्देशों के व्यय की प्राप्ति के लिये किश्तों में दिये जाने का आश्वासन प्राप्त हो चुका है।

रावराजा सरदारसिंह : क्या उनकी स्थिति ऐसी है कि वे किश्तों में ही चुका सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, ऐसी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : और भी कुछ एरियर्स हैं जिनको वसूल नहीं किया गया है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने अर्ज कर दिया है, I have already given a reply.

**श्री चौधरी** : Besides telephone whether petrol charges, etc. are also outstanding ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : It is not to my knowledge.

**श्री रावराजा सरदारसिंह** : उनकी स्थिति ऐसी कब से हुई ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसलिए न कि वे जागीरदार हैं और न उनको मुआवजा मिला है।

**श्री रावराजा सरदारसिंह** : मिनिस्टर [illegible] थे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : यह तो [illegible] भी जानते हैं।

**ठा० मदन सिंह** (दांता) : किस जागीरदार [illegible] ऐसा ले लिया है....

(घंटी)

**श्री अध्यक्ष** : श्री भीमसेन।

## [illegible]नगर जिले में जागीरदारों को काश्त के लिए भूमि

४७. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या [illegible] मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की [illegible]रेंगे :

(अ) गंगानगर जिले में किन किन जागीरदार [illegible] छुटभाइयों को कितनी कितनी जमीन [illegible] काश्त के लिए दी गई है एवं जमीन [illegible] क्या आधार है ?

(ब) क्या ऐसे भी जागीरदारों को गंगा[illegible] में जमीन दी गई है जिनके पास अपनी जागीर एरिया में खुदकाश्त की जमीन है ?

**राजस्व मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : (अ) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के अनुसार भूमि प्रदान की जाती है।

(ब) जी नहीं।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**श्री भीमसेन** : क्या बीकानेर के सरासर के जागीरदार को भूमि दी गई है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जिनको दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। बाकी की जानकारी मुझे नहीं है, अगर बतायेंगे तो जानकारी कर लूंगा।

**श्री अध्यक्ष** ; नेक्स्ट।

## सरकार को प्रतिवर्ष निष्क्रमणार्थ सम्पत्ति से आमदनी

४८. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या पुनर्स्थापन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार को अब तक प्रतिवर्ष निष्क्रमणार्थ सम्पत्ति से कितनी आमदनी हुई ?

(२) ऐसी कितनी राशि है जो अब तक देय हो चुकी है, किन्तु वसूल नहीं हुई ?

**पुनर्स्थापन मंत्री** (श्री दामोदरलाल व्यास) : कस्टोडियन विभाग का प्रशासनिक नियन्त्रण १ जून से राजस्थान सरकार से केंद्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। अतः इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी।

**श्री तनसिंह** : क्या ऐसी रकम राजस्थान सरकार भारत सरकार से नहीं मांग रही है कि

( श्री तनसिंह )

जो यहाँ के रिफ्युजीज् को लोन के तौर पर दी गई है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : राजस्थान सरकार से मांगने का क्या सवाल है ? राजस्थान सरकार की एजेंसी वसूली के काम में ली जा सकती है ।

**श्री तनसिंह** : वसूली की एजेन्सी जब राजस्थान सरकार के पास है तो क्या राजस्थान सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि वह वसूल करे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : क्यों नहीं ? इन्कार किसने किया ?

**श्री तनसिंह** : उत्तरदायित्व है तो फिर वसूल क्यों नहीं किया ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आपने पूछा है कि सरकार को अब तक प्रतिवर्ष निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति से कितनी आमदनी हुई, इसलिए इसमें कर्जे का सवाल नहीं है । प्रश्न में तो इवेक्युई प्रोपर्टी के लिए पूछ रहे हैं और सप्लीमेंटरी कर रहे हैं, कर्जे पर ।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

### सरकार द्वारा अशक्त व वृद्ध विस्थापितों के लिये मुफ्त निवास की व्यवस्था

४६. **श्री तनसिंह** ( बाड़मेर ) : क्या मन्त्री पुनर्स्थापन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार द्वारा अब तक कितने अशक्त और वृद्ध विस्थापितों के लिये मुफ्त निवास की स्थाई व्यवस्था कहां २ की गई है ?

(२) उपरोक्त व्यवस्था पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ है ?

**पुनर्स्थापन मन्त्री ( श्री दामोदरलाल व्यास)** : (१) सन् ५०-५१ से अब तक वृद्ध एवं अशक्त विस्थापितों के लिए मुफ्त निवास की व्यवस्था, Disabled persons Home (Infirmary) Jaipur तथा Disabled Displaced persons Home Goverdhan villas, Udaipur में की गई; उनका व्यौरा इस प्रकार है :

| | | | |
|---|---|---|---|
| जयपुर : | सितम्बर | ५१–५२ | ५०० |
| | | ५२–५३ | ४७४ |
| | | ५३–५४ | ४६१ |
| | | ५४–५५ | ३३३ |
| | | ५५–५६ | २६५ |
| | | ५६–५७ | ३८३ |
| | सितम्बर | ५७ | ३५६ |
| उदयपुर | सितम्बर | ५०–५१ | ४४[illegible] |
| | | ५१–५२ | ३[illegible] |
| | | ५२–५३ | २[illegible] |
| | | ५३–५४ | २[illegible] |
| | | ५४–५५ | २[illegible] |
| | | ५५–५६ | २[illegible] |
| | | ५६–५७ | १[illegible] |
| | | ५७ | [illegible] |

(२) उपरोक्त व्यवस्था पर कुल [illegible] किया गया उस रुपये का व्यौरा संलग्न है ।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिये )

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट श्री भीमसेन ।

### जैसलमेर के कुछ गांवों का बीकानेर जिले में स्थानान्तरण

५०. **श्री भीमसेन** ( लूनकरनसर ) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर [illegible] कृपा करेंगे :

(अ) जैसलमेर जिले के कित[illegible] कौनसी तिथि से बीकानेर जिले में [illegible] किये गये तथा उनसे अब तक राज्य को किस रूप में कितनी आय हुई ?

(श्री भीमसेन)

(ब) उपरोक्त गांवों को कितने पटवार हल्कों में बांटा गया है ?

(स) क्या यह सही है कि स्थानीय अधिकारियों के लिखने के बावजूद भी अभी तक पटवारी तैनात नहीं किये गये हैं ?

**राजस्व मन्त्री** (श्री दामोदरलाल व्यास): (अ) ३२ गांव दिनांक १७-६-५४ को व ८ गांव दिनांक १८-७-५४ को ट्रान्स्फर हुए और उनका विधिवत् चार्ज दिनांक ६-११-५४ को लिया गया। खालसा के गांवों से १४१० रु० व पट्टे के गांवों से १०६ रु० की आय हुई।

(ब) इन गांवों का कार्य मुलहका हल्कों के पटवारियों के सुपुर्द कर दिया गया है।

(स) कुछ पटवारी बढ़ाने की मांग जरूर आई है जो विचाराधीन है।

**श्री भीमसेन** : यह मांग कब तक पूरी हो जावेगी ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जल्दी ही।

**श्री भीमसेन:** जल्दी से क्या मतलब है?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जल्दी से मतलब यह है कि पटवार हल्के के लिए खसरा नम्बर डिस्ट्रिक्ट में दुबारा बना कर रेगुलेट कर रहे हैं, वे जल्दी ही करेंगे और यह कोशिश की जावेगी कि पटवारी बढ़ा दिये जायें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री तनसिंह।

**सन् १६५० से अब तक राज्य में अफीम की बिक्री की दुकानें**

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५०-५१ से अब तक राज्य में प्रतिवर्ष कितनी दुकानें अफीम की बिक्री के लिये थीं ?

(२) उपरोक्त दुकानों में कुल कितना अफीम प्रतिवर्ष बेचा गया तथा उससे सरकार को क्या आमदनी हुई ?

(३) सबसे अधिक अफीम किस डिविज़न में बिकी ?

**उप मन्त्री** (श्री सम्पतराम) : (१) व (२) की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जोधपुर डिविज़न में।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

**श्री तनसिंह** : क्या माननीय मन्त्रीजी इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि नशाबन्दी की नीति को कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखते हुए भी जो दुकानों की संख्या में परिवर्तन हुआ है वह उस अनुपात में नहीं है और साथ ही साथ अफीम की जो मात्रा है वह भी कम नहीं हुई है।

**श्री सम्पतराम** : मात्रा तो कम हुई है और दुकानें भी कम हुई हैं। यह आप कह सकते हैं कि जितनी कम होनी चाहिए थीं उतनी नहीं हुई हैं।

**श्री तनसिंह** : इस साल २० दुकानें बढ़ाने का क्या कारण है ?

**श्री श्रीमानसिंह** : So that it may hastily be consumed.

**श्री सम्पतराम** : कन्जम्पशन जरूर कम हुआ है।

**श्री सम्पतराज** (अकलेरा) : राजस्थान सरकार भारत सरकार से किस भाव पर अफीम खरीदती है ?

**श्री सम्पतराम** : यहां इसका सवाल नहीं है।

**श्री सम्पतराज (इकलेरा)** : जहां आमदनी का सवाल आता है तो खरीदने का भी सवाल बताइये।

**श्री सम्पतराम** : कौन से साल का पूछ रहे हैं ?

**श्री सम्पतराज** : ५१–५२ का।

**श्री सम्पतराम** : ७० रु० कोस्ट प्राइस है और २५०) रु० प्रति सेर से हम खरीदते है और ३३०) रु० प्रति सेर से इशू करते हैं और ३०) रु० पर सेर का मार्जिनल प्रोफिट देते हैं। इसके मायने यह हुए कि ३६०) रु० प्रति सेर के हिसाब से उसके बेचने की व्यवस्था की गई है।

**श्री मदनसिंह दांता** : माननीय मन्त्री महोदय इस चीज का जवाब नहीं दे सके हैं कि कन्जम्पशन घटा है और दूकानें बढ़ी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इसका प्रचार कर रही है गवर्नमेंट।

**श्री सम्पतराम** : दुकानें बढ़ाने का विचार तो पब्लिक की कन्वीनियेन्स के ख्याल से भी किया जा सकता है। कन्जम्पशन में कमी करने के लिए कोटे में कमी की जाती है।

**श्री मदनसिंह दांता** : तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रचार हो रहा है।

**श्री सम्पतराम** : नहीं, हम कन्जम्पशन में कमी कर रहे हैं।

**श्री मदनसिंह दांता** : ऐसा नहीं है तो गवर्नमेंट का ऐसा प्रबन्ध है क्या अफीम बन्द कराने का ?

**श्री सम्पतराम** : प्रयत्न अवश्य करती है गवर्नमेंट, फिर भी लोग नहीं मानते हैं।

**श्री मदनसिंह दांता** : कौन सा ऐसा कानून है ? आपने कौन सा ऐसा कानून बनाया है ?

**श्री सम्पतराम** : हम तो अपना मोरल पर्सिस्टेन्स डालते हैं और कोटा Year to Year रिड्यूस करते हैं।

**श्री मदनसिंह दांता** : दुकानें ज्यादा से ज्यादा खोली जाती हैं !

**श्री सम्पतराम** : दूकानों का सवाल कन्जम्पशन से इतना रिलेटेड नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अर्जनदास।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

## सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

**श्री अध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री माधोसिंह, विभाजन संख्या ८८, ने दिनांक ४ नवम्बर से २५ नवम्बर १९५७ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(विराम)

इसी प्रकार श्रीमती गौरी पूनिया, वि० सं० ४५, ने ४ व ५ नवम्बर, १९५७, श्री भैरोसिंह

( श्री अध्यक्ष )

खेजड़ला, वि० सं० १५, ने ४ नवम्बर से ७ नवम्बर तक, श्री आनन्दसिंह कछवाहा, वि० स० ५, ४ नवम्बर से ६ नवम्बर तक, श्री परसराम, वि० सं० ११६, ने ४ नवम्बर से ६ नवम्बर तक, श्री जनार्दनराय नागर, वि० सं० ६८, ने ४ नवम्बर से ८ नवम्बर तक, सभा की बैटकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा मांगी है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

अनुमति प्रदान दी गई।

१२. ५ म० प०

**तहसीलदार भरतपुर द्वारा चपरासी को पीटने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव**

**श्री अध्यक्ष** : एक स्थगन प्रस्ताव है जो श्री श्रीमानसिंह, वि० सं० १६२, ने पेश किया है जो इस प्रकार हैं :

"That this House do now adjourn to discuss the serious situation created by the strike of IV class servants on the 2nd October, 1957 in Bharatpur district in protest against the beating of a IV class servant of Tehsil Bharatpur by the Tehsildar."

यह प्रश्न कुछ समय पहले का है और ऐसी विशेषता का नहीं है कि सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाय। अतएव इसे प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है।

१२. ७ म० प०

**राजस्थान लेन्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स (छठवां संशोधन) विधेयक, १९५७**

( पूर्व क्रम से—पारित )

**श्री अध्यक्ष** : राजस्थान लेएड रिफॉर्म्स एएड रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स ( सिक्स्थ एमेंडमेंट ) बिल, १९५७ के बारे में कल प्रस्ताव हुआ था कि इसको पारित किया जाय, अब उसके बारे में बहस होगी।

**श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : जिस विधेयक को हमारे सामने रखने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, उसके विषय में काफी बहस हो चुकी थी, लेकिन उस बहस के बावजूद, उस पर दी गई दलीलों के बावजूद, माननीय मन्त्री महोदय, संबंधित मंत्री महोदय, ने इस विषय में जैसा कि पहले ही बतलाया था कि कन्विन्स नहीं हो सकेंगे, नहीं हुए। इसलिए उन्होंने जितना जल्दी चाहा उतने जल्दी पास करने की कोशिश की। मैं आज भी उनसे यही निवेदन करूंगा कि लेन्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्पशन ऑफ जागीर एक्ट छटा व सातवां संशोधन हो रहा है और इसके बाद में न जाने और कितने संशोधन होंगे? आज हम उन परिस्थितियों को जो भविष्य में होने वाली है, हम जो कानून बना रहे हैं, उस कानून के द्वारा जो उत्तरदायित्व हम पर आयेगा, जो इम्प्लीकेशन्स हम पर आयेंगे, उन पर बिना विचार किये ही निर्णय लेते हैं तो ऐसी अवस्था में उनके सारे राइट्स और प्रिविलेजेज़, विशेषतया उनके सारे अरेन्जमेंट्स शटर हो जायेंगे। ऐसी अवस्था में यदि आज हम शांतिपूर्वक उन लोगों की राय जान सकें और इस बिल को पास न करें अभी, तो इस दौरान में समय मिलता है जिससे कि हम इस पर सोच सकें कि इन परिस्थितियों में इन मन्दिरों और मस्जिदों की जो अव्यवस्था है, मुझे यह खेद होता है कि जैसा कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में मन्दिरों की बात लिखी है, उनके महन्तों और पुजारियों की बात लिखी है, उसी तरह से मौलवियों और मुल्लाओं की बात

( श्री तनसिंह )

नहीं लिखी है जब कि धार्मिक जागीरें दोनों ही रूप में प्रयोग में आती हैं, उन मन्दिरों और मस्जिदों की अव्यवस्था के कारण और उनसे जो रास्ता निकल सकता हैं, वे सारे रास्ते हमारे सामने आ सकते हैं। लेकिन इस कानून में आज के परिवर्तन के कारण अब जो धार्मिक जागीरें हैं वे एक जागीर के रूप में रहेंगी, और इसलिए यदि जागीरदार को रिजम्पशन एक्ट की धारा २६ के अन्तर्गत पर्सनल प्रोपर्टी की लिस्ट देनी पड़ती है तो मन्दिरों को भी अपनी जागीर के रूप में वही प्रापर्टी की लिस्ट देनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जो जागीरदारों की लाएबिलटीज़ हैं, जो जागीरों को देने की चीज़ है, लैण्ड रेवेन्यु का आठवां हिस्सा या जो कुछ भी हो, वे प्रोवीजिन्स, वे सारे के सारे, इस एक्ट के प्रोवीजन्स इन धार्मिक जागीरों के ऊपर लागू करते हैं। जो रेख चाकरी नहीं लगती है आज तक धार्मिक जागीरों पर, उनसे १/८ हिस्सा लेने की व्यवस्था हम इन्डाइरेक्टली कर रहे हैं। उन संस्थाओं को जिनको कि टैक्स करने का इरादा नहीं है, मैं यह मानता हूँ कि आज जो यह कानून पेश कर रहे हैं उससे हमारी मन्शा तो यही है कि उस जागीर की प्रणाली को समाप्त करके और उस प्रणाली के बदले में सरकार केवल वसूली की एजेन्सी ले लेती है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो मेरा निवेदन है कि वह केवल एजेन्सी ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जितनी भी लाएबिलटीज़ एक जागीरदार की होती हैं वे सारी मन्दिरों पर आती हैं और जो कुछ भी छूट दी गई थीं, मस्जिदों या मन्दिरों के साथ उनको उन अवस्थाओं का लाभ मिल सकता था, वह सब नहीं मिल पा रही है।

सिर्फ एक नेट इनकम देते रहेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं लगायेंगे। वह इस स्थिति में थे कि वे कह सकते हैं कि आज इसमें यह नेट इनकम हमेशा हमारा देने का इरादा है, लेकिन समय बता सकता है कि वह नेट इनकम कब तक उनको मिलती रहेगी और उसकी क्या व्यवस्था होगी ?

लेकिन मेरा यह निवेदन है कि यदि आपको मंदिरों की व्यवस्था सुधारनी है, मस्जिदों की व्यवस्था सुधारनी है तो इसके लिये जो दूसरे कानून आने वाले हैं उनके द्वारा जो काम हो सकता है इन्डाइरेक्टली, उसको इसके द्वारा करने में कई आपत्तियें आ सकती हैं। मैंने कल निवेदन किया था कि क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन करने का मौका दिया जाय तो इसमें रचनात्मक सुझाव आ सकते हैं, लेकिन ऐसा अवसर नहीं दिया गया इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी इस कानून को तब तक पास नहीं किया जावे जब तक अगले सेशन में कुछ सुझाव नहीं आ जावें और हम सोच न सकें कि इन संस्थाओं का ठीक प्रकार से संचालन कैसे होगा। तब तक के लिये उसको स्थगित करके दूसरे सेशन में इस पर विचार करना चाहिये।

श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल जब जागीर लैंड रिफॉर्म्स और रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (संशोधन) बिल की तहत धार्मिक जागीरों के रिजम्प्शन का बिल पास हो रहा था उस समय मैं मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी चर्चा आम जगह शहर में भी थी और अखबारों से भी मालूम हुआ कि यह पेश हो चुका है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि विचार के लिये कुछ समय रखा है। अभी अभी एक माननीय सदस्य ने

( श्री मदनसिंह दांता ).

नहीं उतर रही हैं । यदि बातें गले नहीं उतरी हैं तो उनके गले उतार सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और लिखकर समझा सकते हैं, यदि समय दिया जाय । दूसरी बात यह है कि यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कितनी जनता यह चाहती है कि यह बिल पास नहीं होना चाहिये और ये जागीरें खत्म नहीं होनी चाहिये; तो यह भी किया जा सकता है । प्रजा-तंत्र में ये ही चीजें हैं जिनके द्वारा समझाया जा सकता है । सब से ज्यादा दुर्भाग्य की चीज होगी यदि यह बिल पास हो गया तो । जिस राजस्थान ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिये क्या क्या नहीं किया उसमें आज यह चीज हो रही है ! जो राजस्थान सरकार प्रताप और दूसरे महापुरुषों की जयन्तियें मनाती है उसके द्वारा दी गई धार्मिक जागीरों को यह कह कर लिया जा रहा है कि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है और उनको छीना जा रहा है ? यह दूसरी चीज है कि यदि आप यह कहें कि प्रजातन्त्र के जमाने में जागीरें रखना ठीक नहीं है इसलिये ये जागीरें भी खत्म की जायं; यह रीज़न यदि दिया जाता तो कुछ समझ में भी आता। यदि यह कहते कि प्रजातंत्र के युग में जागीर जैसी वस्तु नहीं रह सकती तो इस पर विचार हो सकता था, लेकिन यह स्पष्ट लिखा है इस बिल के रीज़न्स में कि महन्त और सन्त अच्छी तरह से काम नहीं करते, मंदिरों की व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिये रिज़म्शन कर रहे हैं । यदि ऐसी चीज है तो हम कहते हैं कि कुछ वक्त दीजिये, फिर आप चाहे जैसी व्यवस्था कर सकते हैं । इससे ज्यादा क्या हो सकता है ? कानून पास करने की मंशा और है और कोई चीज दूसरी बताई जाय तो यह अन्याय की बात है । मैं यह कहता हूं कि राजस्थान में जन्मे हुए हमारे वयोवृद्ध मंत्री, जो अच्छी तरह से जानते हैं कि मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करने से कैसी स्थिति होती है, मैं यह नहीं कहता कि इसका भी विरोध नहीं होगा । यह गवर्नमेन्ट को धमकी नहीं दी जा रही है लेकिन यह जनता की भावना है जो दबी हुई नहीं रह सकती । दो पैसे के टैक्स का भी विरोध होता है तो धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात सहन नहीं हो सकता । कॉन्स्टिट्युशन में भी यह लिखा हुआ है कि कोई सरकार धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी । यदि यह धर्म में हस्तक्षेप नहीं है तो क्या है ? यहां पर मंदिरों और धर्म के लिये जो जागीरें निकाली गई थीं, उसमें बाधा देना स्पष्ट तौर से धर्म में हस्तक्षेप करना है । इसके अलावा आप धर्म में दूसरा क्या हस्तक्षेप करते ? आप रामायण को तो पलट नहीं सकते और गीता को दूसरे रूप में ला नहीं सकते । धर्म के लिये जो जागीरें निकाली गई थीं उनको आप खत्म कर रहे हैं । उनके बजाय कैश (Cash) बांधा जा रहा है । जो पैसा बांधा जा रहा है वह पुजारियों के लिये बांधा जा रहा है, किन्तु मंदिरों के लिये आप क्या कर रहे हैं ? यदि मन्दिरों में शक्ति नहीं होगी तो जनता को सही रास्ते पर नहीं चला सकेंगे । इसके बजाय चन्दे से जो पैसा आयगा उसका परिणाम यह होगा कि चन्दा देने वाले से डरते रहेंगे और सही चीज नहीं कही जायगी ।

आपको ये जागीरें अभी लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? यदि आप यह समझ रहे हैं कि राम और कृष्ण की पूजा गलत तरीके से हो रही है तो कोई इस तरह की चीज निका-लिये कि सही रूप से पूजा होती रहे और धार्मिक रूप मिलता रहे । यदि आपकी ऐसी मंशा है तो हम विरोधी दल वगैरह सब मिलकर इसके लिये कोशिश करें । या एक बोर्ड बन जाना चाहिये जो

( श्री मदनसिंह )

यह प्रयत्न करें कि महन्त ठीक काम नहीं करते हैं, उनसे ठीक ढंग से काम करावें और पूजा इत्यादि का ठीक प्रबन्ध करावें। यह कहना कि महन्तों ने ठीक ढंग से काम नहीं किया इसलिये ये जागीरें रिज़्यूम होंगी, गलत चीज है। क्या इसी साल यह व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है या जब दूसरी जागीरें खत्म हुई थीं तब इनको टाला नहीं जाना चाहिये था और यदि उस समय इनको टाल दिया तो आज इनको क्यों खत्म किया जा रहा है? यदि जागीरें खत्म की जा रही हैं तो मन्दिरों की किस ढंग से व्यवस्था हो, यह कहना चाहिये था, नहीं तो इसका विरोध होगा। जिनको मन्दिरों से प्रेम है, जिन्होंने मन्दिरों को अपने जीवन का साधन और लक्ष्य बनाया है उनकी तरफ से इसका विरोध होगा और इतना तगड़ा विरोध होगा कि राजस्थान सरकार को मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि गलती हो गई। इसलिये मैं कहता हूँ कि अच्छी तरह से विचार करके इस पर निर्णय लिया जाय। यदि जागीरें खत्म करनी हैं तो उसमें यह लिखा जाय कि जागीरें खत्म करना चाहते हैं, इसलिये ये भी जागीरें नहीं रह सकतीं। लेकिन क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिये यह पास कराया जा रहा है, यह कहना ठीक बात नहीं है। कहीं कहीं मन्दिरों की व्यवस्था गवर्नमेंट की व्यवस्था से भी ज्यादा ठीक है। यदि गवर्नमेंट की व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसको भी खत्म करके उसके स्थान पर बोर्ड बनाना चाहिये। ऐसा क्यों नहीं करते? मंदिरों पर यह लान्छन क्यों लगाया जा रहा है कि उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है? जो मंदिर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उनको भी साथ में ले लिया है, यह कहां तक उचित चीज होगी? इसलिये मैं कहता हूं कि मंदिरों की जागीरें बाहर जाने वाली चीज नहीं है, इसलिये इस पर विचार करने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी को देना चाहिये था या अलग बोर्ड बना कर इस पर विचार होना चाहिये था। यदि आप यह कहें कि हम जागीरें नहीं रखना चाहते हैं, आज के प्रजातन्त्र के युग में जागीरें हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि जागीरें रखना ठीक नहीं है, तो आप इसको दूसरे रूप में कर सकते थे। आप कोर्ट ऑफ वार्ड्स कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया जिससे साफ जाहिर है कि आप ये जागीरें खत्म करना चाहते हैं। आपका यह तरीका ठीक नहीं है। इस चीज को लेकर निश्चित तौर से जनता में आन्दोलन होगा, यदि इसे इस रूप में रखा तो। यदि आप इसका दूसरा रूप रखें कि जागीरें नहीं रखना चाहते, चाहे वे धार्मिक जागीरें हों या दूसरी जागीरें हों तो बात दूसरी है। लेकिन केवल मंदिरों पर इल्जाम लगाकर कानून बनाते हैं तो उसका विरोध होगा और आज ही नहीं युग युग में इसका विरोध होगा। इससे गवर्नमेंट मौका देती है कि विरोध किया जाय। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाय। वैसे आप ऐसा मानते आये हैं कि विरोधी दल से कोई बात हो रही है इसलिये उसे नहीं मानना चाहिये तो मैं कहूंगा कि नेक चीजों पर विचार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सही और नेक चीजें हों तो गेलेरी वाले भी मदद कर सकते हैं, यदि ऐसी बात है तो हमें भी गेलेरी वालों से अपील निकालनी पड़ेगी कि हमारी मदद करें। कोई ऐसी चीज नहीं आवे, इसलिये कहना है कि इस पर अच्छी तरह से विचार हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, यह जानकर कि अपने हाथ से धर्म की व्यवस्था के नाम पर इसे खत्म किया जा रहा है और धर्म के

( श्री मदनसिंह )

खत्म किया जा रहा है। जो चीजें राजा-महाराजाओं के जमाने में भी नहीं हुई वे आज आप कर रहे हैं। इसलिए कम से कम इस बिल को पास करने से पहले ऐसा ढंग और ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, जिससे सारे संसार की शक्ति यह कहे कि इस सरकार में धर्म के प्रति खराब ख्याल नहीं है। इस प्रकार ठीक व्यवस्था होगी। मैं कहता हूँ कि जागीरदारों का जो कम्पेन्सेशन है, उसमें से कुछ काट कर व्यवस्था के लिए दे सकते हैं, पर पहले धर्म की व्यवस्था ठीक करके जागीर रिज़्यूम कीजिये, सुन्दर ढंग से लीजिये, अन्यथा मैं कहता हूँ कि इसका विरोध जैसा पुराने जमाने में होता था, वैसा विरोध तो नहीं होगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र है, पर प्रजातंत्र के ढंग से विरोध निश्चित रूप से होगा और फिर उसका जो नतीजा होगा, वह विरोध करने वालों और गवर्नमेंट के ऊपर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, यह चीज हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ है कि हम धर्म की व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इस पर विचार हो जाना चाहिए। पहले भी शायद एक-दो दफा सरकार के पास कई चीजों के लिए व्यक्तिगत रूप से जाकर निवेदन किया था कि ऐसा मौका न दिया जाय, इससे आपकी कुछ खिलाफत ही नहीं है। इस बिल पर अच्छी तरह से विचार हो जाय तो ठीक है। केवल एक जिद्द के लिए कि आप ११६ हैं, इस जिद्द के लिए इस बिल को पास कर सकते हैं, लेकिन लाखों आदमी इसका विरोध करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी सुनवाई करेंगे तो ठीक है, अन्यथा विरोध प्रजातंत्रिक ढंग से होगा और वह अवश्य होगा।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, यह जो छठवां अमेंडमेंट, जागीर रिजम्पशन एक्ट में, है वह मन्दिरों की जमीन और मस्जिदों की जमीनों को ग्रहण करने के लिए है, जो माननीय मंत्री श्री दामोदरलालजी साहब ने पेश किया है, इसके लिए मुझे बड़ा भारी खेद हुआ कि ऐसे योग्य व्यक्ति ने, जो वेद व्यास के वन्श के हैं, जिनकी रीसेन्टली इस धर्म के प्रति आस्था से कारण, जिनकी तबीयत बहुत अच्छी हुई है, इसके उपलक्ष में कार्तिक मास के महात्म्य में इसको प्रस्तुत करते हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जब सब सदस्य लोग इसको सिलेक्ट कमेटी के लिए भेजना चाहते हैं तो आप इसको डाइरेक्ट पास करके, उनको यह बतला कर कि महन्तों और पुजारियों की व्यवस्था........

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): That motion for reference to the Select Committee has already been rejected and there is no use referring to that over again.

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : कन्सीडरेशन के लिए कहता हूँ।

( हंसी )

मेरे निवेदन करने का मतलब है कि यदि आप इसको इस तरह पास करते हैं तो धर्म का गला घोटते हैं और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि ठाकुर दांता ने निवेदन किया कि न मन्दिर भागे जाते हैं, न जमीन भागी जाती है और न जागीर भागी जाती है, सब यहीं रहेगा। यदि इसको विचार करके पास कर देना है तो इसके लिए और भी अच्छे सुझाव आ सकते हैं, जैसे जागीरों को

( रावराजा श्री सरदारसिंह )

खालसा करके, जिनकी नेट इन्कम कम है, और क्योंकि १२ महीने धार्मिक त्यौहार होते हैं, उनको ग्रोस इन्कम पर दिया है। दूसरी बात यह है कि आप डाइरेक्ट खालसा करते हैं, इसके लिए मैं आपको सुझाव दे दूं कि आप धीरे धीरे इसको इस तरह खालसा करें। पहले तमाम जागीरों को एक ट्रस्ट के रूप में बनावें, उसके सुपर्विजन में काम करावें, ऐसा प्रबन्ध करें कि धर्म के प्रति आस्था कायम रहे। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं, इन्हीं मन्दिरों की वजह से आज भी भारत के अन्दर धर्म कायम है। अगर मंदिर नहीं होते तो मनुष्य गृहस्थ आश्रम और लोभ में इतना फंसा हुआ था कि कभी भी धर्म की भावना को लेकर ठाकुरजी के दर्शन करने नहीं जाता, इनकी वजह से आदमी आज जाते हैं, इसी वजह से उनको जमीन जायदाद हम लोगों ने धर्म की भावना कायम रखने के लिए अर्पित की हैं। उनको भी जागीरों के रूप में मान इस तरह कर देंगे और उनको नकदी देंगे, तो उसका वही परिणाम होगा जैसा कि गलते में महन्त को शादी की इजाजत दे दी है। आप ही इनकी व्यवस्था बिगाड़ते हैं। इसलिए मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर नकदी दे देंगे तो ठाकुर जी की पूजा नहीं होगी, मंदिर नहीं रहेंगे। सरकार की मन्शा क्या है ? क्या इन मंदिरों को खत्म करके उनमें संस्था खोलनी है, क्या उनके अन्दर स्कूल खोलने हैं ? क्या मतलब है ? अगर धर्म की भावना कायम करनी है, तो जिद्द करने की आज क्या आवश्यकता है ? इसके ऊपर विचार करके किसी योग्य आदमी को देंगे तो वह विचार करके इसमें अच्छाई करेगा। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह आपके हित में है कि इस पर कार्तिक मास में कभी विचार नहीं होना चाहिए।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (डूडू) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में कल निवेदन कर चुका हूं। आज फिर मेरी तरफ से यह निवेदन है कि ऐसे मामले में ज्यादा शीघ्रता होना कतई ठीक नहीं है। सब से बड़ी बात तो यह है कि हिन्दू महन्तों, सन्तों के ऊपर जो यह आक्षेप होता है कि उनका प्रबन्ध ठीक नहीं है, उनके पास ज्यादातर ५-१० बीघा जमीन से विशेष नहीं है, जिनसे ५), ४) की सालाना आमदनी होती है और फिर मंदिर की पांच-सात बीघा जमीन के अन्दर कई हिस्सेदार होते हैं, कई विधवा मासूम बच्चे इनसे पलते हैं; इन सब के ऊपर कितना बुरा इस कानून का असर होगा, यह सवाल कितना भयंकर है ? यह बिल जो चल रहा है, आज के तीन दिन से चलने की बात है। लेकिन शीघ्रता के कारण उस समय, कल दो-तीन महानुभावों के सिवाय मौजूद नहीं थे, उस समय बात आई और उसका विरोध यहां तक ... अध्यक्ष महोदय, आपको इसका पता होगा, क्योंकि पहले उपाध्यक्ष काम ... तो यहां तक नौबत आई कि वाक आउट ... गया। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करता ... वे विशेषतया कहां के सन्त हैं और ... महन्त हैं; मामूली पुजारी, गरीब आदमी, गांव के रहने वाले हैं, वे पाठशाला ... करते थे, वे जोशी भी होते थे और ... में शिक्षा देने का काम भी करते ... प्रकार अगर यह चीज जल्दी से पास ... तो इसका असर बुरा होगा। यही ... अभी कहा गया था कि राजस्थान ... प्रान्त है, इन मदिरों में जो भगवान ... समझे जाते हैं, उनके बारे में ... कि जिस वक्त मुसलमानों के आ...

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

लगे, तब ये काशी से और मथुरा से यहां राजस्थान में आकर बैठे। अंग्रेज, कर्नल टॉड वगैरह तो यहां तक कहते हैं कि उन लोगों से बच कर भगवान के अवतारों ने राजस्थान में आकर शरण ली। मैं तो यह कहूँगा कि उन्होंने हमें शरण दी है। उनके कारण आज भी जो बड़े बड़े किले और झोंपड़ियां तक जो हैं, जिनमें बलिदान हुआ है, वे रक्त से लाल हैं और जो सतियों की खाक के कारण सफेद हो रही हैं। ऐसी दशा में राजस्थान में ऐसा कदम उठाना ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि यह सवाल आ सकता है और उसके कारण हमारे जो माननीय मंत्री हैं, वे इसको प्रेस करते हैं और वह सवाल है कि जब दूसरी जागीरें खत्म हो रही हैं तो इनको खत्म क्यों न किया जाय? लेकिन इन मंदिरों के पास थोड़े २ बीघा जमीनें हैं, इन सबको इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए। सेन्टर भी, जब कभी गम्भीर समस्या होती है तो सब के विचार जानने के हित में सारे देश को उसके लिए डेलीबरेशन करने के लिए व कन्सीडर करने के लिए समय देता है, जिसके सबब से वे विचार करलें, मैं जानता हूँ, जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने फ़र्माया था, बहुत से सज्जन यहां मौजूद नहीं हैं, वे तीन-चार दिन की छुट्टी जा रहे हैं, वे लोग ज्यादातर, क्योंकि पूर्णिमा का अवसर है, इसलिए पुष्कर में भी पूर्णिमा के स्नान के वास्ते जाते हैं। ऐसी हालत में इस अहम मामले को जल्दी निकाल देने के अन्दर ज्यादा लाभ की बात मैं नहीं समझता हूँ।

इन चीजों का रिपर्कशन होता है, इसके लिये मैं यहां तक निवेदन करूँ कि बहुत से मन्दिर ऐसे होंगे जिनमें से आधे से ज्यादा मन्दिर ऐसे हैं जहां जमीनें नहीं हैं, ५०७ बीघा जमीनें हम लोगों की दी हुई हैं, राज्य द्वारा दी हुई बहुत कम हैं। वह गरीब ब्राह्मण चरी-लोटा लेकर गांव में गरीब से गरीब के घर पहुँचता है तो वह भी थोड़े से दाणे, या चून की मुट्ठी उसमें डाल देता है। जब यह सवाल आया है तो मैं यह समझता हूं और यहाँ तक कह सकता हूँ कि दूसरी-तीसरी पीढ़ी ऐसी भी आयेगी, १०० के बीच में ९२ ९३ भी अभी 'ऑर्डिनेन्सेज़' बाकी हैं, जो कुछ दाने और मुट्ठी भर आटा गरीब ब्राह्मण की चरी में या लोटे में डाला जाता है उसके लिये भी वह पीढ़ी यह सवाल उठायेगी कि इस आमदनी को भी सरकार के प्रबन्ध में लिया जाना चाहिये। जब जमीनों के और दूसरे सवाल हैं, तो क्यों न इस सवाल को भी छेड़ा जाय? चारणों के जितने बड़े बड़े पट्टे थे, जो जमीनें उनको थीं उनको खत्म कर दिया गया, करणी माताजी की जितनी भावना थी उसको खत्म कर दिया गया व सब जमीनें ले ली गई। राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है, जहां भगवान् श्रीकृष्ण और भगवान् श्री रामचन्द्र और दूसरे अवतार जो भगवान् के खास स्वरूप समझे जाते हैं, उनके अलावा जहां पाबूजी, हड़बूजी, रामदेवजी और दूसरे हर एक जाति के अन्दर जितने भी भगवान् के अवतार वीर पुरुष हैं, राजस्थान में जिस समय विपत्ति के पहाड़ पड़ते हैं, उस समय ऐसे वीर आते आते हैं। मुसलमान और इसाई भी, जो जितने आक्रमण करने वाले थे, उन्होंने भी इन चीजों पर कभी मोहर नहीं लगाई। मध्यम युग में राजस्थान और भारत को छोड़िये, इसके पहले युरोप के अन्दर जब इस तरह का सवाल पैदा होता था तो फ्रान्स, प्रशिया, इटली में रोजाना, प्रोटेस्टेन्ट, रोमन कैथोलिक और यजिनेटस के झगड़े

( रावल श्री नरेन्द्रसिंह )

हुआ करते थे। तो ऐसी चीजों के वास्ते राजस्थान जो इस प्रकार का धर्म प्राण स्थान है, उसमें भी मैं निवेदन करूंगा कि झोंपड़ी झोंपड़ी में, और इस शहर जयपुर को ले लीजिये जहां अगणित मन्दिर होंगे, खास बाजार में ५ हिस्सा मंदिर हैं और एक हिस्सा मकान होंगे, ऐसी हालत में इस तरह की जल्दी में इस कानून को पास करने में किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा।

माननीय मन्त्री महोदय का फरमाना सही है कि कल यह सवाल था कि सिलेक्ट कमेटी में यह सवाल दिया जाय और वह नहीं हुआ और मूल प्रस्ताव पास हो गया तो आज यह क्यों उपस्थित होता है ? वह इसलिए कि सुबह के वक्त दोनों ही तरफ के महानुभाव और हमारे मुख्य एम० एल० ए० महोदय ज्यादा इस समय में मौजूद रहते हैं, इसलिये सब के सामने फिर से यह प्रश्न उपस्थित हुआ इसलिये मन्त्री महोदय ने फिर से सुनने का कष्ट किया।

मेरी ६४ वर्ष की आयु है और ४५ वर्ष के ओफिशियल रेकार्ड में कभी एक समय भी ऐसा मौका नहीं आया कि मैं शपथ ग्रहण करूं। हर एक मनुष्य का फर्ज है कि बुरी चीज को, बुरे काम को हराम समझे, बिना शपथ के आडम्बर के। दूसरी तरफ विराजे हुए जो भी सज्जन हैं उनसे अपील करूंगा कि वे छाती पर हाथ रख कर फरमा दें कि यह बात क्या उचित है ? मैं तो यह भी निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय ने यह निर्णय किया है, किसी जाति विशेष या खुद की पर्सनल बात नहीं है, व्यवस्था की बात है, पार्टी का सवाल है, विचारधाराओं का सवाल है लेकिन वे भी छाती पर हाथ धर कर विचार करेंगे तो उनके दिल में विचार आयेगा कि इस तरह की चीज के लिये जल्दी नहीं करना चाहिये और मैं तो निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि आपके भी ख्याल जरूर ऐसे होंगे। जो हिस्ट्री के स्टूडेन्ट्स हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस समय जजिया टैक्स लगाया गया था तो एक तो कहते हैं कि महाराजा मिर्जा मानसिंह ने; दूसरे कहते हैं महाराजा रामसिंह ने और तीसरे कहते हैं महाराणा राजसिंह ने यह बात बराबर कही थी कि हमारे से यह कर ले लिया जाय मगर मन्दिरों को अक्षुण्ण रखा जाय। तो मैं तो यह अर्ज करूंगा कि जागीरों को लेने का सवाल जब आया तो पहले ५००० से नीचे की जागीरों को न छेड़ने का और बाद में एक हजार की जागीरों को रखने का निर्णय लिया गया और बाद में ५०० से नीचे की जागीरों को मुक्त रखने का विचार रखा गया, अब इससे और नीचे की हैं उनका सवाल है तो मैं तो यह अर्ज करूंगा कि हमारे यहां की बीघा बीघा जागीर है वह हर राजपूत से छीन ली जाय, हम इसके लिए तैयार रहेंगे पर इन गरीब ब्राह्मणों की जमीनें न छीनी जांय जिन लोगों की जीविका केवल भगवान की पूजा करके चलती है या मांग कर। यह जो व्यवस्था की जा रही है इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इससे वह बवंडर खड़ा होगा। आप यह नहीं समझें कि मैं धमकी के भाव से अर्ज करता हूँ, मेरे ये शुद्ध भाव हैं जो सही भाव हों वही कहना चाहिये। यह रस्सा-कस्सी नहीं है, यह रस्सा खींचना नहीं है कि उधर से 'हां' और इधर से 'ना' कहें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मामले में वे खुद विचार करें कि 'हां' और 'ना' कहने की बात नहीं है, बहुत महत्व की बात है। जिन्होंने शपथ

( रावल श्री नरेन्द्रसिंह )

है रिलीजियन्स की, वे अनुभव करेंगे कि ऐसे अहम विषय को जल्दी में निकाल देना ठीक नहीं होगा ।

धर्म के अहम मामले को लेकर जो यह सवाल उठाया गया है, इसके लिये मैं यह भी निवेदन कर दूं कि राजस्थान से बाहर के, भारत से ताल्लुक नहीं रखने वाले दूसरे राज्य इस प्रकार के हैं जो हमारी इस गवर्नमेंट के वास्ते, उनके दिलों में कसक है, वे इसे ठीक नहीं समझते हैं, उन लोगों को बहाना मिल जायगा ऐसे सवाल को उठाने के वास्ते व विष उगलने के लिये। कल निवेदन किया था मन्त्री महोदय को कि मैं यह जानना चाहूँगा कि इस सवाल में राजस्थान को समझिये, इस सवाल में राजस्थान को समझिये, बाहर की समझिये; इसके अन्दर हिन्दू, गरीब हिन्दू जिनकी भित्ति के ऊपर हम तो यह समझते थे चट्टान से भी ज्यादा मजबूत नींव थी, वह बालू से, पानी से भी कमजोर नींव हो जावेगी।

मैंने एक सवाल पूछा था, उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। मैंने पूछा था, क्या उसमें मुसलमान भी जिनके लिये हजारों रूपयों की जीविका होगी, शामिल होंगे। मुझे मुसलमान-इसाइयों से कोई द्वेष नहीं है, मेरा तो यह सिद्धान्त रहा है कि मनुष्य मात्र के साथ एक प्रकार का व्यवहार हो, मेरा तो सिद्धान्त है वसुधैव कुटुम्बकम्; इस भाव से प्रेरित होकर मैंने यह बात कही है। मेरा यह सिद्धान्त है कि सभी भाई एक तरह से रहने चाहिये । मैंने पूछा था कि क्या ऐसे मामलों में उनकी जमीनों पर; जैसे सिक्खों, जैनियों और दूसरे धर्मावलम्बियों पर भी इसका असर होगा और अगर आप यह कहें कि इसका असर उन पर भी जरूर होगा तो मैं आपको यह जरूर निवेदन करूंगा और बड़े प्रेम के साथ निवेदन करूंगा कि जिस समय यह प्रश्न आवेगा वे लोग अपनी आवाज उठावेंगे। अगर आप अकेले हिन्दू धर्म को, जिसे आप समझते हैं कि वह खोखला हो गया है उस पर आप कुठाराघात करना चाहते हैं, कुठाराघात तो मैं नहीं कहूंगा, सुधारवादियों के तरीके पर जितना भी किया जावेगा, मैं समझता हूं कि मुसलमानों को, ईसाइसों को, सब लोगों को बडा जबरदस्त असर पहुंचेगा और सिक्ख और मुसलमान भी इसके लिये बोलेंगे। कुछ न कुछ सिक्ख और मुसलमान जो गवर्नमेंट का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं उन पार्टीज़ का थोडा बहुत खयाल होता है, विचार होता है और उनके लिये प्रबन्ध करना पड़ता है। आज सिक्ख और आर्य समाज ने पंजाब में भाषा के बारे में कितना भयंकर प्रश्न पैदा कर रक्खा है और जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो अपने कमिटमेंट होते हैं उनको भी बाज वक्त वापिस लेना पड़ता है। ऐसे कमिटमेंट जो, ५ साल में, I am sorry, ८ साल हो गये राजस्थान बने हुए, मगर अभी कत यों कहूंगा कि अभी तक गवर्नमेंट भी बालक ही है, ऐसी हालत में गवर्नमेंट को यह जरूर विचार करना कि प्रारंभ में सब चीजों को एक साथ में नहीं लिया जाना चाहिये। जागीर के बारे में बहुत कुछ सुधार हुए हैं और हो रहे हैं और इतनी अभी आपके पास कार्य कर्ताओं की मशीनरी नहीं है कि उसके लिये भी आप पूरा प्रबन्ध कर सकें। यदि ये सारे के सारे बवन्डर साथ में ले लिये जावेंगे तो एक प्रकार से मुश्किल हो जावेगी। आप कहते हैं कि हम लोग कुछ टैक्स लगा रहे हैं; वह तो लगेगा ही, १० प्रतिशत या ७ प्रतिशत। मगर आप देखेंगे कि ५ रूपये की चीज के लिये, १०० रूपये की चीज के लिये छोटे छोटे २ पटवारी, अमीन कार्य करेंगे

( रावल श्री नरेन्द्रसिंह )

वे किस तरह करेंगे, आप सब जानते हैं। आज जो हम लोग बोल सकते हैं और अपनी बातों को आगे बढ़ कर कह सकते हैं उन लोगों के प्रश्न भी आज तीन तीन साल तक मेरिट पर हल नहीं हो रहे हैं। जिस समय जब्तियें हो रही थीं उस समय जमीनें जब्त हो गईं, उनका अभी मुआवजा मिलना कठिन हो गया। तो ५ रुपयों के मन्दिर के पुजारियों की आमदनी की क्या दशा होगी ? इन बातों पर आपके गौर करने की बात है, क्योंकि आप जिस समय टेक्नीकेलीटीज पर जावेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी कठिनता होगी ? और मेरी तरफ से खास अर्ज है जिनके प्रश्न अभी हल नहीं हुए हैं वे हल हो जावें। यह पहले की गवर्नमेंट थी, उनका उनका विचार यह उचित था। उन्होंने पहले ५,००० का किया, उसके बाद एक हजार का किया। मैंने भी इसके लिये पूछा कि क्या इसमें वे सब लोग शामिल होंगे या केवल हम हिन्दू ही होंगे जिनको आप बाहर रख रहे हैं, जिनकी संस्कृति इतनी ऊंची थी जिनके लिये लोग यह कह रहे हैं कि बाहर रखने पर इसको कोए ले जावेंगे और अन्दर रखने पर चूहे ले जावेंगे इस हिन्दू संस्कृति को। क्या दूसरे लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा ? जैसे सिक्ख, मुसलमान आदि की भी जमीनें हैं। जल्दी ही हाथ में लेते समय ख्वाजा साहब के मामले को ही लेकर नतीजा आप देखलें। आपको उसके लिये ५ दफा विचार करना होगा, नोर्थ वेस्ट फ्रन्टियर से नोर्थ ईस्ट फ्रन्टियर तक का वातावरण बडा क्षुब्ध हो रहा है। इसमें दिक्कत पैदा हो रही है और इस समय की स्थिति अच्छी नहीं है। पोलिटिक्स के जाननेवाले, हिस्ट्री के जानने वाले समझ सकते हैं। इस फ्रन्टियर के प्रान्त में ऐसे प्रश्न को बार बार उठाना हितकर नहीं है। मैं ६५ वर्ष का एक वृद्ध आदमी हूँ और श्रद्धा के कारण कुछ सत्यता के नाते कुछ कटु भी निवेदन करूं तो उसके लिये आप विचार नहीं करेंगे।

धर्म को लेकर राजस्थान में बड़ी बड़ी क्रान्तियें हुई हैं, डेमोक्रेसी में जितना भी क्राइसिस है उनमें मजहब की छोटी मोटी जमीनों को छोड दिया जावे। मैं खुद आर्य समाजी हूं। ५० वर्ष आर्यसमाज में रहा हूँ। मेरे पिता आर्यसमाजी थे, मेरे संस्कार आर्य समाजी हैं। आप लोगों को यह ख्याल होना चाहिये कि आर्य समाजी होकर यह क्यों कहता है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कोई आर्य समाज का प्रश्न नहीं है। आज भाषा के प्रश्न पर हजारों लाखों लोगों में पंजाब में असन्तोष है, मनुष्य के व देश सेवक के नाते मेरा यह सुझाव · गलत वस्तु स्थिति को रोकने का है। मैं समझता हूँ, आप इस पर विचार करेंगे। मैं और ज्यादा कहना उचित नहीं समझता।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** ( बैराठ ) : माननीय अध्यक्ष, जागीर रिजम्पशन एक्ट में जो ६ ठा एमेंडमेंट माननीय मंत्री महोदय ने हाउस में पेश किया है और इसमें कुछ इस तरह की चीज पैदा की गई है कि जिससे पब्लिक के अन्दर बखेड़ा डाला जाए। एक मुसीबत उतरती है तो दूसरी मुसीबत सरकार मोल लेने के लिये तैयार रहती है। एक मुसीबत का हाय-घोड़ा थोड़े दिन हुए मिटा तो दूसरी मुसीबत लेने के लिये तैयार हो गई। कम से कम सरकार को यह चाहिये था कि एक साल में एक मुसीबत हो जावे तो दूसरे साल में दूसरी मुसीबत का सामना तैयार रहना चाहिये, परन्तु माननीय मंत्री इस बात को पूरी तरह से जानते हुए भी कि ऐसे अमेन्डमेंट सरकार को पहली बात तो यह है कि

( श्री मुक्तिलाल मोदी )

लाना ही नहीं चाहिये था और लाती है तो उन मन्दिरों की पूरी तरह व्यवस्था करने के बाद और जिन लोगों के पास ५००) से ज्यादा की आमदनी की जमीन हो उसको ले लेने के बाद उन मन्दिरों की जमीन को जागीर रिजम्प्शन एक्ट में लाना चाहिये था। इन दोनों बातों के करने के पहले ही सरकार ने ये चीज सामने ला दीं।

अब आप देखिये माननीय अध्यक्ष, आज सरकार ने ये दोनों चीजें किये बगैर ही ऐसा किया है। यह सरकार ने किया है क्योंकि उनकी जमीन आज छोटे-छोटे ५००) रु० से नीचे वाले की जमीन है वे ही हाय-घोड़ा करेंगे, बल्कि दूसरे लोग भी हाय-तोड़ा करने के लिये तैयार हो जावेंगे। पहले एक चीज करनी चाहिये थी उसके बाद उस मन्दिर को किस तरह व्यवस्था करें, उन लोगों को सर्विस पर लगाते या मन्दिरों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाता या जितनी मूर्तियें हैं वे उठा कर नदी में डाल दी जावें और जितनी धर्म संस्थाएं हैं और धार्मिक स्थान हैं उनको स्कूल और हॉस्पिटल में बदल दिया जावे। उसके बाद जब पहले ये सारी चीजें हो जाती हैं और सरकार इस तरह का काम कर देती तो मान लेते कि इन मन्दिरों के नीचे जो जमीनें हैं या चढ़ावा है वह सब सरकार का होगा। क्यों कि ऐसी चीज आज तो आने वाली है नहीं। हिन्दुस्तान में आज करीब ४०,५० या १०० वर्ष के बाद ऐसे आदमी पैदा हो जायें तो आ जाये। परन्तु अभी तो नहीं आयेगी।

दूसरे, माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारे माननीय मंत्रीजी बाहर कभी नहीं गए हैं। इनको मालूम नहीं है कि दुनियां किधर है और माननीय अध्यक्षजी मैं खुद देख कर आया हूँ कि जैसे यहां हमारे हिन्दुस्तान में मन्दिर हैं वैसे ही फोरिन कन्ट्रीज में गिरजे हैं और उन गिरजाओं के अन्दर हर कन्ट्री का आदमी जाता है और पूजा करता है। हम लोग तो यहां हिन्दुस्तान में दिन-ब-दिन नास्तिक होते जा रहे हैं और वहां के लोग घंटा, दो घंटा गिरजाओं में जरूर जाते हैं। बड़े से बड़ा अफसर और छोटे से छोटा आदमी वहां जाता है और और वह अपने कर्तव्यों को मान कर जाता है। हमने देखा है कि गिरजाओं के अन्दर जाकर जो भी उनका धर्म है उसको वह पूरी तरह से मानता है और उसका पालन करता है और वहां सरकार की तरफ से पूरा इन्तजाम रहता है। एक थोड़ा सा चूना भी टूट जाता है तो उसको सुधरवाने के लिए सरकार हमेशा ध्यान रखती है। या किसी गिरजे के अन्दर कोई चीज खराब हो जाती है तो उसको सुधरवाने के लिए सरकार की तरफ से पूरा इन्तजाम होता है। हम देखते हैं कि हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर आज हजारों मन्दिर बेकार हो गए हैं, टूट गए हैं। उनके अन्दर पुजारी पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। उनकी तो व्यवस्था के बारे में सरकार नहीं सोचती है परन्तु सरकार तो चाहती है कि किसी भी तरह का देश में आन्दोलन फिर शुरु हो जाये। हमारे जैसे लोग हैं, बैठे—ठाली उनको भड़का देंगे और उसी में सरकार का समय चला जायेगा। तो पहले उस चीज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी कि मन्दरों के अन्दर आज पुजारी पूजा नहीं करते हैं, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मन्दिरों के अन्दर जो टूट-फूट है या किसी तरह की आज कोई लापरवाही वरत रहे हैं उसकी व्यवस्था पूरी तरह से धर्मार्थ एक्ट के अन्दर पूरा प्रोवीज़न करके करनी चाहिए।

# Page No.36



( श्री मुक्तिलाल मोदी )

इसके लिए सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। परन्तु इसकी व्यवस्था तो सरकार कुछ करती नहीं है और उसकी जो जमीनें हैं उसका हिसाब रखने को फौरन तैयार हो गई। अब पर्चे तो काश्तकार को देते हैं और अगर काश्तकारों को नहीं दिए हैं तो भी जो आदमी मन्दिर की पूजा करता है वह काश्त करता है तो उसका भी पर्चा तो होगा ही, पर्चा होने के बाद जो लगान है तो जो जागीरी पहले आधा बांटा लेती थी, कोई दूसरा बाँटा लेती थी, कोई चौथा लेती थी आज वह चीज नहीं रही है। वह चीज होती तब तो उस जमाने को देखते हुए अगर यह एक्ट आज के पांच साल पहले जब कि असेम्बली का चुनाव हुआ था उस समय यह एक्ट लाते तो हो सकता है कि यह मान लेते कि कई तहसीलों में पर्चे नहीं बने हैं और यह चीज होनी चाहिए थी और आज जब कि सारे राजस्थान में पर्चे हो गए और जो पूजा करने वाले हैं वह उनको काश्तकार लेते हैं और उनमें आपस में मतभेद कुछ हो सकते हैं, परन्तु ब्राह्मणों को जो कुछ मिलता है वही सही। वे सोचते हैं कि क्यों काश्तकारों से झगड़ा करें? ऐसी हालत में जब पर्चे के पैसे ले लेते हैं तो क्या बच जाता है? जब कि सरकार बराबर रेंट कम कर रही है और हमारे किसानों को फायदा पहुँचा रही है तो इन ब्राह्मणों को पहले पचास मिलते थे उसकी जगह १० मिल रहे हैं। अगर सरकार यह व्यवस्था कर दे कि सरकार ब्राह्मणों से पूजा की नौकरी करायेगी तो कम से कम इनको बीस रुपया तो देगी। आज पचास रुपये तो चपरासी को ही देते हैं। अगर बीस रुपया महीने के हिसाब से और एक स्टेटिस्टिक के लिहाज से उस मन्दिर की कितनी जमीन है और उसका आधार मान कर माननीय मंत्रीजी इस बिल को लाते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन यह तो अधांधुंध तरीके से बिल पास करते हैं, सोचते नहीं हैं, विचारते नहीं हैं। मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री को सारी चीजें देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए और फिर हाउस के सामने बिल लाना चाहिए।

मैं बद्रीनाथ गया था। वहां यू० पी० सरकार की तरफ से हर जगह इतना अच्छा इन्तजाम था कि किसी भी यात्री को तकलीफ नहीं होती थी और लाखों रुपया यू० पी० सरकार ने चार महीने में खर्च कर दिए और यहां चार पैसे भी खर्च नहीं करते। हमारे राजस्थान के अन्दर पुष्कर मेला हो रहा है। वहां जाकर देखिए, सरकार की तरफ से क्या इन्तजाम हो रहा है? ऐसी हालत में यहां की सरकार कुछ इन्तजाम तो करती नहीं हैं और जो इन्तजाम करते हैं उसको भी छीनना चाहती हैं। जो पूंजीपति हैं वे सरकार का करोड़ों रुपया लेकर बैठे हैं और जैसा मैंने पहले असम्बली में बताया था कि कई करोड़ रुपया सरकार का लोग खा जाते हैं। जैसे सीमेन्ट फैक्ट्री में चार पैसे भी नहीं आ रहे हैं, स्पिनिंग मिल के अन्दर भी कुछ नहीं आ रहा है, मान इन्डस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा है, गंगानगर में एक फैक्ट्री है उसका लाखों रुपये का हिसाब किताब है, उसका कोई पता नहीं है। तो जो यहां कैबिनेट बैठी है, वह इन चीजों पर क्यों नहीं ध्यान देती? उसको देखना चाहिए कि अगर किसी फैक्ट्री से कोई फायदा नहीं होता है तो जो उसमें पूंजी लगी है उसका ब्याज तो आता रहे, उसके इन्तजाम की तरफ कोई नहीं सोचता है। हम बराबर चिल्लाते हैं कि इस बिल के लाने से और मन्दिरों की आमदनी लेनेसे सरकार

( श्री मुक्तिलाल मोदी )

के पास कितना पैसा आएगा ? मैं कहता हूँ कि सारे राजस्थान के अन्दर कम से कम पांच लाख रुपया आयेगा। माननीय मंत्रीजी इस बात को हाउस में कहें कि क्या इससे सरकार को पांच लाख रुपये से ज्यादा की इनकम होगी ? अगर पूरी मशीनरी पर सरकार का लाख-डेढ़ लाख रुपया खर्च होगा, तो फिर सरकार के पास में बचेगा कितना सा ? जिन लोगों के ऊपर लाखों रुपया बकाया है और जो लोग ब्लेक मार्केट करके और बेईमानी करके और मिनिस्टरों की थोड़ी सी "जी हुजुर" करके लाखों रुपया कमा लेते हैं उनको कोई नहीं देखता। इस तरह से पूंजी पति थोड़ा सा हमें भी टुकड़ा डाल देते हैं। यह चीज आज हमारे राजस्थान में हो रही है और जिस चीज पर राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रही है। आज छोटी छोटीचीजों को लेकर राजस्थान के अन्दर एक चीज खत्म हो रही है, तो दूसरे प्रान्तों में इस चीज का क्या असर पड़ता है ? दूसरों देशों में क्या असर पडता है क्योंकि सारे देशों के आदमी यहां जयपुर में आयेंगे और आने शुरु हो गए हैं। जयपुर एक कैपीटल तो है ही, लेकिन केपिटल होने के कारण देश-विदेश के लोग अगर यहां आयेंगे और यहां का नाम भी विदेशों में बढ़ा है, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा ? यहां आन्दोलन होगा और जिनको आन्दोलन करने का मौका नहीं मिला उनको आन्दोलन करने का मौका मिल जायगा और सरकार की बदनामी होगी। ऐसी हालत में जो चीज करनी चाहिये वह यह है कि मन्दिरों का पुख्ता इन्तजाम हो, पुजारियों को खाने-पीने को पूरा मिले; जो नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार से मन्दिरों को छीन रहे हैं। जो पुजारी जमीन पर काश्त करते हैं उनकी क्या हालत होगी ? इस प्रकार की सारी व्यवस्था करने के बाद उनसे जमीन छीननी चाहिए। आज हम देखते हैं कि जहां इन पुजारियों के पास पांच-दस बीघा जमीन है वहां ऐसे भी लोग हैं जिनको पांच-पांच सौ बीघा जमीन मिली हुई है और वे खुद खेती भी नहीं करते लेकिन बिना खेती करते हुए भी उन पर कब्जा किये बैठे हैं।

माननीय अध्यक्ष, जहां एक ओर सरकार इस प्रकार जमीनें लेकर जागीरदारियां खत्म कर रही है वहां दूसरी ओर लोग सरकार से मिल कर नये जागीरदार बन रहे हैं; वे जमीन की काश्त नहीं कर रहे हैं, उसको सबलेट करके काश्त कर रहे हैं। उसके लिये आपने क्या इन्तजाम किया ? आपको चाहिये कि जमीन का अलोटमेन्ट उन आदमियों को किया जाय जो खुद काश्त करें। आज ऐसे उदाहरण में आपको बता सकता हूँ जो खुद काश्त नहीं करते और लाखों रुपयों की जमीन दबाये बैठे हैं।

१·१ म० प०

**श्री अध्यक्ष** : आप अपने भाषण को इसी विधेयक तक ही सीमित रखिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : अध्यक्ष महोदय, मैं गलत अर्ज नहीं कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : लेकिन सही बात को भी तो कहने का मौका होना चाहिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : अच्छा साहब, आपकी आज्ञा मान्य है। आप जो बात कहेंगे मैं मानूंगा। आप सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को मान लें, आप हमको खामख्वाह क्यों परेशान करते हैं ?

( हँसी )

# Page No.38



**श्री अध्यक्ष** : दूसरों को भी तो मौका दीजिये बोलने का।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनिट और दीजिये।

यह बात जरूर है कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात को जरूर समझते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं वह पूरी तरह से तो नहीं, कुछ बातें तो उनके दिल में जरूर जंचती है। यह बिल जो वे लाये हैं जरूर कुछ सोच-समझ कर ही लाये होंगे। लेकिन जो मुसीबतें आगे आयेंगी उनको भी ध्यान में रखना चाहिये, अगर आगे आने वाली मुसीबतों का उनको ध्यान होता तो यह बिल वे नहीं लाते। मैंने ये जो चीजें बतायीं और दूसरे माननीय सदस्यों ने बतायीं उनकी ओर माननीय मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। अगर सरकार इन्तजाम ही करना चाहती है तो राजस्थान में आज हजारों भिखारी हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जो बीमार हैं और लोगों के घरों में जाकर बीमारी फैलाते हैं और वहां चीजें चुरा लाते हैं और दूसरों को वहां का भेद बता कर चोरी करवा देते हैं; उन लोगों के लिये सरकार ने इन्तजाम नहीं किया, सरकार के इन लोगों के लिये इन्तजाम करना चाहिये। इस प्रकार का इन्तजाम न करते हुए इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट बिल लाकर जो छोटे छोटे लोग हैं, पुजारी हैं, जो धर्म के नाम पर मन्दिरों की पूजा करते हैं, आपने इसमें मन्दिरों का ही नाम क्यों लिया, मस्जिदों को इसमें क्यों नहीं जोड़ा; उनके नीचे भी तो जमीनें हैं, उनका क्या होगा। अगर आप मस्जिदों के नीचे की जमीन नहीं लेते हैं तो मन्दिर वाले जरूर चिल्लायेंगे, मस्जिद के नीचे की तो जमीन ली ही नहीं, हमारी जमीन क्यों छीनते हैं?

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री) : मन्दिर-मस्जिद दोनों इसमें शामिल हैं।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : (जारी) आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं, मैंने देखा नहीं था।

माननीय अध्यक्ष, मस्जिद भी इसमें शामिल है तो यह और भी बुरा हो गया। पहले तो हमारे से ही लड़ाई थी, अब दूसरे लोगों से भी छिड़ गई है। यह तो अच्छा किया, साथी को साथी चाहिये। माननीय मंत्रीजी ने यह अच्छा कर दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई गलत बात कहता हूं तो वे मुझसे कहें, मैं तो गवर्नमेंट की दिक्कतों को सोच कर बातें कह रहा हूं, आप इन सब बातों पर पहले विचार कर लें और फिर इस बिल को सदन में लाकर रखें। नहीं तो आपकी मरजी, हमारा तो कहने का फर्ज है, सो कह देते हैं: न हमारे मन्दिर हैं और न हमारे मस्जिद है। जब सरकार के सामने दिक्कतें आयेंगी, परेशानियां आयेंगी, तब बाद में पता चलेगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस अमेन्डमेन्ट को लाने से पहले एक बार फिर सोच लें और फिर हाउस के सामने रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

**श्री सूबेदारसिंह** (बाड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अमेंडमेंट बिल पर कल से वाद-विवाद हो रहा है और इस संबंध में जो भी भाषण हुए मैंने उनको सुना है। इस बिल द्वारा सरकार यह चाहती है कि मंदिरों के नीचे जितनी भी जागीर है उसकी आमदनी सरकार वसूल करे और वह मंदिर को सौंप दी जाय। वैसे तो यह बात बिल्कुल साफ है कि मंदिर की जो भी आमदनी होगी

( श्री सूबेदारसिंह )

वह मंदिर को सौंप दी जायगी। जब राजस्थान की सरकार ने जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने का सोचा उस समय उनके दिल में यह बात थी कि जागीरदारी प्रथा से किसानों के दिमाग में कन्फ्युज़न सा है इसलिये इसको दूर करना चाहिये। इसीलिये कानून बनाया गया। मैंने कल से जो बहस इस बिल पर हो रही थी उसको सुना है, उसमें कई माननीय सदस्यों ने यहां तक कहा है कि यदि इस अमेंडमेंट को पास कर दिया गया तो बड़ा बखेड़ा मच जायगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहता हूं कि वैसे जो जमीनें जागीरी के नाम पर मंदिरों के नीचे हैं और जो भगवान के नाम पर मंदिर बने हैं, वैसे भगवान को सब परम पिता मानते हैं, उसका स्थान सब से श्रेष्ठ है। जब कि उस परम पिता की सन्तान ने यह तय कर लिया कि जागीरदारी समाप्त कर दी जाय तो यह एक प्रकार से परम पिता का ही हुक्म हुआ। तो फिर इस प्रकार की जागीरों को खत्म करने में क्या एतराज़ है? भगवान के नाम पर आज मंदिरों में क्या होता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जो लोग भगवान की दुहाई देते हैं, परम ब्रह्मस्वरूप है, वह तो जब उनकी सन्तान ने यह तय कर लिया कि जागीरदारी समाप्त कर देनी चाहिये तो हमें भी चाहिये कि उसको छोड़ देना चाहिये। मैं यह जरूर मानता हूँ कि इस बिल द्वारा केवल यह किया जा रहा है कि जो आमदनी जागीरदार वसूल करते थे वह वसूली सरकार द्वारा की जायगी और हो सकता है कि किसी दिन जब पंचायत राज्य हो, जब गांव की लेवल पर लैंड रेवेन्यु वसूल होने लगे, वह पंचायतों के जरिये अगर वसूल की जायगी तो पंचायतें उस पैसे का उपयोग जनता के विकास के लिये कर सकती हैं। जब पंचायतों के पास इतनी बड़ी आमदनी का जरिया होगा तो पंचायतें विकास कर सकती हैं।

आज धर्म के नाम पर क्या नहीं होता, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं भी आप ही के धर्म को मानने वाला हूँ। मंदिरों में धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं होता? कहने की बात नहीं कि वहां पर धर्म का नाम भी नहीं, ईश्वर की उपासना का नाम भी नहीं, सिर्फ ढोंग रचा जाता है। जो वहां की बड़ी बड़ी आमदनी है उससे वहां के पंडे-पुजारी किस तरह से अपना जीवन-यापन करते हैं, यह हम सब जानते हैं।

बहुत से मित्रों ने मंदिरों की यात्रा के बारे में कहा। रामेश्वरम्, बद्रीनारायण और जगन्नाथपुरी भी गये। वहां पंडे-पुजारियों का तरीका देखा, जबर्दस्ती यात्रियों के मस्तक नीचे झुकाये जाते हैं और वे फिर अपनी जेबों में इसलिये पैसे बजाते हैं ताकि यात्री लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे चढ़ावें। आप करौली की देवी के दर्शन करिये। वहां बलिदान होते हैं और वह सारा पंडे-पुजारियों की लिप्सा को शांत करने के लिये। आप यही हाल दूसरे मंदिरों में देखिये। नाथद्वारा का मंदिर है, कितना जबर्दस्त भोग लगाया जाता है, २॥-३ हजार रुपया भोग के नाम से प्रतिदिन खर्च कर दिया जाता है। पंडों को देखें, कोई साग बना रहा है, तो कोई मिठाई तैयार कर रहा है और सिर्फ इन नामों के आधार पर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और यह आमदनी मंदिर की इस तरह से खर्च कर दी जाती है। पुराने जमाने में राजा को परमेश्वर मानने के लिये कहा जाता था। लोग समझते भी थे, उसके अन्याय-अत्याचार के बावजूद उनको राजा मानते थे, परमेश्वर

( श्री सूबेदारसिंह )

का अवतार मानते थे, लोग उनसे डरते थे उनके खिलाफ कुछ भी कहने में। पर समय आया और ये परमेश्वर भी गायब हो गये। और आज वे और हम सब बराबर हैं। ठीक यही हाल, आज समय आ गया है, होना चाहिये। हमारे इन मंदिरों की आड़ में जनता के धन का दुरुपयोग करने वाले इन पंडे पुजारियों के कारनामों का अन्त करने का जनता प्रयत्न करे। लोग महसूस करते हैं कि जिस प्रकार मंदिरों में भगवान वास करते हैं, उसी प्रकार भगवान आज हम और आपके मनों में वास करते हैं।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : On a point of order, Sir, इसमें बहस का जो सवाल था सिर्फ जमीन के लिये था। पर आप मंदिरों पर बोल रहे हैं! तो अध्यक्ष महोदय, यह विषयान्तर तो नहीं हो रहा है ?

**श्री अध्यक्ष** : ( श्री सूबेदारसिंह से) इस विधेयक द्वारा मंदिरों की आमदनी तो बन्द नहीं की जा रही है। यह बिलकुल दूसरा विषय है।

**श्री सूबेदारसिंह** : क्योंकि जागीरदारी समाप्त की जा रही है, पर उस जागीरदारी को मंदिरों में भगवान के नाम पर कायम रखने की बात कही जा रही है, इसलिये यह बात कहनी पड़ रही है, धर्म के नाम पर बात बिलकुल गलत मालूम होती है। इसलिये निवेदन कर देना चाहता हूं कि मंदिरों में आज जो सुधार की परिपाटी चल पड़ी है उसे चलाये रखना चाहिये और इनकी आड़ में जो जागीरदारी पनप रही है उसे अवश्य समाप्त कर दिया जाना चाहिये। इतना कह कर मैं सदन के मित्रों को अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस अमेंडमेंट को पास करने की इजाजत दें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय........

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : मैं बोलना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप कोई खड़े नहीं हो रहे थे इसलिये ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : आप बहुत जल्दी में खड़े हो गये, मैं उनके समाप्त करने की इन्तजार में था।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें मंदिर और मस्जिद सबका समावेश किया गया है, दोनों में कुप्रबन्ध है। इस बिल का जो उद्देश्य बताया गया है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। मन्त्री महोदय उसे जैसा बताते हैं वैसा नहीं है। इसमें दिया गया है :

किन्तु महन्त तथा पुजारियों के कुप्रबन्ध को देखते हुए यह वांछनीय समझा गया है कि ऐसी जागीरों का भी पुनर्ग्रहण कर लिया जाये और उनकी जो शुद्ध आय हो उसे वार्षिक आर्थिक सहायता के रूप में दे दिया जाय।

तो मेरी समझ में नहीं आता कि बाकी बचे जो लोग हैं उनमें क्या कुप्रबन्ध नहीं है ? उनको क्यों नहीं उसमें शुमार किया गया ? और जब मस्जिदों के नीचे जो जमीनें हैं उनका कोई कुप्रबन्ध नहीं है तो उनको किस आधार पर लिया जा रहा है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है। अगर यह स्पष्ट है कि केवल मन्दिरों, मठों की जमीन ही

# Page No.41



( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

ली जा रही है और बाकी को छोड़ा जा रहा है तो यह भी मन्त्री महोदय के देखने की बात है।

दूसरी बात यह है कि वास्तव में जैसा कल कहा गया था और मन्त्री महोदय ने स्वयं ने कहा था कि यह एक इन्नोसेन्ट बिल है और एक छोटे से उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त इसको सदन में लिया गया है, लेकिन यह बात मन्त्री महोदय ने स्वयं ने कही थी कि आगे आने वाला बिल जो है यह उसकी पूर्व भूमिका के समान है। मन्दिर की व्यवस्था में....

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने कल नहीं कहा था कि यह बिल आगे आने वाले बिल की पूर्व भूमिका है। I think, I never said like that. I said that it is quite independent of that Bill.

इस तरह से इन्टरप्रेट करना उचित नहीं है। I never said like this.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : जहां तक प्रबन्ध के सम्बन्ध में बात है वह अलग बिल के रूप में है, वही कही है मैंने। तो मेरा इस संबंध में यही कहना है कि मन्दिरों के जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं और जो शताब्दियों से चली आ रही हैं, आज तक इस राज-सत्ता के कन्ट्रोल से अलग रही हैं, आज तक किसी ने इनकी आन्तरिक व्यवस्था पर आघात नहीं किया है। अब अगर इस कानून के द्वारा इस पर राज-सत्ता का अधिकार हो गया तो देश में इस प्रकार की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहेगी, कोई ऐसी स्वतन्त्र व्यवस्था नहीं रहेगी जो लोगों को निर्भीक रूप से नैतिकता की शिक्षा दे सके और राजसत्ता पर भी उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिये आलोचना कर सके और उस पर अंकुश रख सके।

जैसा अभी कहा गया कि हम ईश्वर को परम पिता मानते हैं। पर उसको परम पिता मान कर भी हम इस कानून के द्वारा पिता पर भी कब्जा करने की हिमाकत करने जा रहे हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता में यह है कि हम पिता के द्वारा ही अपनी जीविकार्जन अथवा अन्य कार्यों को सम्पादन करते हैं, पर आज इस कानून द्वारा हम पिता पर भी हावी होने जा रहे हैं।

दूसरी बात जो सबसे बड़ी होगी वह यह कि आज ये महन्त वगैरह सरकार की कठपुतली बन जावेंगे और इनका चुनावों वगैरह में दुरुपयोग आज की सत्ताशील सरकार की पार्टी किया करेगी। आज छोटी-छोटी बातों के लिये उन महन्तों और व्यवस्थापकों को तहसील का मुंह देखना होगा, वहां से ही अपना पैसा लेना होगा और आजकल इन तहसलो हैड क्वार्टरों में तहसील अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो रवैया अपनाया जा रहा है वह सर्व विदित है।

इनकी आमदनी पर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ लगाये जावेंगे! इसका साफ मतलब है कि इस आमदनी पर भी इन्डाइरेक्ट वे में सरकार टैक्स लगाने जा रही है। जिस आय का एक पैसा लेना लोग पाप समझते थे उस धर्मादे की आय पर, मन्दिरों की आय पर, सरकार टैक्स वसूल करेगी! ये कहते हैं, हम धर्म निरपेक्ष हैं, मन्दिरों पर कोई टैक्स नहीं लगाते और उन पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते, पर इस तरह से सरकार उनकी आमदनी के सुप्रबन्ध के नाम पर इन्डाइरेक्टली टैक्स लगाकर हस्तक्षेप करने की दिशा में तेजी से बढ़ना चाह रही है। इस प्रकार

# Page No.42



( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

सरकारी नियन्त्रण में, सरकारी नौकरशाही के नीचे मन्दिरों को कर देना कतई वान्छनीय नहीं है।

जनतन्त्र के युग में प्रत्येक व्यक्ति को लिखने, बोलने और कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता है और यह स्वतन्त्रता सभी गैर सरकारी व्यक्तियों को है, सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार की छूट अवश्य नहीं है। वे कोई अपना संगठन नहीं कर सकते; राजनीति में भाग नहीं ले सकते, राजनैतिक विश्वास के साथ किसी पार्टी विशेष के कामों में हिस्सा नहीं ले सकते, और अब मन्दिरों के व्यवस्थापक आज तक विचारों और कार्यों की स्वतन्त्रता का उपभोग करते आये हैं पर अब इन पर सरकारी हस्तक्षेप हो जाने के बाद और इसकी व्यवस्था पर इस नौकरशाही का अंकुश आ जाने के बाद, सरकारी कर्मचारियों के आधीन वे हो जावेंगे, अब कोई भी महन्त या किसी मन्दिर का व्यवस्थापक सरकारी दल के विरुद्ध अपना मत व्यक्त नहीं कर सकेगा। अगर ईमानदारी से आलोचना करना चाहे या विरोध भी करना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकेगा, अगर कोई करने की हिम्मत करेगा तो निश्चय ही मन्दिरों की आय पर अनुचित रूप से प्रतिबंध डाले जावेंगे और उनको जलील किया जावेगा। यह आज तक के इस नौकरशाही के कारनामों से स्पष्ट है।

इसके अलावा जागीर रिज़म्पशन के वक्त अन्य जागीरदारों के दूसरे अनेकों क्लेम्स पर विचार किया गया था, उनकी अन्य आय के सभी श्रोतों को कम्पेन्सेशन में गिना गया था, पर इस कानून में यह सुविधा इन जागीरों को भी मिलेगी, इसका इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

मन्दिरों की व्यवस्था में हो सकता है, वहीं कोई अव्यवस्था या गड़बड़ी होती हो, कहीं लगान अधिक वसूल करते हों या कहीं झगड़ा-फिसाद कोई करता हो तो इसका प्रबन्ध किया जा सकता है; फिर आज तो लगान वसूली की दरें निश्चित हैं, अगर कोई महन्त ज्यादती करता है तो इस सम्बन्ध में ऑलरेडी कानून बने हुए हैं, उनके मातहत उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। पर इन बातों की आड लेकर सरकार आज इस कानून को पास करने जा रही है जो अनुचित है। सरकार को इस बिल को वापिस ले लेना चाहिये। यह कानून सत्तारूढ़ दल की राजनैतिक स्वार्थपूर्ति का एक साधन मात्र है। कम से कम हमें इस क्षेत्र में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इसलिये मैं यही माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को पास न होने दें और सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसे वापिस ले ले।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कल सदन में जब सेकिंड रीडिंग पर बहस हो रही थी और बहस का उत्तर जब मैं दे रहा था तो मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस बिल का उद्देश्य जो है वह जागीर रिज़म्पशन एक्ट जो ओरजिनल है उसमें साफ है कि हम इन्टरमीजिएरी कायम नहीं रखना चाहते। पहले जागीर रिज़म्पशन के वक्त रिलीजियस जागीरों को एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया था, पर अब उनको भी हटाने के लिये महज यह अमेंडमेंट है। पर मुझे सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज थर्ड रीडिंग के वक्त जो भाषण इस सम्बन्ध में हुए उनमें वक्ता यह बिलकुल भूल गये और केवल मिसमैनेजमेंट को लेकर काफी बहस कर दी। वैसे आज की बहस में, मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ बातें कही गई और

श्री दामोदरलाल व्यास )

यह भी कहा गया कि इसको समय देना चाहिये, सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये, ताकि कुछ अमेंडमेंट वे दे पाएं। कल बाड़मेर से आनेवाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्लॉज बाइ क्लॉज लेने पर अमेंडमेंट लावेंगे, मगर आपने यह देखा होगा कि आज और कल जितने भी भाषण हुए किसी क्लॉज में किसी भी माननीय सदस्य ने एक भी अमेंडमेंट पेश नहीं किया। यहीं तक नहीं अमेंडमेंट पेश करना तो दूर रहा लेकिन कोई भी सुझाव भी नहीं आया कि इसमें यह खराबी है। किसी माननीय सदस्य ने यह बात नहीं कही सिवाय इसके कि इससे धर्म का नाश होगा, मंदिरों की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जावेगी और यह भी कहा गया कि आन्दोलन होगा, एक बहुत बडा अन्दोलन होगा, यह केवल धमकी ही नहीं, बल्कि सचमुच में बड़ा आन्दोलन होगा, इस तरह की बातें मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने भावनाओं में बह कर कही हैं। जिस उद्देश्य को लेकर जागीर रिज़म्पशन हुआ उसी उद्देश्य से यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसके सिवाय और कोई दूसरा उद्देश्य है नहीं। यह बार बार कहा गया है कि यह तो हिन्दुओं के ऊपर प्रहार है, मंदिरों के ऊपर प्रहार है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जब किसी कानून में तरमीम लाई जाती है तो माननीय सदस्य कम से कम ओरिजिनल बिल को तो पढ़ लेने की कृपा करें। न तो केवल इसमें हिन्दुओं का सवाल है, न सिक्खों का, न मुसलमानों का और न पारसियों और न ईसाइयों का और न औरों का। यह तो जागीर रिज़म्पशन अमेंडमेट बिल है। इसमें साफ है कि जागीर रिज़म्पशन में जो एग्ज़म्पशन कर दिया गया था उसको हटा कर उन पर लागू किया जा रहा है। उस एक्ट में साफ डिफाइन किया गया है कि जागीरें कैसी होंगी, तनख्वाहदार होंगी, मनसुखदार होंगी, माफीदार होंगी, भोम होंगी, इसमें ४१ किस्म की जागीरों को डिफाइन किया गया है; उसका चाहे होल्डर कोई हो; चाहे मुसलमान हो, चाहे हिन्दु हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो।

**श्री मदनसिंह दांता** : ऐसी बात नहीं है, इसमें अध्यक्ष महोदय, अगर जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि सन्त-महन्त हैं लेकिन काजीजी होते तो हम जानते।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं ओब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स की बात कर रहा हूं। इसमें ४१ तरह की डेफिनिशन है। अगर ४१ तरह की ग्रान्ट्स हैं तो ओब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में इस प्रकार सारों को नहीं दिखाया गया है और सारी चीजों को दिखाने की बात भी नहीं हो सकती, अगर जहां सन्त-महन्त लिख दिया तो अगर कोई काजी है, अगर कोई गुरुद्वारा है और आपके अनुसार इसमें नहीं आता है तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें यह प्रोविज़न किया हुआ है कि कोई भी रिलीजियस जागीर हो, किसी भी धर्म की हो, इसमें सब शामिल हैं। केवल यह कहना कि चूंकि केवल इसमें संत महन्त लिखा है, इसलिए दूसरो का इसमें समावेश नहीं होगा, जो हिन्दू न होकर मुसलमान हैं, पारसी है, सिक्ख आदि हैं; तो मैं इसको साफ कर देना चाहता हूँ और वैसे यह साफ है।

दूसरा यह कहा गया, जैसे लैंड रेवेन्यू असेस हो रही है जागीरदारों से, वैसे ही इन मंदिरों से भी होगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं और जैसा पहले भी अर्ज किया कि माननीय

( श्री दामोदरलाल व्यास )

सदस्य जिन्होंने ऐसी बात कही थी वे यहां मौजूद हैं, अगर वे दफा ४ को गौर से पढ़ते तो उनको कहने की जरूरत नहीं होती कि ऐसा कर रहे हैं कि जिससे उनकी रेवेन्यू सरकार को असेस होगी; इसमें साफ है :

"Provided that nothing contained in this section shall apply to any jagir land-(A) the income of which is utilised for the maintenance of any educational institution or any place of religious worship or for performance of any religious service......" एग्ज़ेम्पशन में साफ है कि लैंड रेवेन्यू असेस नहीं होगी। लेकिन माननीय सदस्य ने यह बात कह दी।

तीसरी बात है, हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि........

**श्री मदनसिंह** (दांता) : इसमें डिस्क्रिमिनेशन है। जागीर रिज़म्पशन में नहीं है और इसमें है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : किस बात का ?

**श्री मदनसिंह** (दांता) : धर्म के लिए विशेषता रखी गई, एक है संत–महंत।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप समझते होंगे। धार्मिक जागीरों में, सरकार का इरादा नहीं है कि उनकी आमद को सरकार के खजाने में लेवे। सिर्फ महज इस वजह से यह लाया गया है कि जो इन्टरमिजियेरीज़ हैं वे न हों। खुद माननीय सदस्य ऐसी बात मानते हैं कि जागीरी प्रथा नहीं रहनी चाहिए। जब वे इस चीज को मानते हैं तो फिर एक जागीरदार और एक धार्मिक इन्स्टीट्युशन के जागीरदार में क्यों फर्क करते हैं ? आप यह कह सकते हैं कि मंदिरों के इन्तजाम में दखल नहीं होना चाहिए।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय .. ....

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Mr. Speaker, Sir, this is not porper that I should be disturbed like this. If the Hon'ble Member has to say anything he should say later on.

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : मेरा निवेदन है कि जब इसमें बात आई है तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि संत–महंत के जो लफ्ज़ हैं उनको इरेज़ कर दें और उनके साथ में "मस्जिदों के और जैनियों के" ये शब्द जोड़ दें, तो इसमें हर्ज क्या है ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इसके ओब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स को अगर देखें तो साफ है.....

**श्री अध्यक्ष** : हिस्सा है, और स्पष्ट कर दीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : जागीरी लैंड की डेफिनिशन है। शिड्यूल में ४१ तरह की जागीरें दी हुई हैं, उसमें सब शामिल हैं। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी कौम की जागीर हो, किसी कौम का जागीरदार हो, उसमें शामिल होता है। इसमें यह नहीं है कि यह तो हिन्दुओं की जागीर पर होगा, या मुसलमानों की ही जागीर पर होगा।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : इरेज़ क्यों नहीं कर दे ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : इरेज़ करने की जरूरत नहीं है और न इरेज़ किया जा सकता है। इसके लिये वैधानिक तरीका नहीं है।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : आज तक क्या नहीं किया ? ऐसी कौन सी बात है कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी में भी नहीं भेज सकते थे।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अगर कल आप सारी बातें सुन लेते तो आपको मालूम हो जाता। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। खैर, न दोहराते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक हिन्दू धर्म के ऊपर ही यह लागू होगा, यह उचित नहीं है जब कि यह सब धार्मिक स्थानों पर लागू होगा, जितनी भी रिलीजियस इन्स्टिट्यूशन्स हैं उन पर लागू होगा।

तीसरी बहुत जोर शोर से यह बात कही गई है हमारे माननीय सदस्य द्वारा, जो दूदू क्षेत्र से आये हुये हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रहे हुए हैं, तजुर्बेकार हैं, मैं उस सम्बन्ध में फिर प्रार्थना करूंगा कि इस बिल के स्कोप को देखा जाय। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जब यह पास हो जायगा तो गवर्नमेंट रिलीजियश इन्स्टीट्यूशन्स को उनकी नेट इन्कम देगी। आप इस सम्बन्ध में सेक्शन ७ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें साफ है :

"Notwithstanding anything..."

सेकेन्ड शिड्यूल का सब-सेक्शन है :

"Notwithstanding anything contained in this Act where any jagir lands are held, whether directly or as a grant from a Jagirdar for the maintenance of on institution for educational or chairtable purpose, the Government shall pay to such institution by way of compensation an annuity in perpetuity equal to an amount to the net income from such jagir lands in the basic year."

बेसिक इयर में जो नेट इन्कम है उसमें १० पर्सेन्ट रिडक्शन है और वह भी है मैनेजमेन्ट चार्जेज़ के लिए।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : How many years ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : In perpetuity, that is the whole thing. We have not said that it will be paid for limited number of years, we have said it well be paid in perpetuity.

मैं इसके बाद यह नहीं समझ पाया कि इसमें एतराज फिर किस बात का रह जाता है ?

**श्री मदनसिंह** (दांता) : एतराज यह है, फिर अमेंडमेंट ले आवेंगे। हम आपसे यह डेफिनेट चाहते हैं कि वास्तव में यह चीज़ है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं डेफिनेट कह रहा हूं।

**श्री मदनसिंह** (दांता) : पहले भी ऐसा कहा गया था कि मन्दिरों की जो जागीरें हैं वे खत्म नहीं होंगी। लेकिन यह अमेंडमेन्ट बिल आ गया। इस तरह से आयन्दा सौ तक गिनती पहुँच जावेगी। यह ९२ वां अमेन्डिंग बिल आ गया है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आयन्दा जाकर क्या आवेगा, वह तो मैं नहीं कह सकता। जिस उद्देश्य से यह बिल आया है इसमें इन पर्पेच्युइटी नेट इन्कम देने का कहा गया है। १०० वर्ष के बाद क्या होगा, अमेन्डमेंट आ जावेगा, उसके लिए आप स्वयं क्या कर सकते हैं ? खास तौर पर बैराठ से आये माननीय सदस्य ने बहुत जोर-शोर

( श्री दामोदरलाल व्यास )

से बहस की और जैसा कि वे करते ही हैं और इमानदारी से कह भी देते हैं कि मैंने बिल पढ़ा नहीं है, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं।

( हंसी )

उनको कहना चाहता हूँ कि इस बिल के द्वारा मन्दिरों की आमदनी को छीन नहीं रहे हैं बल्कि उनकी ही आमदनी को वसूल करके हमेशा के लिये उनको देना चाहते हैं।

अब रहा सवाल इस बात का कि मन्दिरों की क्या व्यवस्था होगी और क्या व्यवस्था नहीं होगी। मैंने कल अर्ज किया था कि इस व्यवस्था से अभी हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : मैं एक मिनट में बता दूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप सुनिये तो सही।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : मैं अर्ज कर दूं। मेरे कहने का मतलब यह था कि आप जमीनें सारी की सारी उनकी ले लें, परन्तु जो आज मन्दिरों की इस वक्त मोजूदा व्यवस्था है वह तो बदस्तूर जारी रहे, इस बिल में लाकर रखें, फिर चाहे जमीनें उनकी ले ली जावें। मन्दिर वाले भी परेशान जरूर हैं। परन्तु मन्दिरों के पुजारियों को १०) १५) या २०) रुपये मासिक तो तय कर दिये जांय। उसके बाद में सरकार पूरी इन्कम ले ले तो कोई एतराज नहीं होता। उनकी व्यवस्था सरकार पहले करती और उसके बाद में जमीनें लेती।

**श्री अध्यक्ष** : यही तो कर रहे हैं।

**श्री मदनसिंह दांता** : वह रोते फिरेंगे और मन्दिरों की घन्टियां सब बन्द हो जायगी।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : पहले देने की बात इस मौजूदा बिल में रहती तो ठीक रहता, महाराज। फिर रिश्वत का आज बोल बाला है। तो इसलिये अर्ज करता हूँ कि आप २०)रुपया महीना ही तय कर दें एक पुजारी के लिये या कुछ भी तय कर दें और फिर उनकी जमीनें ले लें तो वे ज्यादा सुखी होंगे, वे गवर्नमेंट के नौकर बन जायेंगे। अगर गवर्नमेंट ले लेगी उन छोटे छोटे मन्दिरों को तो हम सोचेंगे कि बहुत अच्छा इन्तज़ाम राजस्थान सरकार की ओर से आवश्यक है।

**श्री अध्यक्ष** : उनका मतलब यही है कि जमीनें लेने के पहले वे निर्धारित कर दें तो उनको सुविधा रहेगी।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मेरे अर्ज करने का यही मतलब है कि माननीय सदस्य अगर पर्पेचुएटी का मतलब नहीं समझते हैं तो मैं उनको बता दूं कि मन्दिरों को सारी आमदनी मिलती रहेगी हमेशा।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : परन्तु मैं कहता हूँ कि सारी आमदनी नहीं चाहते हैं। आप वैसा क्यों नहीं करते हैं? आप जमीनों को लेने के पहले उनकी व्यवस्था कर दें।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप कौन से महन्त की तरफ से बात कर रहे हैं?

( हंसी )

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : मैं खुद ही महन्त बन जाऊं अगर आप बना लें।

**श्री मदनसिंह** ( दांता ) : यह सत्य बात है कि आप पहले इन्तजाम कर दें, बाद

( श्री मदनसिंह दांता )

में उनको खत्म किया जाय । इसलिये डिले चाहते हैं ।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : आप इन्तजाम इसी बिल में कर दें और फिर उनकी जागीरें ले लें ।

**श्री अध्यक्ष** : मिनिस्टर साहब के कहने से आपको बखूबी मालूम हो गया होगा कि उनकी क्या भावनाएं हैं ? उनको जवाब देने दें ।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : मिनिस्टर साहब की भावना होनी चाहिये; उनकी भावना से काम चलेगा ।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : बिल के उद्देश्य के बारे में मैंने कल अर्ज कर दिया था । इस बिल का यह उद्देश्य नहीं है । मैं यह समझता हूँ कि इस बिल के द्वारा कोई प्रोपेगेण्डा करना है तो कोई एतराज़ नहीं है । यह प्रोपेगेण्डा आप करना चाहते हैं धर्म के नाम पर दूसरी बातें कह कर ।

**रावल श्री नरेन्द्रसिंह** : हमारी तरफ से कभी यह विचार नहीं है...

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि बार बार में इस तरह से डिस्टर्ब किया जाऊं ।

बार बार मैं कह चुका हूं और बिल में यह साफ किया गया है कि नेट इन्कम हर रिलीजियस इन्स्टीट्युशन को दी जायगी । बार बार यह कहा जा रहा है कि मन्दिरों में हस्तक्षेप होगा, उनकी सेवा-पूजा में यह करेंगे, उनके भोग विलास में यह करेंगे, इस का इस बिल से कोई संबंध नहीं है । इस के पॉवर्स गवर्नमेंट नहीं ले रही है । इसमें सीधी सी बात इतनी है कि गवर्नमेंट उसका लगान और आमदनी, बजाय महन्त और पुजारी वसूल करें, खुद वसूल करेगी और वसूल करके मन्दिरों को दे देगी । इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है । बिल के अन्तर्गत यह है कि जिसकी जागीर ली जाय उसकी एनुएटी तय हो सकती है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी । एनुएटी मिलने में दिक्कत की कोई बात नहीं है । ग्रॉस इन्कम के हिसाब से उसको पास करेंगे । रिज़म्शन से पहले उनको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि हिसाब पेश करें । रिजम्शन के इमीजियेट बाद हिसाब पेश करेंगे और जो उनकी इन्कम है उसमें १० पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ निकाल कर उनकी एन्युटी तय हो जायेगी । उसमें कोई झगड़े की बात नहीं है कि लैण्ड रेवन्यू तय होगी, कॉन्ट्रीब्यूटरी फन्ड निकालना होगा । Thers is absolutely nothing in this Bill except 10% reduction on account of management charges.

इसलिए उसमें दिक्कत नहीं आती है कि एन्युटी तय होने में दिक्कत होगी या यह रेन्ट लगेगा । यह कहना कि मेनेजमेंट में दखल होगा मैं यह समझता हूं कि इसकी प्रोपेगेण्डा वेल्यु हो सकती है । वास्तव में उसका इस कानून से कोई संबंध नहीं होगा । यह कहना कि बहुत बड़ा आन्दोलन होगा और जनता यह समझेगी: तो जनता को हम भी समझायेंगे कि कानून के अन्दर क्या है । माननीय सदस्य जिनको इस बात का ख्याल है कि वे जनता को गुमराह कर सकते हैं, और यदि गुमराह करेंगे तो हम उनको सही रास्ता भी बता देंगे कि इस मामले में दरअसल क्या है, यह क्या कानून है और इसके जरिये हम धार्मिक संस्थाओं के इन्तजाम में क्या दखल दे रहे हैं ।

**श्री सरदारसिंह** : क्या........

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I will request that there should be no disturbance.

**श्री अध्यक्ष** : You can hold the floor.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : (जारी) कल मैंने अर्ज किया था कि हिन्दू रिलीजियस ट्रस्ट बिल सदन के सामने आ रहा है उसमें मुफस्सिल बात रखी हुई है कि धार्मिक संस्थाओं का इन्तजाम किस तरह से होगा; किस तरह के ट्रस्ट होंगे और किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होगा ? उस समय माननीय सदस्य को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। उस वक्त आप और हम बैठकर मन्दिरों में, धार्मिक संस्थाओं में इन्तजाम किस तरह से अच्छा हो, सेवा-पूजा का इन्तजाम अच्छा हो और वे धार्मिक संस्थाएं सच्चे अर्थ में धार्मिक संस्थाएं हों, उस बिल के प्रसंग में विचार करेंगे। उस वक्त वे एमेंडमेंट लायेंगे, और यदि वे ठीक सुझाव होंगे तो मैं मानने को तैयार हूंगा। इस बिल का उनसे कोई संबंध नहीं है। भाषण जो हुए हैं वे हो चुके हैं। मेरा खयाल है कि इस बिल की थर्ड रीडिंग को पास किया जाय।

**श्री मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया था, वह बड़ा अच्छा तरीका था कि पहले बन्दोबस्त हो जाय और उसके बाद में कोई हिसाब हो। उसके नहीं होने से निश्चित रूप से जो दिक्कतें जागीरदारों के सामने आई थीं वे आयेंगी। जागीरदारों के अच्छे २ कामदार हिसाब दे रहे हैं लेकिन वे आज तक मुआवजा नहीं चुका सके हैं तो वे बिचारे पुजारी किस तरह से कर सकेंगे। वे वहां मन्दिरों में पूजा करेंगे या यहां मुआवजा ड्रॉ कर लेंगे। सेटल्ड रूप से पहले पांच साल का प्रबन्ध हो जाता और फिर उनका रिज़म्पशन होता तो वह दूसरी चीज ठीक होती। यह एक साथ धांधली है जो आज तक होती आई है।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय ने कहा है कि उनको दिक्कत नहीं होने दी जायगी।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैं एक बार और अर्ज़ करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बार बार यह जो फर्मा रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनको तकलीफ न हो। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सारे जागीर रिज़म्पशन एक्ट के अन्दर कोई कन्स्ट्रक्टिव सुझाव हों जिससे कि सहूलियत पहुंचे, वह मैं हर वक्त मानने को तैयार हूं। हमारे माननीय सदस्य भी सुझाव दें और आयन्दा देंगे और वह ठीक हुआ तो अवश्य उनके सुझाव को मानने को तैयार हूँ और यदि उनका सुझाव यह हो कि उसमें तरमीम की जाय और यदि वह ठीक है तो उस तरमीम को भी हर वक्त मान सकता हूं। हमने जागीर एडवाइजरी कमेटी इसी उद्देश्य से बनाई है। इसके अलावा और भी माननीय सदस्य जब कभी चाहें सुझाव दे सकते हैं और बहुत खुशी के साथ मैं उनके सुझावों को, अगर वे ठीक होंगे और वास्तव में उससे कोई दिक्कत जागीरदारों या इनसे संबंधित लोगों की मिट सकेगी, मानकर, अगर आवश्यक हुआ तो तरमीम कर सकूंगा। जहां तक इस तरमीम का संबंध है आपकी तरफ से कोई तरमीम आई होती, कोई एमेंडमेंट होता जिससे कि जो दिक्कतें बताई गई हैं वे दिक्कतें मिट सकती तो जरूर उस बात को मानकर मन्जूर करता। एमेंडमेंट पेश नहीं हुआ, दिक्कतें क्या होंगी, वे बताई नहीं जा रही हैं। ऐसी सूरत में कोई कॉन्क्रीट बात नहीं है तो मैं नहीं समझता हूं कि सदन के

( श्री दामोदरलाल व्यास )

अन्दर उस एमेंडमेंट में, मैं क्या कर सकता हूं, आयन्दा भी जो कोई भी चाहे वह सुझाव दें तो मैं उनका बहुत अभारी हूंगा, लेकिन वे अच्छे सुझाव देंगे कि जिनके द्वारा लोगों की दिक्कतें मिटेंगी, तो मैं अवश्य मानूंगा और मान कर कार्यवाही करूंगा।

**श्री मदनसिंह** (दांता): अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देने को तैयार हूँ लेकिन वे सुझाव कानून में आ जाते तो ठीक होता। राजस्थान में ५ वर्ष में ५ मिनिस्टर बदलते हैं और मुझे विश्वास नहीं होता कि बड़े काम के प्रस्ताव को आपके खुद के बाद में........

( घंटी )

**श्री मुक्तिलाल मोदी**: माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्रीजी को बता रहा हूँ कि सारी जमीन लेलें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

( घंटी )

**श्री अध्यक्ष** : आप जो चाहते हैं वह तो बता दिया।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्रीजी को बतला रहा था कि उनकी सारी जमीनें ले लें हमें कोई एतराज नहीं....

**श्री अध्यक्ष** : आपने अच्छी तरह से बता दिया, वे समझ गये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : आपने बता दिया, बहस कर ली और दो-तीन बार दोहरा दिया।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : मेरी बात का जवाब नहीं दिया।

**श्री अध्यक्ष** : Order please जवाब दे दिया। जो कोई सुझाव आपकी तरफ से या एडवाइजरी कमेटी की तरफ से आयेंगे उन पर जरूर ध्यान दिया जायगा।

प्रश्न यह है कि "दि राजस्थान लेंड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स ( सिक्स्थ अमेंडमेंट ) बिल १९५७" पारित किया जाय।

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

१.४१ म० प०

**राजस्थान भूमि-सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण ( सप्तम संशोधन ) विधेयक, १९५७**

( विचार-विमर्श स्थगित )

**श्री अध्यक्ष** : सेवन्थ अमेंडमेंट।

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ): माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करूंगा कि इसके बारे में आपस में कुछ विचार-विमर्श हो रहा है, इसलिये इसको बाद में लिया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट भी आपका है। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल।

१.४२ म० प०

**राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७**

( प्रवर समिति को )

**श्री दामोदरलाल व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

# Page No.50



**श्री श्रीभानसिंह** : I have an amendment to move.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I think, Mr, Speaker, I would accept the amendment regarding reference to Select Committee.

**श्री श्रीभानसिंह** : My amendment may be read out because it is a bit different.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : Then you can move your amendment.

**श्री अध्यक्ष** : His motion is :

"Under Rule 199, I move that the Rajasthan Urban Improvement Bill, 1957 be referred to Select Committee in order to study whether the provisions of the former Bill can be incorporated in the Rajasthan Municipalities Bill or not."

यह है इनका अमेन्डमेन्ट, आप बोलिये इस पर।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मन्त्री) : You should move your amendment.

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : सिलेक्ट कमेटी को कुछ स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन्स होनी चाहिये। If we look to the statement of object and reasons of this Bill we find that there are certain abandoned areas for which the Government wants to move this Bill. I have not been able to understand whether these abondoned areas form a part of any local body or not ? I presume that these abandoned areas must be under the Municipal Board or a Panchayat or some other local body. The second question is of lack of funds. Therefore, improvement schemes have not been taken up. My specific contention is, how new trust, that the Government wishes to construct or wishes to bring about through this Bill, will be? Will this trust have its own funds? There are four heads under which these trusts will have its own funds, viz. Government grant-in-aid or from the sale of land, or borrowing or contribution from the municipal boards. Looking to the functions of the trusts they are all the same which can conveniently be performed by a Municipal Board. Therefore, taking all these facts into consideration and if we look to the other countries also we find that town development and planning is a specific function of the local body. There is no need to create a separate trust and levy separate taxes. That is why I want that the provisions of this Bill must be incorporated within the Municipalities Bill, otherwise the result will be that in a particular area there will be these two bodies which will compete with each other. There will be rivalries, competition and waste. Again when there is a dispute they will go to the State Government for decision. Then in this Bill it has been provided that after the town has been developed or improved all the functions of this trust will be transferred to the municipal board. So the Municipal Act will serve

( श्री श्रीमानसिंह )

the purpose of this Bill also. This Bill is neither original nor contains anything different. So all these provisions which can easily be incorporated into the Municipalities Bill, we must incorporate them in the Municipalities Bill and thereby entrust the municipalities with the functions of development of cities and towns. I suggest that development and planning should be made an obligatory function of the municipal boards.

There would not have been any haphazard development of Bharatpur town but for the lack of this function. What happened? People took money under the Low Income Group Housing Scheme and what happened? When the houses were constructed, they were constructed some facing towards North, others towards South and the rest towards East and West; as no scheme of development was there. I enquired from the Municipal Board and they said they do not have any function in that respect. Whether these functions will be entrusted to a trust in Jaipur or Jodhpur or Bikaner, Udaipur or Kotah-five cities of Rajasthan, we do not know; but for which we are going to legislate and waste time and money. It may be that these trusts are going to be created for those who wish to be favoured and provided with jobs. They may do that. I enquired, how many planners are there? There are hardly one or two experts here. Even if we pass this Bill and trusts are established, there will not be sufficient experts. So this Bill is passed and trusts constituted-that will be useless. If we see to the constitution of a trust we find that there is the chairman of the municipal board as a member. Then one more member of the Board will also get representation on this trust. I, therefore, say why these functions could not be conveniently carried out by the Municipal Board? We may have an expert Committee for this. The Board may take expert advice through the engineers and expert Committee and discharge those very functions for which the Rajasthan Government wishes to bring about these trusts. Thus we will not only economize expenditure but will also increase funds of the municipalities. It is by sale of lands that the municipal board derives its income. At present the finances of the Municipal Board are at a hopeless stage. We should give them inereased sources of income and not divide the income between this trust and the muncipal board; otherwise the result will be that both will be poorer. Therefore, these lands sold by the municipal board will bring double income to the Board while the expenditure will be saved on account of the Chairman and staff that this trust

( श्री श्रीमानसिंह )

wiil have to maintain. I, therefore, want that all the provisions of this Bill should be incorporated into the Municipalities Bill.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : So far as this amendment of the Hon'ble Member is concerned it is not in accordance with the Rules of Procedure. Rule 98 says, "When a Bill is introduced or on some subsequent occasion, the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his Bill, viz.

(a) that it be taken into consideration by the Assembly either at once or at some future day to be then specified; or

(b) that it be referred to a Select Committee; or

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by a date to be specified in the motion."

So far as the amendment which the Hon'ble member has moved is concerned, it is not in accordance with the rules. He says that it should be referred to a Select Committee to study whether the provisions of the aforesaid Bill can be incorporated into the Rajasthan Municipalities Bill or not. Reference to a Select Committee should be made unconditionally and the Select Committee should be left to exercise its discretion and to suggest anything that the members of the Select Committee desire in this Bill. Therefore, I would respectfully submit that this amendment is not in accordance with the rules and should be rejected without putting up before the House.

**श्री श्रीमानसिंह :** The amendment has already been moved and you have accepted it.

**श्री अध्यक्ष** : He has accepted only to the extent that it should be referred to a Select Committee. He has accepted the amendment regrading Select Committee and not the conditions attached thereto.

**श्री श्रीमानसिंह** : The House has supreme power. The House has power to give any directions to the Select Committee. These may be rejected but on a vote of the House and not because the Hon'ble Minister says so. It is in order and I don't see any provision disallowing this.

**श्री अध्यक्ष** : He says, "under the rules it is not permissible." Under which rule your amendment comes in ?

**श्री श्रीमानसिंह** : The Bill referred to the Select Committee must be referred to it with some purpose. There must be some purpose- to incorporate certain provisions. The House is at liberty to give any directions to it and I, therefore, suggest that the House should give directions to the Select Committee to study whether its

( श्री श्रीमानसिंह )

provisions could be incorporated with the Municipalities Bill.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** The Select Committee has the same power as this House possesses so far as the passing of this Bill is concerned. So the question of giving any directions does not arise. The Committee will exercise all the functions that the House possesses.

**श्री तनसिंह** ( बाड़मेर ) : माननीय अध्यक्ष, यह मोशन आया है, इसकी गलत एनौलॉजी है। सिलेक्ट कमेटी के पास पॉवर्स नहीं हैं, जो हाउस के पास में हैं। हाउस सिलेक्ट कमेटी को भेजता है और वह रिपोर्ट करती है।

**श्री अध्यक्ष :** That is a miniature House.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** All the procedure that is meant for the House is adopted by the Select Committee.

**श्री तनसिंह** ( बाड़मेर ) : माननीय अध्यक्ष, मेरा निवेदन यह है कि हाउस कॉम्पीटेन्ट है इस बात के लिए कि डाइरेक्शन दे सके सिलेक्ट कमेटी को। इस लाइट से इस बात को सोचें। मेरे ख्याल में जितनी कमेटीज़ बनती हैं, उनके साथ उनके फंक्शन डेस्क्राइब किये जा सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी के बारे में जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, उनके बारे में माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि इसमें नहीं आता। यह नहीं है, स्पेसिफिक 'ना' नहीं है, लिखा है कि अल्टरावायर्स हो जायगा। यह मोशन हाउस में नहीं लाया जा सकता है, यह प्रश्न नहीं है। इस प्रकार की कन्डीशन्स लगाई जा सकती हैं। मेरा ख्याल है, किसी कमेटी के पास कोई चीज रेफर की जाती है, तो उसके साथ ही साथ टर्म्स ऑफ रेफरेन्स स्पष्ट किये जा सकते हैं और सिलेक्ट कमेटी उस रेफरेन्स में जाये, इसके साथ ही दूसरी बातें भी विचार कर सकती है। यह कहना कि डाइरेक्शन है, इसलिए मोशन मूव नहीं किया जा सकता है, यह फार फेचेड कन्क्लूज़न ( Far Fetched Conclusion ) दिखता है।

**श्री अध्यक्ष :** रूल ११६ के अनुसार जब सिलेक्ट कमेटी वापिस रिकमन्ड करती है, तब ही कुछ डाइरेक्शन देकर सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर सकते हैं। हाउस को सारे संशोधन करने का अधिकार है, जो माननीय सदस्य करना चाहें।

**श्री श्रीमानसिंह :** I submit that a certain reference can be made to a Select Committee. Just now I cannot specifically say, but I remember in a certain Bill the lower House did make reference to the Select Committee to consider only a particular point.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** That is only done after a report has been submitted to the House and the House sends back the report for further opinion of the Select Committee on a specific point. Rule 119 says :—

"Procedure after presentation of report....

(b) that the Bill as reported by the Select Committee be recommitted to the same Select Committee or to a new one-"

श्री श्रीमानसिंह : For what ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I want to make it very clear that so far as this Bill is concerned once it is referred to a Select Committee, the Select Committee will have all powers to say whether this Bill be considered by the House as it is or should be dropped in toto.

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया, इस प्रस्ताव के संबन्ध में रूल ११६ का रेफरेन्स दे रहे हैं, उसके अनुसार भविष्य में समय की शॉर्टेज होगी क्योंकि दूसरा प्रोसीजर होगा और उसके अनुसार संशोधन को शोर्ट कर लेंगे। यह हो सकता है कि माननीय मंत्री एक संशोधन पर दूसरा संशोधन लायें कि इसके अतिरिक्त रिपोर्ट देकर इस पोइन्ट पर विचार करें कि क्या यह प्रोवीजन है कि म्युनिसिपेलिटीज़ बिल को इन्कॉर्पोरेट किया जायगा या नहीं ? जहां तक मोशन का सवाल है वह रूल ६८ के अनुसार हुआ है, उसमें जाता नहीं। रूल ११६ में यह नहीं है कि यह पहले डाइरेक्शन नहीं दे सकते हैं। यह जरूर है कि रिपोर्ट आने के बाद उसे वापिस सिलेक्ट कमेटी को भेज सकते हैं। यह डबल प्रोसीजर है, उसको छोटा करके संक्षिप्त करना अच्छा होगा, इसलिए इसे ले लिया जाय। अगर माननीय मंत्रीजी यह चाहते हैं तो वे अमेंडमेंट के ऊपर दूसरा अमेंडमेंट मूव कर दें कि सिलेक्ट कमेटी रिपोर्ट पेश करे और उसके साथ स्क्रुटिनाइज़ करें कि यह बिल म्युनिसिपेलिटीज़ बिल के साथ इन्कोर्पोरेट किया जा सकता है।

श्री मदनसिंह (दांता) : अध्यक्ष महोदय, अगर कानूनी अड़चन है, तो उस पर विचार करेंगे। अगर कानूनी अड़चन नहीं तो फिर सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेज दिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी कानूनी अड़चन है। वैसे सिलेक्ट कमेटी कॉम्पीटेन्ट है, वह विचार कर लेगी, पर आप लिमिटेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस दे रहे हैं, it is not necessary. The Select Committee will consider all these aspects. It can recommend that in view of the Municipal law it is not necessary to enact a separate law. अगर सिलेक्ट कमेटी ठीक समझेगी तो it can send such a report to the House. उसमें दिक्कत क्या होगी ?

श्री मदनसिंह : उसमें कानूनी दिक्कत कुछ नहीं है।

श्री श्रीमानसिंह: But how does my motion become ultra vires accoring to the rules ? It may be restricting the powers of the Select Committee ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You can refer a Bill to the Select Committee which will consider the Bill but not with this restriction that they will consider the Bill only to that extent.

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, फर्मा रहे हैं कि ऐसी पॉवर्स हैं और उसी के आधार पर मूव किया है, तो कानूनी आपत्ति नहीं रही।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय चाहते हैं कि सिलेक्ट कमेटी को सीमित नहीं किया जाय, पॉवर ज्यादा दी जांय।

डॉ० चन्द्रकला : सीमित करना नहीं होगा। यह भी होगा कि उसे शामिल कर लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : शामिल है।

श्री नरोत्तमलाल जोशी ( झुंझुनू ) : What I understand from the discussions is that hon'bl e Minister has accepted the proposal of the Member for referring the Bill to the Select Committee. Now the question rises whether the Select Committee could make recommendation for considering the Bill in question together with the Municipalties Bill or incorporating this Urban Improvement Bill with the Municipalities Bill. It is true that if the Bill is referred to the Select Committee as it is, the Committee is olny authorized to Consider the Bill only and if any instructions are given to the Select Committee by this House that it should consider the Bill and submit its report after consideration whether it should be amalgamated with the Municipalities Bill, then only the Select Committee should make such recommendation. The House can no doubt authorize the Select Committee or give instructions to the Select Committee as the House is the supreme authority and the Select Committee is no doubt only a miniature of the House and it can only work under certain limits. It can give its consideration only upon the Urban Improvement Bill as it is. It cannot go into the consideration of the Municipalities Bill, unless it is referred to it. So if the hon'ble member agrees that it should be referred to a Select Committee then the motion is automatically carried. But as a further rider has been placed that it should be amalgamated, it is open to the Minister to refuse or not to accept this. I think I am sufficiently clear.

एक माननीय सदस्य : There is confusion.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : The confusion lies on the other side.

श्री दामोदरलाल व्यास (श्री अध्यक्ष से) : That is upto you to consider.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : The motion as it is, is before the House and it should be considered whethnr it should be accepted in toto or in psrtions. If it is accepted in portions then the Bill must be referred to the Select Committee. If it is accepted in toto then it should be accepted together with the Municipalities Bill which will also have to go to the Select Committee.

श्री अध्यक्ष : So you are not prepared to accept.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am accepting only that is should be referred to the Select Committee because otherwise it would be accepting reference to the Select Committee for both the Bills.

२. म० प०

**श्री मदनसिंह** : आप पहले इसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। आपने कहा कि ऑलरेडी पॉवर है सिलेक्ट कमेटी को, इसमें ऐसा विचार कर सकती है। यह आप एक्सेप्ट कर चुके हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, यह समझ की बात है।

**श्री अध्यक्ष** : Do you still insist on the rider being attached to your amendment ?

**श्री श्रीभानसिंह** : Yes, Sir, I insist because I personally feel that these powers and functions belong to the Municipal Boards and if this specific direction is not given to the Select Committee, as the Hon'ble ex- Speaker has just now explained the Select Committee will not consider that these powers may be incorporated into the Municipal Act. Unless direction is not given to the Select Committee, it will not consider this, and since I have a feeling that these powers must be incorporated in the Municipal Act I cannot withdraw my amendment.

**श्री नरोत्तमलाल ज** : The Hon'ble Member must insist, because he has both the ways. On the one hand the proposal has been accepted and on the other he wants it to be put to vote.

**श्री श्रीभानसिंह** : It means we should put it to vote. There should be the opinion of the House. We must have the opinion of the House.

**श्री अध्यक्ष** : So many members have spoken.

**श्री श्रीभानसिंह** : Not on my point. Not on the point of referring to the Select Committee with this conditien.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : They have already spoken.

**श्री श्रीभानसिंह** : They have only referred to the merits of the Bill.

**श्री अध्यक्ष** : अच्छा कौन बोलना चाहते हैं इस पर ?

**श्री मदनसिंह** ( दांता ) : मैं बोलना चाहता हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : वे बोल चुके हैं।

**श्री तनसिंह** : I draw your attention to Rule 99 of the Rules of Procedure and Conduct of Business which says:-

"On the day on which any of the motions referred to in Rule 98 is made or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the prinnciple of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the Bill must not be discussed further than is necessary to explain its principles."

प्रिन्सिपल्स तो हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, इससे आप कैसे रोक सकते हैं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : प्रिन्सिपल्स पर बोलने से मना नहीं किया, लेकिन यह मोशन लास्ट सेशन में ही मूव हो चुका है । I oppose this motion. This motion should not be put.

**श्री तनसिंह** : हम बोले हैं, कानूनी पोइन्ट पर बोले हैं। आपने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया कि कानून में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मोशन पर नहीं बोलें।

**श्री श्रीभानसिंह** : एक मोशन तो मिनिस्टर इन्चार्ज की तरफ से आ जाय कि the Bill may be referred to the Select Committee.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I need not refer it to a Select Committee. If your motion is dropped, it is dropped, it is dropped in toto.

**श्री श्रीभानसिंह** : But you have accepted the motion for reference to Select Committee.

**श्री अध्यक्ष** : He has only suggested that if you drop the rider he will accept the amendment. Otherwise the motion as a whole goes.

**डॉ० चन्द्रकला** : मेरा प्रोपोज़ल तो इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजने का है, अगर आप इसे स्वीकार करें तो।

**श्री अध्यक्ष** : I think we can accept the Hon'ble Member's...

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** : It cannot be accepted orally.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : I accept it.

**श्री अध्यक्ष** : Do you accept the Hon'ble Member's amendment of referring it to a Select Committee ?

**श्री तनसिंह** : इसमें तो कोई बात नहीं कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय। मैं प्रिंसिपल्स पर बहस करते हुए प्रकट करूंगा कि सिद्धान्ततः यह बिल आना ही नहीं चाहिए । यदि आज्ञा हो तो शुरू करूं ?

**श्री दामोदरलाल व्यास** : What is the trouble ? सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मोशन दूसरा है । You would still insist on its being voted ?

**श्री अध्यक्ष** : Let there be a general discussion and after that we will take a decision on that.

**श्री तनसिंह (बाड़मेर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल हमारे सामने आया है और जिसे सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का विचार हो रहा है, उसका सिद्धान्त रूप से मैं विरोध करता हूं, इसलिये विरोध करता हूं कि इस प्रकार का कानून आ रहा है जिसके अन्तर्गत सरकार ने जनतन्त्र, स्वायत्त शासन अधिकार म्युनिसिपैलिटीज़ को दिये हैं, उस स्वायत्त शासन पर इस कानून से अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना चाहते हैं, जब कि म्युनिसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायतों को अधिकार दे दिये, उनके पास वे के वे ही पॉवर्स हैं बिल्डिंग्स सीधी कराना, प्लान करना, पुराने मकानों को आवश्यक हो तो गिराना, नये साइट्स तय करना, ये सारे के सारे काम म्युनिसिपैलिटीज़ को दिये हुए हैं। अब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नया आकर इसकी जगह काम करना चाहेगा तो समझ में नहीं आता। म्युनिसिपल बोर्ड इन

( श्री तनसिंह )

पॉवर्स को एक्सरसाइज् करेगा कि नहीं ? अगर करेगा तो एक ही प्लान पर, एक ही साइट पर दो ओथोरिटीज़ हो जाती हैं और वे दोनों अपने अपने ढंग से प्लान एक्सर्साइज़ करना शुरू कर देंगे और इस तरह यह एक बड़ी कम्पलीकेटिंग चीज हो जायगी।

दूसरी यह बात है कि इस बिल में जो बातें रखी गई हैं उनको स्वीकार किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि सरकार एक चेयरमेन मनोनीत करेगी, दो मैम्बर मनोनीत करेगी, एक म्युनिसिपैलिटी का सदस्य बनता है वह केवल इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में आ जाने से कैसे एक्स्पर्ट हो जायगा ? आगे इसमें है कि एक आदमी तो गवर्नमेंट सर्विस का भी होना चाहिये तो यह ट्रस्ट बनाने से और उसको अधिकार दे दिये हैं केवल इसी कारण से वह एक्स्पर्ट हो जायगा यह नहीं मान जा सकता।

इस बिल के अन्दर कोई प्रावधान नहीं है जिसके कारण इसको लाने की आवश्यकता प्रकट होती हो। इसके पास में धन आने वाला है वह भी सरकार देगी, म्युनिसिपैलिटीज़ उसे कन्ट्रीब्यूट करेंगी, जो म्युनिसिपैलिटीज़ की जमीनें बेची जायगी उनकी आमदनी भी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जायगी। जो जमीनें बेच कर लाभ म्युनिसिपैलिटीज़ को हो रहा है, वह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जायगा और म्युनिसिपैलिटीज़ और कान्ट्रीब्यूट करेंगी और फिर भी कम रह गई तो सरकार मदद करेगी और भी कम रहा तो कर्ज लेगा। तो मैं अर्ज करूं कि जो आमदनी म्युनिसिपैलिटीज़ को होने वाली है उस महत्वपूर्ण आमदनी को इससे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ले रहा है। यदि वे शहरों में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो क्यों नहीं म्युनिसिपैलिटीज़ खुद करें, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वह यह करने की काम्पेटेन्ट भी है।

पर यह कहा जा रहा है कि हम नोमिनेट करेंगे और वे आकाश के फरिश्ते होंगे और वे ठीक ढंग से निर्णय लेंगे, उनके द्वारा किया गया इम्प्रूवमेंट वाजिब इम्प्रूवमेंट होगा, यह वाजिब नहीं है। क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज़ भी कितने ही एक्सपर्ट अपने नीचे रख सकती है। जमीनों से होने वाली आमदनी को म्युनिसिपैलिटीज़ से छीन लेते हैं तो म्युनिसिपैलिटीज् के फाइनेन्सेज् बिलकुल कम हो जाते हैं। म्युनिसिपैलिटीज् के पास इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनने के बाद कोई फंक्शन नहीं रहता है, सिवाय इसके कि सफाई कर दो, पानी बिजली, सड़क की रोशनी कर दो, वह भी क्योंकि इलिक्ट्रिसिटी बोर्ड बन गया है तो म्युनिसिपैलिटी को तो सिर्फ बिजली के लिये बिल चुकाने का एक मात्र साधन, रोकड़िया या केशियर बना दिया। इसके सिवाय इस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बनने के बाद म्युनिसिपैलिटी का कोई फंक्शन नहीं रह जाता, तो इसका कोई फंक्शन नहीं जो म्युनिसिपैलिटीज् से इन्डपेन्डेन्ट हो और म्युनिसिपैलिटी कर नहीं सकती हो। तो किसी भी प्रकार की अड़चन म्युनिसिपैलिटीज् के कानून में नहीं है। म्युनिसिपैलिटी का जो कानून है उसमें किसी प्रकार की अड़चन आती हो उसकी वजह से यह कानून लाया जाता है यह निवेदन करूंगा कि इस को तो एक अमेंडमेंट म्युनिसिपैलिटीज् के कानून में लाकर ठीक किया जा सकता है। सधारण सा संशोधन म्युनिसिपैलिटीज् के कानून में लाकर इसका हल हो सकता है। यदि नगर की हालत ठीक करना चाहते हैं तो म्युनिसिपैलिज् पर इन्कम्बेन्ट कर दें कि वे कमेटी बना दें जिनके

(श्री तनसिंह)

पास सफाई का काम रहे और ६ माही और वार्षिक रिपोर्टस दें कि इस कमेटी द्वारा यह काम किया गया है। तो यदि हमारी यही मंशा हो कि इस इम्प्रूवमेंट बोर्ड के काम में कुछ गति लाना चाहते हैं तो यह गति म्युनिसिपेलिटी ला सकती है। म्युनिसिपल बिल में यह प्रोविजन है कि यदि गवर्नमेंट कोई भी काम करना चाहे तो कर सकती है। ऐसी सूरत में इस अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इन्हीं बातों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि इस बिल को नहीं लिया जावे और म्युनिसिपल बिल में जो भी आवश्यक संशोधन हों, कर लिए जावें।

**श्री मदनसिंह** (दांता-रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष, मैं भी इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का समावेश म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत जितने भी कानून हैं उनमें हो जावेगा। आज क्या मालूम, इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में ऐसा दिन है कि आज ही राजस्थान के धर्म पर हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध में बिल पास हुआ है और आज ही महात्मा गांधी के सिद्धांतों के विपरीत, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से स्वतन्त्रता दिलाई और जिन्होंने यह आशा की थी कि म्युनिसिपेल्टी और पंचायतों के जरिये स्वायत्त शासन अच्छी तरह से होगा, आज उस पर भी अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड लागू करने से उन पर भी हस्तक्षेप हो रहा है। आज इम्प्रूवमेंट बोर्ड का मतलब क्या है और वह क्या काम करता है? म्युनिसिपेलटीज भी अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का काम कर रही है। फिर इस प्रकार के नये एक्ट को लाने से क्या मंशा है? नया एक्ट ऐसा है जैसे कोई पुराने जमाने में जागीर निकाली हो। उसी प्रकार आज मिनिस्टरों की तरफ से नया बोर्ड बना है, जिसका काम होगा पक्षपात और भ्रष्टाचार करना। पुराने जमाने में ख्वाजी के यहां पर लोग जाकर प्रार्थना करते थे कि मेरा मन्दिर और मकान रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार की कार्यवाही होगी और सिवाय भ्रष्टाचार के कोई दूसरी बात इसमें नहीं होगी। जब म्युनिसिपेलिटी सही तरीके से चुनाव होकर बन जाती है तो उसके बीच में इस प्रकार का नया बोर्ड बनाया जाता है, उसका क्या मतलब होता है? इसका साफ मतलब यही होता है कि हर पब्लिक को बनी हुई और चुनी हुई संस्था है उनके बीच में एक न एक मिनिस्टर की ओर से बोर्ड बनाया जावे, जिससे उनका अधिकार छीन लिया जाए और डाइरेक्ट गवर्नमेंट का उस पर अधिकार बना रहे और भ्रष्टाचार में जो कमी हो गई है वह बढ़ती रहे। उसमें भी मैं समझता हूं कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का काम समाप्त होने के बाद में म्युनिसिपेल्टीज को दे दिया जावेगा ऐसी बात रहती है। म्युनिसिपेल्टीज हों और उसके चैयरमेन उसके सदस्य बन सकते हैं, तो फिर यह पूरा काम उनको ही क्यों न दे दिया जावे? इससे तो स्पष्ट मंशा यह है कि इलेक्शन में जिन लोगों को हार जाने के कारण कोई चान्सेज नहीं मिले हैं और जो लोग कांग्रेस के सदस्य हैं और जिनको कोई जगह नहीं मिल रही है उनको इस प्रकार के इम्प्रूवमेंट बोर्ड बना कर जगह दिलाई जावे, ताकि आयन्दा इलेक्शन में मदद मिले इसके सिवाय कोई दूसरा आधार नहीं हो सकता। जबकि म्युनिसिपेल्टीज के पास सारे अधिकार जो इम्प्रूवमेंट बोर्ड के हैं, हैं तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है? इसमें कोई हर्ज नहीं था कि सिलेक्ट कमेटी में जाकर इस पर विचार होता कि इस एक्ट की कोई

( श्री मदनसिंह )

जरूरत है क्या ? मैं समझता हूँ कि इसकी क्या जरूरत है जबकि यही अधिकार म्युनिसिपेल्टीज़ को दे दिया गया है और म्युनिसिपेल्टीज़ सब जगह अपना काम कर रही हैं। आगे भी जो काम अभी उसमें नहीं है कवर हो जाते हैं। इसलिए मैं इस चीज को सपोर्ट करता हूँ कि यह जो बिल है, इसको सेपरेट बिल के रूप में न लाकर म्युनिसिपेलिटी के अधिकार में ही यह कानून रखना चाहिये ताकि आगे जितनी भी तरक्की हो वह ठीक ढंग से हो सके और पब्लिक के चुने हुए लोग काम कर सकें अन्यथा वह गवर्नमेंट की चीज होगी। उनकी मंशा माफिक इलेक्शन होगा और उनकी इच्छा के माफिक ही लोग रहेंगे। सर्वेन्टों की सेलेरी लगेगी। कोई काम नहीं होगा और वही हालत होगी जिस प्रकार आज एन्टी-करप्शन का महकमा है। पहले कोई एन्टी-करप्शन का महकमा नहीं था और न उसकी कोई जरूरत थी। आज नया महकमा बना है फिर भी भ्रष्टाचार की हालत वैसी ही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी तरह यह नया महकमा खुलेगा और कोई प्रबन्ध नहीं होगा। हम तो हाउस के सामने स्पष्ट कहेंगे कि जो लोग चुनाव में जीत नहीं सके वही रखे जावेंगे जहां तक हमारी जानकारी है। अन्यथा कोई ऐसी चीज होती कि कोई इलेक्शन होकर बोर्ड बनता तो इससे विश्वास भी किया जा सकता था कि वहां पर पब्लिक के सही प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करने के लिए बोर्ड में जावेंगे। यही होगा कि चुनाव में कोई मिनिस्टर हार जाएगा उसको इसका चेयरमैन बना कर उसको पांच साल तक टिका रखेंगे और वह अपना खर्च निकालता रहेगा। इसके सिवाय इस बोर्ड से कुछ नहीं होगा। जो जो लोग हार गये थे उनको विश्वास दिलाया गया है कि उनको इस बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जावेगा। अगर इसी दृष्टिकोण से यह बना तो इसका विरोध ही होगा और इससे कोई अच्छा नतीजा नहीं होने वाला है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी बात नहीं रखी है कि धार्मिक स्थानों को नहीं लिया जावेगा। यह इस बोर्ड की मर्जी पर होगा कि जहां जहां अच्छे मन्दिर पसन्द नहीं आयें हटा दिये जावेंगे। आज का दिन बहुत ही अभागा दिन है कि यहां पर प्रजातन्त्र और धर्म पर हस्तक्षेप हो रहा है और इस प्रकार के कानून पर बहस होकर आज उसको पास करने जा रहे हैं।

**श्री मुक्तिलाल मोदी ( बैराठ ) :** माननीय अध्यक्ष, आज अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लिये बिल सदन के सामने आ रहा है, यह सरकार की नीति कोई समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ तो सरकार म्युनिसिपल बिल सदन के सामने ला रही है और एक तरफ यह इम्प्रूवमेंट बोर्ड का बिल ला रही है। इन दोनों के अलग अलग लाने का क्या मतलब हो सकता है ? अगर इन दोनों में अलग अलग मतभेद है तो म्युनिसिपल बिल में सरकार को इन बातों को रखने की क्या आवश्यकता थी ? म्युनिसिपल बिल को भी सरकार ला रही है और अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल भी हाउस में लाया जा रहा है। उसी तरह का म्युनिसिपल एक्ट भी आना चाहिये था और सरकार को सरकार की सारी म्युनिसिपेलिटीयों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए था और सरकार को उनका पूरी तरह से इन्तजाम करना चाहिये था और उन म्युनिसिपेलिटीयों में चुने हुए सदस्य न रख कर सरकार को अपना पूरा अधिकार कर काम चलाना चाहिये था। मैं यह कहूँगा कि इसका असर क्या होगा ? अर्बन इम्प्रूवमेंट की जो

( श्री मुक्तिलाल मोदी )

इन्कम म्युनिसिपेल्टी की होनी चाहिये वह सरकार अपने हाथ में ले लेगी और म्युनिसिपेलिटी के पास आय का साधन नहीं रहेगा। राजस्थान के अलावा दूसरे प्रान्तों में आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उन म्युनिसिपेलिटियों के पास आय के कितने साधन हैं और उन्होंने उनको कितने साधन दे रखे हैं और उन साधनों से वहां कि म्युनिसिपेलिटीज् किस तरह से अच्छा इन्तजाम करती हैं। यहां राजस्थान में म्युनिसिपैलिटी के पास बिजली और पानी नहीं और यह जो एक छोटी सी चीज बची है उसको भी सरकार ले लेना चाहती है। सरकार को यह आज से ५ वर्ष पहले ही अगर करना था तो ऐसी चीज कर लेनी चाहिये थी। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड जयपुर में अलग बना रखा है और इन्कम अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में आती है परन्तु ५ वर्ष के पहले ही यह खत्म कर देना चाहिये था। पहले भी इसके बारे में इसी तरह की बातें हुईं जब म्युनिसिपल बिल हमारे सामने आया था, मगर उस समय यह बताया गया था कि जो अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड होगा दोनों में अन्तर होगा।

२.२० म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदसीन)

मगर यहां देखते हैं कि दोनों में एक ही चीज है, यह कहां तक उचित होगा ?

जब कि म्युनिसिपैलिटी बिल के अन्दर पूरी तरह से इस तरह की धारायें रख दी गई हैं और फिर अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल के अन्दर भी उसी तरह की धारायें हैं तो दो-एक ही तरह की चीजें कहां तक रहेंगी ? माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां जयपुर का एक उदाहरण मैं आपको दूं कि एक सड़क के मामले में अजीब ही बात हो गई। हमारे यहां जयपुर शहर में म्युनिसिपैलिटी, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड और पी० डब्ल्यू० डी०; इन तीन विभागों की सड़कें हैं। परन्तु उस सड़क के बारे में किसी ऑफिसर ने यह जवाब नहीं दिया कि यह हमारे अन्डर में है या नहीं है। अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड वाले कहते हैं कि यह सड़क म्युनिसितैलिटी की है और म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं कि यह सड़क अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड वालों की है। तो उस एरिया के रहने वाले इतने परेशान हैं और इतने तकलीफ में हैं कि वे आज किसको क्या कहें ? कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो यही हालत इस बिल से पैदा होगी। म्युनिसिपेलिटी वाले कहेंगे, हर चीज के बारे में, कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड वाले इन सड़कों का और इन चीजों का इन्तजाम करेंगे और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड वाले कहेंगे कि इन सड़कों का और इन चीजों का तो म्युनिनिपैलिटी वाले ही इन्तजाम करेंगे। तो ऐसे मकान हैं, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, सभी चीजें हैं और इन सभी चीजों के लिए इन दोनों विभाग वाले एक दूसरे के लिए कहेंगे कि इसका इन्तजाम वे करेंगे। तो समझ में नहीं आता कि ये दो चीजें सरकार क्यों साथ साथ चलाती है ? माननीय उपाध्यक्षजी, एक बोर्ड बनाया है जो कि ट्रांसपोर्ट बोर्ड है। सुबह से लेकर शाम तक यहां रिश्वत का बोल-बाला है। कोई दो हजार मांगता है, कोई पांच हजार मांगता है और कोई दस हजार मांगता है। उस बोर्ड के अन्दर नोमीनेटेड मेम्बर हैं, चुने हुए तो हैं नहीं। अगर इसमें कोई गलत बात है तो आप कहें। मैं साबित कर सकता हूं कि उसमें अपीलें होती हैं, कितना समय उनमें बरबाद होता है। अगर राजस्थान सरकार यह तय कर

# Page No.62



( श्री मुक्तिलाल मोदी )

लेती कि जो यह बोर्ड बनाया है इस बोर्ड को न बना कर जिसको जिस जगह का परमिट चाहिए उसी को दे दिया जाय और इसके ऊपर इतनी लिमिट कर दें तो वहां रिश्वत का बोलबाला न हो। लेकिन मैं वहां देखता हूं कि रिश्वत का काफी बोलबाला है।

राजस्थान सरकार तो इस तरह से एक ही चीज को अलग अलग रूप में ला रही है, यह अच्छा नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार के ऊपर और यहां की जनता के ऊपर हर चीज के मामले में जो अलग अलग कमेटियां बना कर थोप दी जाती हैं, यह ठीक नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपको बताऊं कि एक मामूली से सवाल के ऊपर यहां कैपिटल और हाईकोर्ट का सवाल उठ गया और आज हम देखते हैं कि उसके लिए एक कमेटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपोइंट कर दी। उस कमेटी के अन्दर वे लोग आये हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट देने से पहले ही यह चीज कह दी कि फलानी जगह हाईकोर्ट होगा। तो इस तरह की चीज वह पहले ही कैसे कह सकती है....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य....

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : श्रीमान्, थोड़ा उदाहरण तो बताना ही पड़ेगा....

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लीजिए। ऐसे व्यक्ति जो यहां हाउस के अन्दर नहीं हैं उनके ऊपर बहस करना उचित नहीं है। आप इसके ऊपर कोई नये सुझाव दीजिए।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : वह तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। आज सवाल चल रहा है। कल म्युनिसिपैलिटी बिल ला रहे हैं और यह अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल भी आया है। तो मैं बता रहा हूँ कि आज क्या हो रहा है, यह तो बताना फर्ज है....

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसे सुझाव दीजिए कि हमको प्रकाश मिल सके।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : इससे तो आपको बहुत बड़ी चीज मिलेगी, जो मैं बता रहा हूं।

( हंसी )

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यहां राजस्थान के अन्दर छोटी छोटी चीजों के ऊपर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की तरफ से कमेटियां बना दी जाती हैं, उसी तरह से राजस्थान सरकार को सोचना चाहिये कि एक चीज के अन्दर दो चीजें पैदा क्यों करते हैं ? तो इसीलिए दूसरे स्टेट वालों को, सेन्ट्रल वालों को भी एक तरह का मौका मिलता है कि राजस्थान के अन्दर आज दूसरे प्रान्तों की बदौलत दूसरी चीजें पैदा हो रही हैं और उसी से सेन्ट्रल वालों को भी मौका मिल जाता है कि आज राजस्थान के अन्दर इस तरह की चीज हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स के बारे में सेन्ट्रल वाले क्या कहते हैं, दूसरी चीजों के बारे में सेन्ट्रल वाले क्या कहते हैं और राजस्थान के अन्दर क्यों यह चीज पैदा होती है और दूसरे प्रान्तों में क्यों नहीं पैदा होती है ? माननीय मंत्री महोदय ने जो यह अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल रखा है इसकी सभी चीजें म्युनिसिपैलिटी बिल के अन्दर आनी चाहिए थीं। अगर म्युनिसिपैलिटी बिल के अन्दर ये चीजें या ये धारायें नहीं आयें और अलग से बिल पास हो तो फिर म्युनिसिपैलिटी

( श्री मुक्तिलाल मोदी )

खत्म कर देनी चाहिए। आज म्युनिसिपैलिटी की जैसी हालत जयपुर में हो रही है, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में हो रही है, कि उनकी हालत सुधर नहीं पा रही है। तो अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो खर्च होगा वह फिजूल खर्च होगा। कई दफा यह हो जाता है कि म्युनिसिपैलिटी वाले और अर्बन इम्प्रूवमेंट वाले एक ही चीज पर पैसा खर्च करते हैं; कभी कभी यह भी पता नहीं, एक सड़क पर कौन खर्च करेगा, म्युनिसिपैलिटी वाले करेंगे या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट वाले करेंगे? सरकार ने एक वाटर बोर्ड बनाया था और उस वाटर बोर्ड का मैं भी एक मेम्बर था। परन्तु उस वाटर बोर्ड के अन्दर पूरी तरह से न कोई हिसाब है और न कुछ। पता ही नहीं कौन खा गया, कौन पी गया। चीफ पंचायत ऑफिसर ने यह भी माना है कि वाटर बोर्ड को पंचायत के द्वारा जो पैसा दिया जाता था उसका ज्यादा अच्छा काम था। आज यह हालत है कि वाटर बोर्ड किसी से पैसा वसूल नहीं कर सकता है। वह वसूल इसलिये नहीं कर सकते कि चोर के भाई गठकटे। हम हैं जैसे हैं, वैसे वे भी हैं। आज लाखों रुपयों का पता नहीं कि उसका क्या होता है, कूए बने कि नहीं; पैसे खा गए। अब वह वाटर बोर्ड की मेम्बरशिप से हट गए। कोई कांग्रेस को ही छोड़ गए।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि प्रश्न यह है कि इसके अन्दर जो अमेंडमेंट दिया है उस पर आप प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : नहीं साहब, मैं तो इस बिल का ही विरोध कर रहा हूं····

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं आपसे कुछ अर्ज कर रहा हूँ। In order to study whether the provisions of the aforesaid Bill can be incorporated into the Municipalities Bill, or not; इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा रहे।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : अंग्रेजी तो मैं समझता नहीं। आप हिन्दी में ही बोलें तो अच्छा हो····

**श्री उपाध्यक्ष** : तो फिर सीमाहीन चलिये।

**श्री मुक्तिलाल मोदी** : माननीय उपाध्यक्षजी, इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करता हूँ कि इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दें। म्युनिसिपैलिटी बिल आ रहा है, तो हम दो चीजें साथ साथ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा न हो कि इसे तो सिलेक्ट कमेटी को भेज दें और इसकी रिपोर्ट साल या डेढ़ साल बाद आए और इस बीच में आप म्युनिसिपैलिटी बिल को लाकर उसको पास करालें। अगर इस तरह की बात माननीय मंत्री महोदय हाउस में लाते हैं तो ठीक है, वह चाहे जो कर सकते हैं। हमने जो पाप किए हैं और पैदा हुए हैं वे तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऐसे निराश होने की क्या आवश्यकता है ?

**श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के विरोध में नहीं था लेकिन इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स हैं, मैं समझता हूं कि कुछ उसमें कॉन्ट्राडिक्शन्स हैं और जो यहां माननीय सदस्य ने भाषण दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि उनके दिमाग में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट

(श्री पी० के० चौधरी)

के फंक्शन और म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी प्रान्तों की म्युनिसिपैलिटीज़ के फंक्शन्स की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और म्युनिसिपैलिटीज़ के फंक्शन्स में बड़ा फर्क रहता है। यह फर्क होने की वजह से दोनों के कॉन्स्टीट्युशन्स में और कार्य प्रणाली में भी फर्क रखा जाता है और इसी वजह से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाये जाते हैं। म्युनिसिपैलिटीज़ का ज्यादातर फंक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेन्टीनेन्स वगैरह के लिये। और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह का फंक्शन होता है दूसरे शब्दों में लेन्ड (अश्रव्य) फंक्शन। एग्रीकलचर लैन्ड में और इस लैन्ड में फर्क रहता है, इसी प्रकार म्युनिसिपैलिटीज़ के फंक्शन में और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के फंक्शन में फर्क है। खेती करने के लिये एक प्रकार के औजार चाहिये, हथियार चाहिये। लेन्ड रिक्लेम करने, बंजर भूमि को साफ करने के लिये, टीबे इत्यादि को साफ करने के लिये बुलडोजर की आवश्यकता रहती है। खेती में तो हल से भी काम चल सकता है। किन्तु भूमि को एकसा करने के लिये, टीबों को साफ करने के लिये बुलडोजर की आवश्यकता रहती है। वहां हलों से काम नहीं हो सकता, बुलडोजर चाहिये। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं वे इलेक्टेड बोडी होती हैं। उनके कोन्स्टीट्यूशन में यह रहता है कि वह शहर की सफाई, चीजों में किसी प्रकार की मिलावट को रोके; दूसरी तरफ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का यह कार्य होता है कि वह शहर और गांवों के विकास में ध्यान दे, उनके डेवलपमेंट की स्कीम बनाये और उसी प्रकार नगर को बसाये। आज हम देखते हैं, जहां कहीं भी म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्दर में इस किस्म के डेवलपमेंट के काम सौंपे गये वहां पर कोई भी म्युनिसिपैलिटी कामयाब नहीं हो पाई है और इसी वजह से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाये जाते हैं, खास इसी काम के लिये। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज़ के जो मेम्बरान होते हैं वे चुने हुए होते हैं; वे किसी खास एरिया को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं। किन्हीं खास वार्ड्स को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं और जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम होता है उसमें ज्यादातर उस हिस्से में काम करना पड़ता है जहां आबादी न हो, जहां किसी प्रकार का डेवलपमेंट न हो, वैसी जगहों पर काम करना पड़ता है।

दूसरी बात यह भी है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के जो भी फन्ड्स होते हैं उनका हिसाब रखना पड़ता है, उस तरह से इम्प्रूवमेन्ट फंड्स का हिसाब नहीं हो सकता। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स को बहुत ऐसे काम करने पड़ते हैं, जिसमें किसी की जबरदस्ती से जमीन छीननी पड़ती है, किसी की दुकानें तुड़वाने के लिये हुक्म देना पड़ता है, मकान तुडवाने का हुक्म देना पडता है, ऐसे काम इलेक्टेड मेम्बर्स आसानी से नहीं कर सकते। इलेक्टेड मेम्बर्स तो किसी न किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते है। इसी मकसद के लिये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट जगह जगह पर बनाये जाते हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिये ताकि वे इस प्रकार के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स बना सकें जिससे यह म्युनिलिपल बिल में कॉर्पोरेट किया जा सकें। It will defeat the purpose.

जिस मकसद से यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बिल लाया जाता है, वह यह है कि शहरों का विकास ठीक ढंग से और सही तरीके से हो सके। यदि इसको म्युनिसिपल बिल में कॉर्पोरेट किया जाता है तो इसके जो खास प्रकार के फंक्शन्स हैं उनको म्युनिसिपैलिटी पूरा नहीं

( श्री पी० के० चौधरी )

कर सकेगी। आज तक हमें कहीं ऐसा देखने में नहीं आया जहां कि म्युनिसिपैलिटी ने इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के काम अपने हाथ में लिये हों और उसको पूरा किया हो। मेरी यह निश्चित राय है कि इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंन्स भिन्न होना जरुरी है, क्योंकि मेम्बरान का यह खयाल है कि म्युनिसिपैलिटी और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, दोनों के फंक्शन्स एक हैं।

इसके अलावा माननीय सदस्यों को यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो होगा यह नोमीनेटेड होगा, इसके मेम्बर्स जो होंगे वे नोमीनेटेड होंगे, वे सरकार द्वारा नोमिनेटेड होंगे। इसलिये भी लोगों के दिमाग में यह बात है कि जो भी सरकार के द्वारा नोमिनेशन हुआ करता है, उसमें ऐसे लोगों को भर दिया जाता है, या तो किसी पर एहसान थोपने के लिये या अपने ग्रूप के लोगों को खुश करने के लिये, लोगों को ऐसे ट्रस्टस में डाल दिया जाता है। जनता के दिमाग में खास तौर से यह भी एक कारण है कि जिसकी वजह से वे इसका विरोध करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में ऐसे लोगों को रखा जाय जो किसी का रिश्तेदार या किसी गुट का आदमी नहीं हो। उसकी योग्यता के खयाल से, उसकी मेरिट को देख कर रखा जाय। आज यह बात नहीं हो रही है, इसीलिये तो सदस्य लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में कहीं भी इलेक्टेड बोडी नहीं है, कहीं भी इलेक्टेड मेम्बर्स की कमेटी नहीं बनती। इसलिये इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और म्युनिसिपैलिटीज़ दोनों के फंक्शन्स में फर्क है, इसलिये दोनों की एक कमेटी भी नहीं हो सकती और इसी कारण म्युनिसिपैलिटी को इम्प्रूवमेन्ट के फंक्शन नहीं दिये जा सकते। मेरी यह निश्चित राय है कि ट्रस्ट का फंक्शन्स और म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिये इस प्रकार के टर्म्स ऑफ रेफरेंन्स को इसमें से निकाल दिया जाय और इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय।

आज तक हमने देखा है कि जिन स्वायत्त शासन संस्थाओं में हमारे मंत्री महोदय द्वारा जो भी नोमीनेशन हुआ है उसमें किसी न किसी प्रकार से रिश्तेदारी किसी को खुश करने की प्रवृत्ति और किसी गुट विशेष के आदमी को नोमीनेट किया गया है इसीलिये माननीय सदस्यों ने इस पर टीका की है। इसी कारण से इस प्रकार की बातें होती हैं। मेरा मंत्री महोदय से यह कहना है कि वे इस कारण को ही दूर कर दें, इस ओर उनको तवज्जोह देनी चाहिये, आगे से इस बात के लिये होशियार रहना चाहिये ताकि इस प्रकार की शिकायतें करने का मौका फिर न आये। अगर इस प्रकार से नोमीनेशन किया गया तो मेरा ख्याल है कि मेम्बरों की तरफ से किसी प्रकार का विरोध नहीं होगा।

**श्री अनूपसिंह** (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ता ने इस बात को सदन के सामने बिल्कुल साफ कर दिया है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के फंक्शन में और ट्रस्ट के फंक्शन में कितना फर्क है? जो इस बारे में गलतफहमी हो रही थी उसको उन्होंने दूर कर दिया है। असल बात यह है कि हमारे यहां म्युनिसिपैलिटीज़ पहले ही से बहुत सी जगह नाकामयाब रही हैं और इसी प्रकार के कामों को देखने के लिये ट्रस्ट का निर्माण किया गया है। आज हम, ट्रस्ट के अधीन जो काम दे रखा है उसको यदि म्युनिसिपैलिटीज़ को सोंप देते हैं

( श्री अनूपसिंह )

तो दोनों के काम में बहुत सी बाधायें पैदा हो जायगी। आज तक जो म्युनिसिपेलिटी का रवैया रहा है वह उससे भी ज्यादा खराब हो जायगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि मर्ज तो एक है लेकिन उसको सौंप दो को दिया गया है। म्युनिसिपैलिटी के सामने और ट्रस्ट के सामने यही सवाल रहेगा कि अमुक शहर को किस तरह से सुधारा जाय। जहां तक इस काम का सम्बन्ध है दोनों का समान काम है। ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसके अधीन अर्बन एरियाज् में एक प्रकार से सुधार किया जाय, इस प्रकार से कन्स्ट्रक्शन किया जाय ताकि वहां पर लोगों को सुव्यवस्थित रूप से बसाया जा सके। म्युनिसिपैलिटी का कार्य यह होता है कि वह इस बात को देखे कि अमुक चीज जो बनायी जाती है वह जनता के स्वास्थ्य के लिये ठीक है या नहीं? अगर इस प्रकार की चीजों को म्युनिसिपैलिटी नहीं देखती है तो वह एक प्रकार से अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करती। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि म्युनिसिपैलिटी के और ट्रस्ट दोनों के पॉवर ओवर लेपिंग हो जायेंगे। जो थोडा बहुत काम म्युनिसिपैलिटी करना चाहेगी इसके बाद तो बिल्कुल ही काम नहीं कर सकेगी। मर्ज तो एक है और आपने लगा दिये हैं उसके उपचार के दो डॉक्टरों को; एक तो वैद्य है और दूसरा डॉक्टर। वैद्य जो होगा वह अपनी भस्म आदि से ठीक करने की कोशिश करेगा और डॉक्टर पेनीसिलिन आदि देकर मर्ज को दूर करने की कोशिश करेगा। मर्ज तो एक है, दोनों कन्फ्लिक्टिंग आदमी रख दिये गये हैं, जिनमें एक दूसरे को अपने पॉवर्स का मालूम नहीं। म्युनिसिपैलिटी के पावर्स क्या रहेंगे, ट्रस्ट के पावर्स क्या रहेंगे दोनों में कन्फ्युज़न होगा और जनता को यह ज्ञान नहीं होगा कि हमें ट्रस्ट के पास एप्रोच करना चाहिये या म्युनिसिपैलिटी के पास और हर जगह ट्रस्ट को पॉवर देने में टंटा रहेगा। यह आखिर में होगा कि जनता का जो धन है उसका दुरुपयोग होगा। इसलिये अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि हम में जब तक उतनी शिक्षा और संस्कृति का विकास न हो जाय तब तक मेरे ख्याल में ट्रस्ट के पॉवर्स म्युनिसिपैलिटी को दिये जावें, इससे स्वायत्त शासन का रास्ता और मुकम्मिल होगा।

ट्रस्ट एक सरकार द्वारा नोमिनेटेड बोडी होगी और म्युनिसिपैलिटी प्रजातान्त्रिक पद्धति पर चुनी एक बॉडी। इन दिनों में इस हिसाब से भी टक्कर रहेगी और इस टक्कर में अगर किसी का नुकसान होने वाला है तो वह जनता का और जनता के पैसे का।

यह मैं मानता हूं कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन्स अलग अलग होने चाहिये। म्युनिसिपैलिटी को पॉवर्स दे देने पर इन फंक्शन्स में कोई अन्तर नहीं आवेगा। लोग वैसे यह समझने लगे हैं तो ऐसी हालत में ट्रस्ट अलग नहीं बनाये जावें, अगर बनाये गये तो म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था बद से बदतर हो जावेगी। इसलिये अर्ज करूंगा कि जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने इसके अन्दर संशोधन बिठाने की कोशिश की थी कि म्युनिसिपैलिटी के जो फंक्शन्स हैं और ट्रस्ट के जो फंक्शन्स हैं वे इस ट्रस्ट बिल को सिलेक्ट कमेटी में देने से पहले अर्बन इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट कमेटी पर एक डिसीज़न मिल जावे कि ये म्युनिसिपैलिटी के पहले के फंक्शन करने के तरीके हैं, इनमें दखल न दिया जावे और म्युनिसिपैलिटी एक्ट में इस पर कोई दखल न हो। तो इस बात को मानते

( श्री अनूपसिंह )

हुए अर्ज करूंगा कि ट्रस्ट बिल और म्युनिसिपैलिटी एक्ट ये दोनों करीब करीब एक हैं, इसलिये इनमें से या तो एक को हटा दीजिये या ट्रस्ट बिल को तरमीम करके उसके अधिकार दूसरे को दे दीजिये या म्युनिसिपैलिटी को हटा दीजिये; रखिये एक। दोनों को रखने से हमारे लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे और दोनों में क्लेश पैदा होगा और जनता के धन का दुरुपयोग होगा।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय .. ....

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please ! मैं निवेदन करूं कि इस पर काफी चर्चा हो रही है कि इनकॉर्पोरेट कर दिया जावे, पर सदन का ध्यान इस ओर नहीं है; जो कानूनी प्रश्न है कि आया ऐसा सजेशन आज मेंडेटरी और डिस्क्रीशनरी दिया जा सकता है या नहीं ? तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस आधार को अपनी बहस में सदन में इस प्रश्न पर प्रकाश डालने के लिये लिया करें। मुख्य तथ्य यह है कि ऐसा डिस्क्रीशन दिया जावे या नहीं।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहस चल रही है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड या ट्रस्ट को म्युनिसिपैलिटी में विलीन कर दिया जावे, ऐसा कई सदस्यों का मत है। पर मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं और आपके द्वारा सदन के सभी मेम्बरों से भी, जो कि इस बिल की गहराई में नहीं पहुँचे हैं कि इस नगर विकास मण्डल का वास्तव में क्या काम है और म्युनिसिपैलिटी का क्या काम है लेकिन जो माननीय सदस्य इस मण्डल या म्युनिसिपैलिटी का सदस्य रहा है उनको इस बात का प्रैक्टिकल अनुभव है।

आज जयपुर में म्युनिसिपैलिटी बराबर चल रही है। लेकिन अगर यहां इम्प्रूवमेंट बोर्ड नहीं होता तो मैं यह विश्वास के साथ कहने को तैयार हूँ कि जयपुर राजस्थान की राजधानी नहीं बन सकती थी और न यह चहल–पहल जो आज नजर आ रही है, नजर आती। सर मिर्जा ने यह बोर्ड कायम किया था और उनकी कृपा का यह फल है कि आज शहर में भी खूबसूरत बरामदे नजर आते हैं, बाजार खूबसूरत नजर आते हैं। उसी ने शहर के बाहर आज जो बहुत सी खूबसूरत बिल्डिंगें, सड़कें और चौराहे नजर आते हैं, बनाये हैं। आज का सेक्रेटेरियट जहां स्थित है उस एरिया को भी उसी ने डेवलप किया था। आज 'सी' स्कीम जो आलीशान बंगलों से सजी हुई है उसी की दिमाग की उपज है। उस एरिया में पहले वहां घना जंगल था, जानवर नजर आते थे, आदमी नहीं जा सकते थे और शाम को तो बहुत से जानवर भी नहीं घूम सकते थे।

**श्री अर्जुनदास** : Was the Hon'ble Member personally going to those areas in those bays ?

( हंसी )

उन दिनों में जानवर जाते थे या नहीं, आपको क्या मालूम ? आप खुद जाते थे क्या ?

**श्री उपाध्यक्ष** : This information may not be leaked out !

( हंसी )

Proceed on with your debate.

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं-

( श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री )

कि विकास के कार्य अलग होते हैं और म्युनिसिपैलिटी के काम अलग चीज होते हैं। अगर जयपुर का यह विकास मन्डल म्युनिसिपैलिटी के पास होता तो फण्ड के अभाव में कुछ काम न कर पाता। विकास के काम में बाकायदा इन्जीनियर रहते हैं, सर्वे होती है, अगर किसी स्थान को अपने अधिकार में लेना होता है तो सरकार द्वारा वह स्थान एक्वायर करके ले लिया जाता है। इसमें कई कठिनाइयां आती हैं, कम्पेन्सेशन भी देना पड़ता है। इसमें काफी रुपया खर्च होता है। तत्पश्चात् इससे नक्शे के अनुसार सिस्टैमेटिकली प्लॉट काटे जाते हैं और ये प्लॉट नियमानुसार दिये अथवा बेचे जाते हैं, नीलाम भी किये जाते हैं, अगर यह काम म्युनिसिपैलिटी को सौंप दिया जाय तो म्युनिसिपैलिटी में बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं, ( अगर यह बात सच सच नहीं कहूं तो उचित नहीं होगा, मैं छिपाना नहीं चाहता ) जिनको यह तक पता नहीं होता कि प्लॉट किस तरह से बने हैं या बनाये जाते हैं ? कितनी जगह में सड़क छोड़नी चाहिये, कितनी जगह पटरी के लिए छोड़नी चाहिये, कितनी जगह एक दूसरे के बीच में छोड़नी चाहिये, इसका बिना कोई ध्यान रखे ही वे अगर किसी अपने कृपापात्र को या रिश्तेदार को देना चाहें तो एक दूसरे की हां में हां मिला कर दे डालते हैं। वे विकास के नियमों का कोई विचार नहीं रखते। इस तरह से अगर यह अर्बन इम्प्रूवमेंन्ट बोर्ड का काम म्युनिसिपैलिटी पर छोड़ देंगे तो दिन रात गड़बड़ी रहेगी। किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकेगा, न जयपुर का हो पावेगा, न अजमेर का इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि म्युनिसिपल बोर्ड और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के फंक्शन्स अलग अलग हैं। उदाहरणतया जैसे जयपुर शहर को कैसे गांधीनगर तक बढ़ाया जावे, क्वार्टर कैसे बनाये जावें ये सारे मामले इस इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सामने आते हैं और उनके नियमों के अनुसार वे काम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार ने इसमें अपने अपने आदमी लगा दिये हैं, और अपने अपने लोगों को प्लॉट दिये जाते हैं या दे दिये जावेंगे। पर मैं निश्चय पूर्वक यह कहने को तैयार हूं कि इम्प्रूवमेंट बोर्ड द्वारा ऐसा कहीं नहीं किया गया, बल्कि शिड्यूल कास्ट के लोगों को अच्छी अच्छी जगहें दीं और अलग अलग प्लॉट काट कर उन्हें दिये गये। जब कि म्युनिसिपैलिटी ने अपने हरिजन (Sweepers) लोगों के लिये भी कहीं भी (Colony) आदि बनाकर उनके रहने की व्यवस्था नहीं की, वे आज भी गन्दी बस्तियों में, गन्दी जगहों में रह रहे हैं। अतः मैं यह निश्चयपूर्वक कहने को तैयार हूँ कि अगर नगर विकास का काम इन विकास मण्डलों से लेकर म्युनिसिपैलिटी को दे दिया गया तो जनता का बड़ा भारी अहित होगा और वास्तविक विकास भी नहीं हो सकेगा। इसलिये निवेदन करूंगा कि हम ऐसा न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं नगर विकास के लिये लोग बाहर से विदेशों से बुलाये जाते हैं, उनसे नक्शे बनवाये जाते हैं। आपने देखा होगा कि जयपुर का स्टेच्यू सर्किल किसके द्वारा प्लान किया गया। यह एक जर्मन विद्वान के नक्शे के अनुसार बनाया गया है और ऐसे ऐसे वैज्ञानिकों ने ही इस जयपुर शहर का निर्माण किया है। अगर विकास का काम म्युनिसिपैलिटी को ही दे दिया गया होता तो जयपुर शहर की गन्दी गलियां तंग रास्तों की

( श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री )

भांति, जिनमें इधर उधर लोग आसानी से जा भी नहीं सकते वैसे ही सब जगह की अर्थात् अन्य स्कीमों की भी यही हालत हो जाती। शहर में भी चहारदीवार रास्तों के आड़े आती थी, रास्ते बड़े तंग थे। वैज्ञानिक लोग आये, इन्जीनियर आये उन्होंने इस पर कोटे को तोड़ा और रास्ते सीधे निकाले, इससे ट्राफिक भी ठीक हुआ, नहीं तो पहले एक्सीडेन्ट होने का बराबर खतरा रहता था और होते भी थे। लेकिन जब अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड आया तब उसने ऐसे सीधे रास्ते निकाले हैं, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के पास ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं कि जिनसे शहर का और अधिक विकास किया जा सकता है और व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के बिल को म्युनिसिपैलिटी में शामिल न करें। इसके उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं और हमें सभी नगरों का विकास करना है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** ( डीग ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सरकार की ओर से सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है वह इस आशय का है कि जो भी राजस्थान के अन्दर भिन्न २ शहरी इलाके हैं, यानी जो गांवों से बड़े और जो शहर की श्रेणी में आते हैं, उनका सुधार किया जाय, उनको उन्नत और विकसित किया जाय। इसके सम्बन्ध में दूसरी ओर से एक सुझाव आया, कि जब पहले ही से नगरपालिकायें इस कार्य के लिए मौजूद हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता है। इतना ही नहीं, बल्कि सदन के कुछ सदस्यों की ओर से तो इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का भी सुझाव आया है ताकि उसमें वहां पर और कुछ सुझाव दे सकें। मैं समझता हूं, इसको चाहे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय, चाहे म्युनिसिपैलिटियों को अधिकार दिया जाय, लेकिन पहले यह सोचना आवश्यक है, कि यह विधेयक किस उद्देश्य से सदन के समक्ष रखा गया है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के अन्त में जो उद्देश्य दिया है उसको माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा।

**श्री श्रीभानसिंह** : पढ़ा नहीं है। पढ़ दें, उसको।

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : (जारी) उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। राजस्थान के कितने भाग व शहरी इलाके हैं, जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं, उनकी तरक्की नहीं हो सकी है, इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि इस प्रकार का कोई बोर्ड या ट्रस्ट, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या बोर्ड के नाम से बनाया जाय, जिससे सब भागों की उन्नति व सब भागों का विकास हो सके। मैं समझता हूँ, कि हममें से अधिकांश लोग, चाहे वे गांवों के ही रहने वाले हों, वे शहर और कस्बों से भलीभांति परिचित होंगे और हम यह भी भलीभांति जानते होंगे कि राजस्थान के प्रायः सभी शहर, जिसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर भी सम्मिलित है, इस समय की आवश्यकता को देखते हुए दूसरे देशों के नगरों की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत अविकसित हैं। जब हम दूसरे स्थानों की तुलना करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी में दूसरी जगहों से जो लोग आते हैं, वे यह देखकर दुखी होते हैं कि जो राजस्थान का ही नहीं वरन् जो देश का एक सुन्दर नगर माना जाता है, जो वास्तव में बहुत पहले लगभग दो सौ वर्ष

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

पूर्व प्लान के अनुसार, बना था, उसकी अवस्था अब ठीक नहीं है। जहां तक गन्दगी और दूसरी खराबियों का सम्बन्ध है, जो हालत जयपुर की है, यही हालत बीकानेर की है, यही हालत जोधपुर की है, यही हालत उदयपुर की है, यही हालत कोटा की भी मैंने देखी है; दूसरे इनसे जो छोटे शहर और कस्बे हैं, जिनमें मुझे जाने और देखने का मौका पड़ा उनकी भी अवस्था ऐसी ही है।

**श्री श्रीभानसिंह** : जयपुर की वैसी, जहां अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड है !

**श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : जी हां। मैं यह बता रहा हूँ।

इन सारी चीजों को देखते हुए यह आवश्यकता अनुभव की गई कि इन नगरों के विकास के लिए दूसरी संस्थायें स्थापित की जांय, जो इनका विकास कर सकें। मेरे एक माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि जयपुर की स्थिति भी उसी अवस्था में है, जब कि यहां अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड मौजूद है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि जयपुर में मुझे ३५ वर्ष पहले एक विद्यार्थी की हैसियत से रहने का मौका मिला था, और मैं कहता हूं कि उस वक्त से जयपुर के बाहर का काफी विकास हो चुका है। उस वक्त म्युनिसिपैलिटी यहाँ की देख भाल करती थी। मैं समझता हूं कि उस वक्त भी म्युनिसिपैलिटी ऐसी होगी, लेकिन उसके रहते हुए भी विकास नहीं हो पाया था। जिन महाराज ने इस शहर की स्थापना की थी, जिस रूप में प्लान किया था, उसकी हालत कुछ आबादी के बढ़ने से, कुछ ठीक तरह से न रहने से, बहुत गिर चुकी है, परन्तु जब से अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बना उससे। शहर की गलियों को छोड़ कर बाहर यह सब विकसित हुआ। जैसा कि आज हम शहर से बाहर देख रहे हैं, यहां, मैं कहता हूँ कि गलियों का विकास नहीं हो सका, उनका सुधार नहीं हो सका। जयपुर के अलावा और भी शहर और कस्बे हैं, उनकी हालत सुधर नहीं पायी और जितने छोटे २ कस्बे हैं, उनकी हालत तो और भी बुरी है। सन् ५०–५१ में जब कि जयपुर में विकास मंडल बना हुआ था, बाहर ऐसी हालत नहीं थी। उस वक्त यह समझा गया था कि दूसरी जगह भी विकास मण्डल बनाये जांय। लेकिन उस वक्त ऐसा कोई एक्ट नहीं था, इसलिए यह सोचा गया, कि वहां के कलेक्टर, एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर एक-दो सरकारी मेम्बर और एक-दो गैर सरकारी मेम्बर मिला कर विकास मंडल बनाया जाय, लेकिन योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि इस वक्त यह जो विधेयक लाया गया है, वह पूर्ण सामयिक लाया गया है। आज इसकी आवश्यकता है। इससे न सिर्फ केवल जयपुर का ही विकास होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त चाहे वह डिविजनल हैडक्वार्टर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हो, चाहे तहसील हैडक्वार्टर हो और चाहे दूसरे कस्बे हों, जो अर्बन एरिया इस डेफिनेशन में आते हैं, जो शहरी इलाके पहले से विकसित नहीं हैं, उनका विकास किया जाय और उनको सरकारी एक्ट के अनुसार गवर्न कराया जाय।

अब यहां पर ज्यादातर यह आपत्ति उठायी गई है कि जब अर्बन इम्प्रूवमेंट स्थापित हो जाता है तो फिर म्युनिसिपैलिटी का क्या फन्क्शन रह जायेगा ? या तो म्युनिसिपैलिटी को खत्म कर दिया जाय, या इम्प्रूवमेंट बोर्ड को न लिया जाय ? जिन्होंने इस सम्बन्ध

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

के इतिहास को पढ़ा है, वे जानते होंगे कि म्युनिसिपेल्टीज़ जिस वक्त आरम्भ की गई थीं, ७०-८० वर्ष पहले, उस जमाने में यहां अंग्रेजी हुकुमत थी और उनकी ओर से यहां पर वायसराय थे, लार्ड रिपन। उन्होंने भारतीयों को शासन करना सिखलाने के लिए इन संस्थाओं को स्थापित किया था ताकि लोग स्थानीय शासन करना सीखें। उन्होंने लोकल-सेल्फ-गवर्नमेन्ट की नींव डाली। उनकी मंशा थी कि जब लोकल-सेल्फ गवर्नमेन्ट होगी, स्वायत्त-शासन होगा, तो जनता के कुछ चुने हुए लोग उसमें होंगे, वे गांवों का, कस्बों और बड़े नगरों का इन्तजाम करना सीखेंगे। उस वक्त आरम्भ में सरकारी अधिकारी अधिक होते थे, उसके चेयरमैन होते थे कलेक्टर और दूसरे सरकारी अधिकारी भी होते थे, जो उसके मेम्बर होते या सदस्य होते थे। धीरे धीरे अधिकार बढ़ते चले गये। म्युनिसिपेलटी स्वायत्त शासन की सीढ़ी थी, जिसमें लोग आकर शासन करना सीखें। उससे हमको बड़ा लाभ हुआ। हम धीरे २ चुनाव की प्रणाली जानने लगे। चुनाव में आकर नगर और कस्बों का प्रबन्ध करने लगे। लेकिन साथ ही साथ यह जानकर दुख होता है कि वहां जो चुने हुए लोग जाते हैं वे जैसा कि मेरे से कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा जाति-पांति के अथवा ऐसे ही आधार पर आते हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि वे विशेषज्ञ हों नगर निर्माण के कार्यों में दक्ष हों क्योंकि वहां हर तरह के साधारण लोग ही आते हैं। यह भी एक बडे दुर्भाग्य की बात है, कि वहां आकर पार्टीबन्दी होजाती है, दलबन्दी होजाती है, जो विकास के कार्य होने चाहिये थे, उन्नति के कार्य होने चाहिये वे नहीं हो पाते हैं। जयपुर के लिये भी यह कहा जा सकता है कि पहले जब यहां चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी थी, उसमें आपसी झगड़े होते रहे थे जिससे शहर का बहुत सा विकास नहीं हो पाया, बहुत सा ऐसा प्रबन्ध जो साधारणतया हो जाना चाहिए था, वह हो नहीं पाया। बाद में गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया इसे मैं कोई अच्छी चीज नहीं मानता। यह आज के प्रजातन्त्र के लिए अच्छी चीज नहीं कि हम मिल कर काम नहीं कर सकें और एडमिनिस्ट्रेटर उनसे अपनी हुकुमत से कर लें। कुछ काम यहां अच्छे हुए हैं, जिनका कि विकास से सम्बंध है, वे अच्छे हुए हैं अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड में सरकारी नियन्त्रण में जो चीजें हुई हैं, वह नहीं होंगी, इस हालत में। मेरे माननीय सदस्य कुछ विचार प्रकट कर सकते हैं कि सरकारी नियंत्रण से जो काम होता है, वह तो सरकार का हस्तक्षेप है। आज की सरकार वह सरकार नहीं है जिसमें जनता का विश्वास न हो, चाहे वह इस दल की सरकार हो, चाहे उस दल की सरकार हो, वह जनता की चुनी हुई है, उसके प्रति जिम्मेदार है, यदि वह ठीक काम नहीं कर सकते तो जनता उसको बदल सकती है। इसलिये सरकार के नियन्त्रण में जो संस्था हो, जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने कहा था, उसमें नौकरशाही का प्रबन्ध हो जाता है, वह नौकरशाही शासन की शक्ल में हो जाती है, मैं समझता हूं कि वैसा मानना उचित नहीं। उस अवस्था में उसका जो चेयरमेन होगा, जहां तक इस विधेयक में दिया हुआ है, शायद वह सरकार का नोमीनेटेड होगा, लेकिन उसके साथ साथ म्युनिसिपेलिटी के जो चेयरमेन हैं वे भी उसके सदस्य की हैसियत से वहां अवश्य होंगे। म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन हर तरह के सुझाव देंगे और जो कुछ भी होगा किन किन मुद्दों को

( श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी )

म्युनिसिपेलिटी चालू करेगी, और किन २ मुद्दों को बोर्ड चालू करेगा, वह आपस में सलाह मशवरे से काम करेंगे।

सबसे बड़ी चीज जो इस बिल के आखिर में दी हुई है, वह यह है, कि ये ट्रस्ट भी किसी वक्त में एक-दम भंग हो सकते हैं और भंग होने के बाद म्युनिसिपैलिटी को ही सारी चीज चली जायेंगी। लेकिन जब उस में यह देख लिया जायगा कि उस अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने तमाम चीजों को पूरा कर दिया है, जो कि उस शहर के विकास के लिये आवश्यक हैं, यह तो आरम्भ में निर्धारित होगा कि इस शहर में क्या गली बनानी है, ऐसी सड़कें निकालनी हैं, ऐसा पानी का इन्तजाम करना है, ऐसी नालियों का इन्तज़ाम करना है। इन सारी चीजों के होने के बाद में जब सरकार यह समझेगी, उसको यह सन्तोष हो जायगा कि इस शहर में पूर्ण रूप से विकास हो चुका है, उस वक्त में इस प्रकार के ट्रस्ट को भंग किया जा सकता है और सारा काम और सारा जो रुपया पैसा है, जितने भी पदार्थ हैं वे सारे के सारे म्युनिसिपैलिटी के हो जायेंगे। इस दशा में तो यह कहना कि उक्त बोर्ड की स्थापना म्युनिसिपेलीटी के ऊपर एन्क्रोचमेंट है, म्युनिसिपैलिटी के अधिकारों को ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटी की सहायता के लिए, म्युनिसिपेलिटी को जिन कामों को करना है, उन कामों में से कुछ न कुछ सहायता देने के लिए, इस बोर्ड की आवश्यकता है और आज भी अनेक संस्थाएं ऐसी हैं, जो कि एक ही प्रयोजन के निमित्त हैं। वे संस्थाएं एक दूसरे की सहयोगिनी होती हैं, एक दूसरे की सहायक होती हैं, तो उसके होने में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने इसका केवल इसलिए विरोध किया है कि इससे म्युनिसिपेलिटी के अधिकारों के ऊपर आघात होता है, या इसलिए कि इसके बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और केवल इसीलिये भी कि हर चीज, जो यहां पर बिल आयें, सिलेक्ट कमेटी के सामने आना ही चाहिए, मैं समझता हूँ वे अपना विरोध वापिस लेंगे और वे इस विधेयक का जो महत्व है, उसको समझेंगे, इसकी आवश्यकता को अनुभव करेंगे और इसके पक्ष में ही अपना मत देंगे।

३.२ म० प०

( सर्व श्री रामकरणसिंह और दिलीपसिंह के खड़े होने पर )

**श्री उपाध्यक्ष :** Hon'ble member to my left please.

**डा० चन्द्रकला :** उपाध्यक्ष महोदय, अर्बन इम्प्रूवमेंट....

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं आपका इस की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ यह जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, यह प्रश्न कहां तक उचित है और कहां तक अनुचित है इसी ओर बार-बार बहस की जा रही है। प्रश्न यह है कि प्रवर समिति को ऐसा डाइरेक्शन दिया जा सकता है या नहीं। इस पर ज्यादा प्रकाश डालें।

**डा० चन्द्रकला :** सीधे डाइरेक्शन नहीं दिये जा सकते हैं लेकिन जो सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर होंगे वे सदन में उपस्थित होंगे तो डाइरेक्टली तो नहीं लेकिन इन्डाइरेक्टली उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ नहीं पाया।

**डा० चन्द्रकला** : हम सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों को नियमों के अनुसार सुझाव नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्य होंगे वे बहुत करके सदन के मेम्बर होंगे और यहां पर बैठे होंगे। यदि वे हमारे सुझावों को सुनेंगे तो संभव है कि उनसे प्रभावित होकर उनको ध्यान में रखें।

श्री उपाध्यक्ष : नियम तो नहीं है लेकिन कुछ परम्पराएं हो सकती हैं, उस पर प्रकाश डाल सकते हैं।

**श्री रामकरणसिंह** ( कोटपुतली ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल पर विचार हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बिल का नाम अच्छा है और 'इम्प्रूवमेन्ट' जो है वह इतना अच्छा है कि वह वास्तव में हमारे राजस्थान में किया जाना चाहिए। मगर इतने बोर्ड हरएक जगह पर, स्थान स्थान पर, पैदा कर दिये गये और उनको इस ढंग से अधिकार देते चले जा रहे हैं कि जिनके कारण एक भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। यह बोर्ड इस प्रकार से हो गये कि जैसे मान लीजिये कि एक घर है और घर के अन्दर पांच चोर घुस रहे हैं, पांच चोर। वे घर में घुस जाते हैं यहां तक तो सही है, मगर यह बात दूसरी है कि भिन्न भिन्न चीजें हमें चाहिये उस पर विचार करके वे घुस रहे हैं। इस विकास के लिए मान लीजिए कारीगर लगाये गये हैं और पाँचों चोरों को अधिकार दे दिये गये हैं। वे अलग अलग कन्स्ट्रक्शन का काम करेंगे। एक को नींव भरने के लिए कह दिया गया है, एक को दरवाजा लगाने के लिए कहा गया है, एक को आलमारी लगाने के लिए और एक को वेन्टीलेशन लगाने के लिए कह दिया गया है, जिससे कि अलग अलग एक भी चीज सुचारुरूप से नहीं चल रही है। चाहे जितनी पंचायतें, ग्राम पंचायतें, तहसील पंचायतें, डिस्ट्रिट बोर्ड हों और म्युसिपल बोर्ड या अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड हों, इस प्रकार की कई संस्थाएं हैं, जिनके बारे में कई माननीय सदस्य कह चुके हैं कि इनमें सुचारूरूप से काम नहीं चल रहा है। सुचारू रूप से काम चलाने के लिए ये बोर्ड बनाये जा रहे हैं। हमारे ख्याल में अभी नहीं आ सकता है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाने से काम सुचारु रूप से हो जायगा। दूसरी कई संस्थायें हैं वे भी उन्हीं लोगों की होंगी। वही लोग आज के अर्बन इम्प्रूवमेंट में बोर्ड होंगें, अतएव यह कह देना कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड कुछ काम करके दिखायेगा, और जितनी भी ग्राम-पंचायतें हैं, तहसील पंचायतें हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, म्युनिसिपल बोर्ड हैं, वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जो चुन कर आये हैं वे एफिशियेन्ट वर्कर्स नहीं होते है, वे काम करने वाले नहीं होते हैं, वे उस काम के योग्य नहीं होते हैं, माननीय सदस्य खुद महसूस करेंगे और अपने सीने पर हाथ रखकर देखेंगे कि यह चीज कहां तक सही है ? किसी इलाके से चुनकर गये हुए [redacted] के स्थान पर उसमें कितना फर्क होगा ?

एक माननीय सदस्य ने जयपुर का उदाहरण देते हुए बताया, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या पुराने टाइम में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड थे जिन्होंने इस ढंग से कन्स्ट्रक्ट किया जो आज भी किसी प्रकार से कन्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। उदयपुर के खंडहरों को देखिये। उदयपुर का कन्स्ट्रक्शन किस अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने किया था ? उस समय के जो लोग थे वे इस ढंग के नहीं थे कि जिनके लिए अरबन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड हो

# Page No.74



( श्री रामकरण सिंह )

जो कि इस प्रकार से काम कर सकता हो।

दूसरी चीज यह भी बताई गई है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड यह जमीनें ले सकेंगे यह कन्ट्रोल कर सकेंगे, दूसरे से लेकर तीसरे को दे सकेंगे। यह चीज़ तो ग्राम पंचायतें, तहसील पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड्स भी कर सकते हैं। जरूर इतनी सी बात है कि आप उनको किसी प्रकार से अलग अलग रूप देकर अलग अलग अपने लोगों को मेम्बर बना दें, किसी को किसी रूप में। एक चीज पर ही काम कीजिये, मगर सुचारू रूप से चलाइये। आप अपनी जबान से कहते जा रहे हैं कि सुचारु रूप से तहसील पंचायतें काम नहीं कर रही हैं, ग्राम पंचायतें काम नहीं कर रही है इसलिए आप एक संस्था और कायम कर रहे हैं, तो मालूम नहीं उनका सुधार कैसे किया जाय ? उन्हीं से कह दिया जाय, उनके अधिकार बढ़ा दिये जायं, उनमें एफिशियेन्ट वर्कर्स लाये जायं। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के बारे में चीजें बतलाई कि वह प्लान बना कर देगा, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि भाखरा डेम में एक अमेरिकन मजदूर को ४०) रु० रोजाना मिलते हैं और अपने यहां के मजदूर को २) या ३) रु० मिलते हैं, मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है और आप भी महसूस करेंगे कि वहां पर ४०) रु० रोजाना जो पैसा लेने वाले लोग हैं वे इन लोगों से अच्छा काम करने वाले नहीं हैं।

आप यह भली प्रकार से जानते हैं कि पिछली पंचवर्षीय योजना में जो अच्छे से अच्छे, एफिशियेन्ट इन्जीनियर्स और वर्कर्स ने बांध बनाये थे वे आज एक भी अच्छी और सही हालत में नहीं हैं। आप एक भी बांध को अच्छी हालत में नहीं दिखा सकते, सब के सब वर्षा में साफ हो गये। एक काश्तकार जो किसी प्रकार का कारीगर या इन्जीनियर नहीं होता, मामूली बांध बनाता है वह ज्यादा अच्छा बनता है। आपको उदाहरण देकर बता सकता हूँ कि उनमें किसी प्रकार की टूट फूट नहीं हुई। वर्षा भी बहुत हुई, बाढ़ भी आई, पानी भर गया लेकिन उसमें टूट फूट नहीं हुई। यह कहना कि अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में अच्छे से अच्छे वर्कर होंगे, अच्छी चीज बनेगी इसलिये यह बोर्ड होना चाहिये, ठीक नहीं है। इससे कोई मतलब हल नहीं होगा। आपको वाइड अधिकार देने हैं तो म्युनिसिपैलिटियों को दीजिये, तहसील और ग्राम पंचायतों को दीजिये। आपको नाम अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड अच्छा लगता है तो म्युनिसिपल बोर्ड के बदले यह नाम रख लीजिये, पंचायतों के बदले रख लीजिये लेकिन एक ऐसा बोर्ड हो जो अन्य विकास का कार्य भी कर सके। लेकिन यह कहना कि अलग अलग बोर्ड बनाने से ज्यादा तरक्की होगी, इससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। यदि बहुमत से नहीं माना जाता है तो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज कर अच्छी तरह से इस पर विचार कर लीजिये, फिर रखिये। एक ही घर में अलग अलग पॉवर देकर काम मत बिगाड़िये।

**श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** : क्या माननीय कक्षा को यह मालूम है कि रामगढ़ बांध से पानी मिलता है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज़ !

**श्री अर्जुनदास** : Is it a point for seeking information or giving information ? Does the hon'ble member know what the point of information is ?

( विराम )

( श्री अर्जुनदास )

He is trying to impart information.

श्री उपाध्यक्ष : He is seeking information.

श्री अर्जुनदास : He is trying to impart, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I rule out both.

( सर्व श्री नारायणसिंह और दलीपसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर )

श्री उपाध्यक्ष : Both the hon'ble members may decide in between among themselves. I don't want to insist more on the rights.

श्री दलीपसिंह ( बारां ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जयपुर से और भरतपुर से आने वाले साथियों ने जो इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तारीफ हाउस के सामने की है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा अनुभव इम्प्रूवमेंट बोर्ड का मैं भी रखता हूं क्योंकि हमारे कोटा में राजस्थान बनने से पहले से ही इम्प्रूवमेंट बोर्ड बना हुआ था इसलिये थोड़े से वाकयात इसके मुतल्लिक जो मेरे अनुभव में आये हैं, वे हाउस की जानकारी के लिये रखना चाहता हूं। हमारे कोटा में इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाया गया था जिसके चेयरमेन कमिश्नर साहब थे, एक मेम्बर एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर, एक मेम्बर वहां के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, मेम्बर दूसरे जिनमें से एक म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन और एक म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर। ये ५ मेम्बर रखे गये और उनमें बहुमत जो था वह सरकारी कर्मचारियों का था इसलिये उनमें जो नोन ऑफिशियल मेम्बर थे उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं रहती थी और उनकी राय का बहुत उल्लंघन किया जाता था। आखिर उन्होंने अपनी इन्सल्ट समझ कर इस्तीफे दे दिये। उनके द्वारा दिये हुए इस्तीफे भी मेरे ख्याल से, राजस्थान बनने से पहले दिये; और बाद में दिये तो भी करीबन १० साल हो गये होंगे। उस वक्त से उसकी दुर्दशा देखते हुए हमने कई दफा उसकी हालत सुधारने की कोशिश की। जिस समय पिछले जनरल इलेक्शन्स हुए ५-६ साल पहले और हम असेम्बली के मेम्बर बन कर आये, उस समय मैंने और मेरे साथी जेलियाजी ने मिनिस्टर साहब से मिल कर चाहा कि इसकी हालत सुधारी जाय, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इम्प्रूवमेंट बोर्ड नाम है लेकिन काम जो हैं वे दूसरी ही तरह के हैं। म्युनिसिपल बोर्ड के और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के आपस में टसल (tussle) चलती है, एरिया में भी टसल रहता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। जो कब्जा करले उसी का अधिकार हो जावे। मैं एक जाति की मिसाल बता रहा हूं। मैं कोटा में शहर से बाहर एक मकान बना रहा हूँ। मेरे मकान की गली के पास एक म्युनिसिपल कमिश्नर साहब भी मकान बनाना चाहते हैं। मैंने अपने मकान का जो नक्शा दिया उसमें मैं रोशनदान गली में रखना चाहता था, उन्होंने म्युनिसिपैलिटी से आर्डर लेकर बंद करा दिया क्योंकि वे म्युनिसिपल कमिश्नर थे। मैंने इम्प्रूवमेंट बोर्ड के इंजीनियर साहब को एप्रोच किया और कहा कि शहर के बाहर मकान बना रहा हूँ और यह इम्प्रूवमेंट बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो फिर म्युनिसिपल बोर्ड वाले क्यों दखल करते हैं ? आप मेरी सहायता करिये। उन्होंने कहा दरख्वास्त लाओ, तब मैंने दरख्वास्त दी····

श्री **उपाध्यक्ष** : ऑनरेबल मेम्बर माइनर डिटेल्स से गुरेज करें तो अच्छा हो क्योंकि हमारा समय जा रहा है।

श्री **दलीपसिंह** : मैं अपना अनुभव बता रहा था, यदि आप फरमावें तो नहीं कहूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : मेरा यह मतलब नहीं था, मैं चाहता था कि संक्षेप में कहें।

श्री **दलीपसिंह** : (जारी) संक्षेप में ही अर्ज कर रहा हूँ।

उन्होंने फौरन मंजूरी दे दी। म्युनिसिपल कमिश्नर जोर लगाते ही रह गये और बोर्ड से ऑर्डर भिजवाते ही रह गये। मैंने इम्प्रूवमेंट बोर्ड में जो नक्शा पेश किया उसमें मनमाने ढंग से बड़ी बड़ी खिड़कियें रखीं जब कि पहले के नक्शे में छोटी रखी थीं, मुझे अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का शुक्रगुजार होना चाहिये कि मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक मकान बना लिया लेकिन जो सच्चाई है और जाति अनुभव हैं वे हाउस के सामने मैंने रखे।

दूसरी मिसाल ताजा ही अर्ज करूंगा। अभी एक महीना पहले कोटा के स्थानीय अखबारों में निकला था कि इम्प्रूवमेंट बोर्ड की जमीन एक मिनिस्टर साहब के मेहरबान को २८०००) रु० के बजाय १०००) रु० में दे दी गई। मुझे पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी खोज की और कॉरेस्पोन्डेन्स देखी तो सचमुच सही वाकया मालूम हुआ। इम्प्रूवमेंट बोर्ड के चेयरमेन, कमिश्नर, कोटा ने एक शरणार्थी की दरख्वास्त पर ऑर्डर दिया कि ७) रु० फुट पर जमीन तुमको दी जायगी। उसने बहुत कोशिश की। वह उस जमीन पर अपना व्यवसाय चला रहा है। उसने कई दरख्वास्तें दीं कि मैं शरणार्थी हूँ इसलिये मेरे साथ रियायत की जाय। लेकिन आखिर में उसको फाइनल ऑर्डर दिया कि तुम इतने दिनों में अपना कारोबार वहां से हटाओ या ७) रु० फुट से जमीन हासिल करो वरना तुम्हारा सामान फिकवा दिया जायगा। वह इतनी कीमत दे नहीं सकता था इसलिये वहां से उसने सामान हटा लिया और वह जमीन मिनिस्टर साहब के मित्र को दे दी गई। उन मिनिस्टर साहब का नाम अखबारों में आया है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता ...

*एक माननीय सदस्य* : आप नाम बता दीजिये।

श्री **दलीपसिंह** : ( जारी ) वह जमीन १०००) रु० लेकर चार आना फुट पर मिनिस्टर साहब के दोस्त को देदी गई और २८०००) रु० शरणार्थी से मांगे जा रहे थे। ये इम्प्रूवमेंट बोर्ड के कारनामे हैं। यह क्या है ? मेरे दोस्तों ने कहा कि अच्छे अच्छे मेम्बर्स बोर्ड में आते हैं, इसी कारण से जयपुर शहर को तरक्की मिल गई है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर को तरक्की इस बोर्ड की वजह से नहीं मिली है बल्कि राजधानी होने की वजह से मिली है। मैंने जयपुर के मकानों की हालत राजधानी बनने से पहले देखी थी जो मकान आज १५०) रु० किराये पर नहीं मिलते हैं वे २) या ३) रु० किराये पर मिलते थे। यह हालत राजधानी की वजह से हुई है न कि इम्प्रूवमेंट बोर्ड की वजह से। इम्प्रूवमेंट बोर्ड की कोटा में जो हालत है उसके बारे में मुझे तजुर्बा है। वहां पर एक आध सेक्रेटरी ईमानदार आये होंगे, बाकी सेक्रेटरीज़ ने भी मनमानी की है, क्योंकि मेम्बर तो कोई है नहीं और जो चेयरमेन हैं उनको अपने काम के कारण वक्त नहीं मिलता, इसलिये सेक्रेटरी मनमानी करते हैं।

( श्री दलीपसिंह )

सेक्रेटरी तजवीज कर देता है और रिश्वत से वह चीज हो जाती है और इसका परिणाम यह हो सकता है, जैसा मैंने बताया कि २८०००) की जमीन उतने में चली गई और काम हो गया, रिश्वत से काम हो गया। मुझे अर्ज करना है कि इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड में नोमीनेटेड मेम्बर होते हैं, वे जवाबदेह नहीं होते, किसी के जवाबदेह नहीं होते। म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर कम से कम वोटर्स के तो जवाबदेह होते हैं। इम्प्रूवमेंट बोर्ड के मेम्बर नोमीनेटेड होंगे, सरकार अपने मनचाहों को नोमीनेट करेगी, तो वे भी मनमानी कार्यवाही करेंगे। इसलिए मुझे अर्ज करना है कि इम्प्रूवमेंट बोर्ड का बिल तो कतई नहीं आना चाहिए इस हाउस में, बल्कि वापिस लिया जाना चाहिए।

( करतल-ध्वनि )

**श्री उपाध्यक्ष** : Hon'ble Narayan Singh (Masuda).

**श्री नारायणसिंह** (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने नगर सुधार विधेयक प्रस्तुत है और इस विषय में हमारे एक माननीय सदस्य ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है, एक शर्त के साथ यह प्रवर समिति को सौंपा जाय। उस शर्त से यह मालूम पड़ता है कि यह इम्प्रूवमेंट बोर्ड विधेयक को अलग विधेयक के रूप में नहीं रख, इसे म्युनिसिपल बिल में शामिल कर लिया जाय। मैं पहले इस शर्त के विषय में अर्ज करना चाहता हूं कि यह तो हाउस की मर्जी पर है कि कोई शर्त रखे अथवा न रखे प्रवर समिति के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रवर समिति का इस सदन द्वारा निर्माण होता है, वह इस सदन की सारी सत्ता को स्वयं ले लेती है और एक प्रकार से इस सदन का छोटा स्वरूप हो जाती है। अगर हम उसको किसी एक तंग गली में अथवा परिमित क्षेत्र में बांध देते हैं तो उसकी स्वतन्त्रता के अन्दर बाधा उपस्थित हो जाती है। वह स्वतन्त्र रूप से निर्मित होकर भी यह विचार कर सकती है कि यह विधेयक अलग रूप में रखा जाय अथवा म्युनिसिपैलिटीज़ बिल के साथ शामिल कर लिया जाय। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस शर्त के ऊपर ज्यादा जोर देना कोई आवश्यक नहीं। प्रवर समिति के अधिकार में यह चीज है। इसके अलावा उस शर्त के अन्दर यह रखा जाय कि आया उस बिल को अलग रखा जाय अथवा नहीं, इस विषय में चन्द शब्द अर्ज करूंगा। म्युनिसिपैलिटी के जो फंक्शन्स हैं, वह ज्यादातर व्यवस्थापक हैं। पुरानी जो चीजें बनी हुई हैं, उनकी व्यवस्था करना और सारे एडमिनिस्ट्रेशन का संचालन करना, ये म्युनिसिपैलिटी का खास तौर से कार्य है और जो यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया जाता है, वह विशेष नीयत से बनाया जा रहा है कि हमारे कस्बों में और हमारे शहरों में जो अनर्गल रूप से बस्तियां बढ़ रही हैं, उन पर विशेष रूप से विचार करके सही ढंग से बनाई जा सकें। अगर यह कार्य म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाता है, तो जो म्युनिसिपैलिटी का रोजाना का कार्य है, उसमें दिक्कत पड़ती है कि वह शायद इसको पूरी तरह न कर पावे। इस विचार से शायद जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उसने यह आवश्यक समझा कि एक अलग प्रकार के टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लिए कुछ प्रोवीजन किया जाय। जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनेगा, उसका खास तौर से रचनात्मक कार्य होगा, नव निर्माण की तरफ उसकी प्रवृत्ति होगी। कुशल इन्जीनियर आदि बुलाकर, हर प्रकार से नये नक्शे ब

( श्री नारायणसिंह मसूदा )

योजनायें बनवा कर उस कस्बे को सुचारू रूप से बनाने की तरफ उनकी प्रवृत्ति होगी। यह ठीक है कि ऐसी व्यवस्था होने से यह होना जरूरी है कि म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में एक दखल आ जायगा। यह बड़ा भारी भय है और इसका निराकरण करने के लिए आवश्यक है कि इस बिल को प्रवर समिति की स्टेज से निकालें। यह जो म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन्स होंगे, उनमें दखल बहुत नुकसान कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बार बार गवर्नमेंट को बीच में पड़ना पड़े। लेकिन मैं देखता हूं इस बिल में कि कुछ पर्सोनल में भी इस प्रकार रखा गया है कि जिसमें म्युनिसिपैलिटी का रिप्रज़ेन्टेशन होगा। यह बात अलग है और म्युनीसिपैलिटी के हित में आवश्यक भी है, लेकिन कुछ और व्यक्तियों का रिप्रजेन्टेशन भी होगा, जो कस्बे के नव निर्माण में दिलचस्पी रखते हों और धन से अथवा अपनी राय से, उसके निर्माण में योग देते हों। यह बात अलग है और उस दृष्टि से इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता जरूर है लेकिन जो यह ट्रस्ट होगा, यह म्युनिसिपैलिटी के साथ एक संयोजक तत्व के तौर पर, तो वह ज्यादा खूबसूरती ला सकेगा। इसमें जो कई चेप्टर और कई प्रोवीजन्स हैं वे करीब करीब म्युनीसिपैलिटी के चेप्टर्स से समानान्तर हैं और यदि इनका म्युनीसिपैलिटी के फंक्शन से संयोजन नहीं किया गया तो हो सकता है, जिस दखलात का हमें भय है, वह वाकई हमारे सामने आ खड़ा हो और दो अवस्थायें अलग अलग अपनी अपनी धुन में काम करने लग जांय, इसको सम्भालना आश्यक है और इस पर प्रवर समिति में भेज कर विचार करना आवश्यक है कि म्युनीसिपैलिटीज़ बिल जो विचारार्थ हमारे सामने आने वाला है, उसे भी फिर से देखें कि इस टाउन डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ किस प्रकार उसका संयोजन बैठ सकता है? अगर म्युनीसिपैलिटीज़ बिल को यों ही पास कर देंगे तो फिर से उस पर संशोधनों पर विचार करना पड़ेगा। इसके बजाय पांच-सात दिन अधिक लेकर अथवा एक महीना लेकर इन दोनों बिलों को पूरी तरह से जांचें।

हम म्युनिसिपैलिटीज बिल में देखते हैं कि म्युनीसिपैलिटीज़ बिल में जो मौलिकता आवश्यक होनी चाहिये, जितने हक म्युनीसिपैलिटीज़ को देने चाहिये, जितनी ऑटोनोमी देनी चाहिये, जिस प्रकार डेमोक्रेसी में डिसेन्ट्रलाइज़ेशन को जन साधारण सुलभ बनाना चाहिये, इसकी कमी मौजूद है। हमारे सामने हमारा खुद का देश और बाहर का अनुभव मौजूद है कि विकेन्द्रीकरण शासन पद्धति किस प्रकार बनाई जाय। लेकिन यह विषयान्तर है। मैं समझता हूं कि म्युनीसिपैलिटीज़ बिल पर इस तरह काफी विचार करने की आवश्यकता है, मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता है; इस प्रकार के दखलात का जो भय है वह दूर हो सकता है। म्युनीसिपैलिटीज़ ऑटोनोमस यूनिट की तरह काम कर सकें और इसके साथ ही डेवलपमेंट ट्रस्ट संयोजक तत्व की तरह काम करें, बराबर की हैसियत से नहीं अथवा एक दूसरे को सुपरसीड करने की नीयत से नहीं, बल्कि उसका संयोजक बन कर यह सत्ता काम करे, उसके मातहत या अन्यथा संयोजक रह कर यह काम कर सके।

अब कुछ लोगों ने कहा कि कई व्यवस्थायें बना देने से हमारे कामों में कोई रोड़ा अटक जाता है, वह विभिन्न प्रकार इधर उधर

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

खिंचने लग जाता है और व्यवस्था नहीं आ पाती। मैं मानता हूँ, एक माननीय सदस्य ने एक उदाहरण भी दिया, जैसे एक भवन निर्माण के समय में किसी को किवाड़ की चौखट बनाने का काम दे दिया, किसी को छत का काम दे दिया, तो किस प्रकार से संयोजन कर सकेंगे? वास्तव में यहां एक संयोजन ही की तो आवश्यकता है। हम अलग अलग प्रकार की म्युनिसिपैलिटी में सब–कमेटीज् बनाते हैं, अलग अलग विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जिससे एकांगी की ओर विशेष ध्यान दे सकें। आज हमें जो टाउन डेवलपमेंट की आवश्यकता है, वह कोई अमान्य नहीं कर सकता है और उस आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए यह बिल आज हमारे सामने लाया गया है कि जिससे यह कार्य सुचारू ढंग से, अलग तरीके से हो सके। अगर इसको म्युनिसिपैलिटी के फक्शन्स से संयुक्त कर देते हैं तो भय करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें खींचातानी हो सकेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का बिल आवश्यक है और इसकी भी आवश्यकता है लेकिन इस बिल को इस प्रकार जोड़ देना चाहिए म्युनीसिपैलिटीज् बिल के साथ, जिससे इन दोनों के अन्दर परस्पर विरोध, खिंचाव न बना दें। इसमें चेप्टर नाइन हैं, जिसमें विशेष प्रकार के अधिकार दिये गये हैं, ऐसे ही और जो चेप्टर्स हैं, उनमें ऐसे जो अधिकार हैं, उनकी एक्जीक्युटिव पॉवर म्युनीसिपैलिटी को बना सकते हैं और उस प्रकार टाउन विकास बोर्ड प्लानिंग कर सकता है, या राय दे सकता है, उस राय के अन्दर म्युनीसिपैलिटी के मेम्बर भी शामिल होंगे, इस प्रकार जो परस्पर विरोध खिंचाव हो सकता है, वह इस प्रकार हल हो जायगा स्वतः। जो मैं समझता हूं कि तो कुछ माननीय सदस्य का विचार था कि इस विधेयक को बिल्कुल ही म्युनीसिपैलिटीज् बिल के साथ मिला दिया जाय, अलग तौर से पास करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका विरोधी हूं। यह बात अलग है कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाय। लेकिन मैं इसके साथ ही जोर दूंगा कि म्युनीसिपैलिटीज् बिल को भी प्रवर समिति में भेजना चाहिए, न केवल इसलिए कि यह इसके साथ संयुक्त किया जाय, किन्तु इसलिए भी कि म्युनीसिपैलिटीज् के फक्शन्स आज की परिस्थिति में व्यापक नहीं हैं। ओटोनोमस और वहां की स्थानीय जगह के काम का अन्जाम सुचारू रूप से तभी हो सकता है जब जन-साधारण, the man in the street may feel that democracy is safe in his hands and it is cousciously worked by him इतने शब्दों के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इसे प्रवर समिति को अवश्य देना चाहिए।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, आज राजस्थान नगर सुधार विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है। बिल के प्रस्तुत होते ही मिनिस्टर इन्चार्ज महोदय ने सदन की इच्छा जान कर इसको सिलेक्ट कमेटी में देना स्वीकार कर लिया था, उसके बाद मेरे लिये कहने को कुछ नहीं बचा था, लेकिन फिर एक संशोधन आया कि सिलेक्ट कमेटी को इस संशोधन के साथ भेजा जाय। वह नई शर्त मालूम पड़ी और इसके लिए नियमावली के नियम देखे गये और उस पर वाद-विवाद हुए। मैं सोचती हूं कि यदि हम परम्पराओं, कानून और नियमों के अन्तर्गत शब्दों के अर्थों को खींच कर नहीं चलेंगे और भावना को लेकर विचार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आवेगी और काम हो जावेगा। इसके साथ

( डा० चन्द्रकला )

ही इसी चर्चा के सिलसिले में मैंने सुना कि select committee is a miniaure of the House तब मुझे लगा और जैसा मैंने प्रकट किया था कि वह miniature सिलेक्ट कमेटी भी इसी सदन में उपस्थित है तो हमें अपनी बातों को समझाना, अपनी भावनाओं को सिलेक्ट कमेटी में सीधी नहीं तो इस दूसरे तरीके से पहुंचाना संभव है।

माननीय उपाध्यक्ष, सुधार के किसी भी बिल का समर्थन ही होता है और यदि विकास की कोई बात की जाती है, यदि कोई विकास की योजना सरकार रखती है तो जनता और जन-प्रतिनिधि उसका समर्थन ही करते हैं। इस दृष्टि से इस बिल का समर्थन किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैं जानती हूँ कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड जयपुर में बहुत अर्से से काम करता चला आ रहा है। जिस समय जयपुर एक रियासत थी उस समय सर मिर्जा के जमाने में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड स्थापित हुआ; निस्संदेह सर मिर्जा के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में इसने बहुत अच्छी तरह से काम किया और शायद मैं समझती हूँ कि इसी से प्रभावित होकर हमारे माननीय मंत्री महोदय इस बिल को प्रस्तुत करने के लिये प्रेरित हुए हैं। लेकिन आज हमसे और आपसे किसी से भी यह छुपा नहीं है कि जयपुर सर मिर्जा के समय एक रियासत की राजधानी था मगर आज यह सारे राजस्थान की राजधानी है। प्रान्त के निर्माण के साथ ही साथ जयपुर की स्थिति भी बदली और इसके साथ साथ अर्बन इम्प्रूवमेंट की स्थिति भी बिगड़ती गई और जहां तक मैं जानती हूं मैं कह सकती हूँ कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की स्थिति आज केवल प्लोट बना कर बेचने के अलावा कुछ भी मुझे मालूम नहीं पड़ती है।

यह हम सभी जानते हैं कि नगर की व्यवस्था के लिए नगरपालिकाएं हैं और नगरों के सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट बोर्ड की बात है, जैसा कि कई लोगों को भय है, मैं भी सोचती हूं कि नगरपालिकाओं के साथ इस अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का समन्वय किस प्रकार बैठे, इस सम्बन्ध में हमारे सामने एक उदाहरण जयपुर का ही है जहां पर अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड भी है और म्युनिसिपेलिटी भी है और दोनों के लिए क्षेत्र और सीमाएं निर्धारित हैं। लेकिन आए दिन दोनों में संघर्ष भी होता रहता है। जब मुझे छोटे-मोटे काम पड़ते हैं और मैं उनके लिए जब म्युनिसिपेलिटी से बात करती हूं तो वे कहते हैं कि मेरी सीमा इस चार–दिवारी के भीतर है। जब अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड वालों से कहती हूं तो वे लोग यह कहते हैं कि म्युनिसिपेलिटी वाले हमको सहयोग नहीं देते। मैं यह निवेदन करूंगी कि ये दोनों आपस में सहयोग से काम करें तभी अच्छा रहे। किसी भी तरह से एक दूसरे में फर्क नहीं होना चाहिए, वे दोनों आपस में एक दूसरे के सहयोगी हों और सहयोगिनी के रूप में काम करें तो अच्छा हो। मैं इस विधेयक का स्वागत करूंगी यदि ये संस्थाएं आपस में मिल कर काम करें, उनमें स्पर्द्धा न हो। अन्यथा जब इनमें आपस में खींचातान शुरू होती है तो किसी को भी लाभ नहीं होता। नगरपालिका की स्थिति वैसी रहे जो बच्चे के लिए मां–बाप की स्थिति होती है और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड की स्थिति बच्चे के शिक्षक के समान। यदि दोनों अपने अपने कर्तव्य को समझ कर काम करें तो अच्छी तरह से काम हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता और अगर दोनों में संघर्ष और खींच-तान शुरू होती है तो काम अच्छी तरह

( डा० चन्द्रकला )

से नहीं होगा। इसके साथ ही अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड में, जैसा कि इस बिल के अन्तर्गत दिया गया है, उसकी जो स्कीम है वह सीमित है सड़कों तक, गलियों और मकानात तक। वह यह योजना बनाएगा कि यह सड़क सीधी बना दी जावे तो सुन्दर लगेगी, इसको ऐसा किया जावे तो अच्छा लगने लगेगा, मगर इन सब सुन्दरताओं का अनुभव करने वाले जो नागरिक हैं उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उसका काम म्युनिसिपैलिटी को सौंप दिया गया माना जाता है। इस प्रकार जब एक के अधिकार और दूसरे के कर्तव्य में संघर्ष होता है तो जनता दुखी हो जाती है। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने एक योजना बनाई कि जालुपुरा की बस्ती असुन्दर है और शहर की सुन्दरता को बिगाड़ने वाली है इसलिये नई योजना के आधार पर बसाया जावे। वहां की जनता इससे त्राहि-त्राहि कर उठी। आप देखिये, आज वहां की जनता की हालत क्या है? वहां के लोगों की यह हालत है कि उनकी बस्ती में एक नल नहीं, रोशनी के लिये बिजली का एक बल्ब नहीं और एक भी बिजली का खम्भा नहीं और उनके लिये आप चाहते हैं कि बीच में वहां एक पार्क बना दिया जावे और सब तरह से उसको आधुनिक रूप दे दिया जावे। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड और म्युनिसिपैलिटी में आपस में सहयोग नहीं होने की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। आप मकानों की तरफ ध्यान देते हैं, गलियों की तरफ ध्यान देते हैं, ऊपरी सुन्दरता की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। जयपुर की चौड़ी-चौड़ी सड़कें दुनियां में मशहूर हैं और इसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं लेकिन जनता जो इसकी चौड़ाई की सुन्दरता को नहीं समझती है इसे गंदगी से बिगाड़ कर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के जो उद्देश्य हैं उन सब को फीका कर देती है। अस्तु: यह बिल बहुत सुन्दर है लेकिन इसके साथ साथ यह सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी कि म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड दोनों आपस में सहयोगिनी या बहिन संस्था के रूप में काम करें। और परस्पर प्रतिद्वन्द्वी न बन जाए और यह भी देखें कि उनको पूरा पूरा नागरिकों का सहयोग हो। अन्यथा आपसी सहयोग के अभाव में जनता को परेशानी रहेगी और जनता के सहयोग के बिना अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड बेकार रहेगा। इसलिये यदि सिलेक्ट कमेटी उक्त बात को ध्यान में रखते हुए इस बिल की रूप-रेखा निर्धारित करेगी तो उससे नगरों की स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो सकेगा।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, प्रश्न बहुत ही सीधा है। अभी जो संशोधन हाउस के समक्ष माननीय मंत्री महोदय ने अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल के संबन्ध में पेश किया है उसके साथ साथ इस संशोधन को भी, जो पेश हुआ है, सिलेक्ट कमेटी के सामने यह चीज रखी जा सकती है या नहीं? एक चीज साफ है कि दोनों बिलों को देखा जावे तो करीब करीब उनके उद्देश्यों में समानता पाई जाती है। चाहे आप अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल को देखें और उसकी किसी भी क्लॉज़ को ले लीजिये, उसमें वही काम है जो म्युनिसिपैलिटी को सुपुर्द किये गये हैं। मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा लेकिन म्युनिसिपल एक्ट की धारा १३४ में यह साफ है कि म्युनिसिपल बोर्ड अपने काम के लिये भिन्न-भिन्न कमेटियें बना सकता है और वे काम को करती हैं। टाउन इम्प्रूवमेन्ट के सम्बन्ध में म्युनिसिपैलिटीज़ को पूरा अधिकार है। इसी प्रकार १०८ की जो धारा है उसमें बिल्डिंग की सिमेट्री लाइन देखने का अधिकार

( श्री मूलचन्द डागा )

है और ये सब अर्बन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट क्लॉज़ से मेल खाती है। मैं समझता हूं कि राजस्थान ऐसी स्टेट है जिसमें एक मील के एरिया में इतने लोग नहीं रहते जितने कि बम्बई और मद्रास आदि शहरों में रहते हैं। हम लोग दूसरों से नकल किया करते हैं और हमारे लिये जो चीज ठीक होती है उसकी हमको नकल करनी चाहिये। और इनके आधार पर वह बिल रख दिया करें और यह मालूम हो कि राजस्थान सरकार नये नये कानून देश की उन्नति के लिये बनाती है। मैं समझता हूं कि राजस्थान प्रान्त में बहुत कम बड़े बड़े शहर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि छोटे शहर हैं, और ये शहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास का मुकाबिला नहीं कर सकते और वहां म्युनीसिपैलिटीज़ का यही उद्देश्य है कि कानून लागू किया जाय। म्युनिसिपल एक्ट की धाराएं साफ हैं कि वहां एक्ट लागू किया जायगा जहां की आबादी इतनी हो। ग्रामों में पंचायतें काम करती हैं और शहरों में म्युनिसिपैलिटीज़ काम करती हैं, जहां उन्होंने अपना जीवन शुरू किया है, वहां इस प्रकार की शासकीय संस्था लाकर खड़ी करना चाहते हैं; फिर शर्त यह है कि जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है, इतना साफ सुथरा संशोधन है, आपकी दफा १०० के रूल्स में साफ है कि सिलेक्ट कमेटी को कोई सुझाव भेजते हैं, तो सिलेक्ट कमेटी हमारे हाउस के सदस्यों के अन्दर से थोड़े से सदस्यों की संस्था होती है जो इस बिल की छान-बीन करती है और वह उस छान-बीन के समय सहादत ले सकती है, इसके आगे की जितनी सेक्शन्स हैं, उनमें सिलेक्ट कमेटी को अधिकार दिये हैं, प्रूफ का शब्द आता है; Proof consists of so many factors, जुडिशियली नोटिस दे सकती है, एक्ट को ध्यान में ला सकती है, यह सब उस प्रूफ में आते हैं, सिलेक्ट कमेटी को पॉवर है कि वह इन बातों की जांच करे, पर मैं यह समझता हूँ कि मन्त्री महोदय इस बात को रखने में अड़चन पैदा करते मेरे खयाल से कानून इतना साफ नहीं है, इसमें लिखा है कि किसी रूप में संशोधन के साथ में सिलेक्ट कमेटी को रेफर नहीं किया जाय। माननीय उपाध्यक्ष ने एक बात कही और ध्यान दिलाया कि क्या इसके लिये परम्परा भी है? मैं अर्ज करूं कि परम्पराएं कायम की जा सकती हैं, आदमी अपनी समझ से नई परम्परा कायम कर सकता है। यह सुझाव है कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ बिल और टाउन इम्प्रूवमेन्ट बिल हैं उनमें समानता है। राजस्थान में इस तरह के बिल पास होने की स्थिति में केऑस पैदा हो सकता है और इसके उदाहरण दिये हैं, सिलेक्ट कमेटी भी इन उदाहरणों से आंखें नहीं मींच सकती और जिन्होंने यह अमेंडमेंट रखा है उनका खयाल साफ था कि हम इतने कानून नहीं बनायें। कानून कम हों यह शासन की शोभा है, कानून बनायें और जहां लोक राज्य कायम है, लोकराज की महत्ता बढ़े, वैसी स्थिति में कोई बात नहीं है कि किसी संशोधन को प्रवर समिति के समक्ष पेश न करें।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी विशालता का परिचय देते हुए इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजें और सिलेक्ट कमेटी की राय भी आखिर हाउस में ही आयेगी और हाउस को अधिकार होगा कि उन पर विचार करे। अन्त में मैं अपील करता हूं कि माननीय सदस्य के इस संशोधन के साथ या आपने शर्त रखी है उसके साथ सिलेक्ट कमेटी को यह बिल भेजा जाय।

# Page No.83



**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर विकास मंडल विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ और जिस पर एक संशोधन सदन के सामने आया, जिस पर सदन के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये। मैं समझता हूं कि जो विचार सदन के माननीय सदस्यों ने प्रकट किये उन विचारों को लोकतन्त्र की दृष्टि से मन्त्री महोदय देखेंगे तो उसी नतीजे पर पहुचेंगे जो नतीजा इस संशोधन का था। इसलिये मैं समझता हूँ कि इस संशोधन की कोई अधिक वकालत करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु एक दृष्टिकोण जो मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा और जिस विशेष आधार पर मैं इस संशोधन का समर्थन करना चाहूंगा और जिस विशेष आधार पर इस संशोधन का मैं समर्थन करता हूं, वह विचार अलावा इसके कि नगर विकास मंडल विधेयक और और नगरपालिका विधेयक अगर राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किये गये तो राजस्थान की जनता के सामने जो कि नगरों में रहती है एक बडी भारी असुविधा और दुविधा खडी हो जायगी जिस प्रकार की कि असुविधा और दुविधाएं आये दिन प्रशासन में खडी होती हैं, जिनके उदाहरण आये दिन हमें देखने सुनने को मिलते हैं।

ज पुर की माननीय सदस्या ने अपने विचार प्रकट करते हुए इस सम्बन्ध में कहा, मैं ज्यादा न कह कर यही कहूंगा कि आज जयपुर शहर की भयंकर स्थिति है। जहां तक स्वच्छता और विकास का सम्बन्ध है नगर विकास मंडल का या जयपुर नगरपालिका का शासन कोई भी काम करने में कदम रखता है तो दोनों में झगड़े पैदा होते हैं, संघर्ष पैदा होते हैं और आये दिन कई प्रश्नों के ऊपर झगड़े होते हैं। क्योंकि नगरपालिका कानून के अनुसार नगरपालिका की सीमा है, वहां नगरपालिका का अधिकार है और उसकी सीमा के बाहर नगर विकास मंडल का अधिकार है। बड़ा मजाक किया जा रहा है जयपुर के जन-जीवन के साथ, जयपुर के साढ़े तीन लाख निवासी हैं वे जयपुर की नगरपालिका को चुनते हैं। नई कोलोनी, सी. स्कीम, बनी पार्क आदि बाहर के हिस्से हैं, वहां नगरपालिका की दृष्टि से नगरपालिका के मेम्बर चुन कर भेजते हैं पर वहां की विकास की समस्या, कहीं आग लग जाय, सडक टूट जाय, पानी और बिजली की व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो तो कहते हैं, नगर विकास मंडल का सम्बन्ध है, वह एरिया नगरपालिका के अन्दर नहीं आता, इसलिये नगर की चार दीवारी के बाहर का इलाका है उसका कोई विकास नहीं होता। नगरपालिका कहती है कि हमारा अधिकार नहीं, हम इसके विकास के जिम्मेदार नहीं और नगर विकास मंडल कहता है कि इसके विकास के लिये सरकार खर्च करे, हम खर्च नहीं करेंगे। नगर विकास मंडल आज लाखों रुपया भूमि विक्रय कर के अपने कोष में जमा कर रहा है पर विकास के सम्बन्ध में वह कुछ नहीं कर रहा है और जयपुर का कोई विकास नहीं, हो रहा है। कानून का उन पर कोई अंकुश नहीं कह नहीं सकते। जयपुर के चुने हुए नुमायन्दे नहीं हैं। नगर विकास मडल का जो कॉन्स्टीट्युशन है विकास मंडल बना है, इस विधेयक के पास होने के पश्चात् बनेगा, उन नगर विकास मंडल के चेयरमैन सरकार के द्वारा नोमिनेट किये हुए चेयरमैन होंगे, और इसके दो सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

जाएंगे। राजस्थान सरकार को इस कानून में इतने अधिकार दिये हैं कि इस ट्रस्ट को सरकार द्वारा किन्हीं स्थितियों में भंग किया जा सकता है। अब मैं यहां के उदाहरण सदन के सामने रखूंगा कि किस प्रकार के संघर्ष नगरपालिका और नगर विकास मंडल में होते हैं। नगर विकास मंडल ने सारी जमीनें अपने आधीन ले रखी हैं, भूमि को किराये पर दे रखा है, जहां पर लोगों ने स्टाल लगा लिये हैं। नगर पालिका कहती है कि स्टाल नहीं लगा सकते। सांगानेर दरवाजे के बाहर का किस्सा है, गोपाल नाम का एक व्यक्ति था उसने ३६० रुपये की रकम जमा करा दी, रसीद उसके पास थी, दो साल तक उसे स्टाल लगाने की इजाजत दी गई, पर दो साल के पहले ही ६ महीने में नगरपालिका का ट्रक गया और कहा कि स्टाल लगाने का तुमको अधिकार नहीं है, नगर विकास मंडल को यह भूमि किराये पर देने का अधिकार नहीं है, हम इजाजत देंगे। इस बहाने पर उस आदमी की स्टाल को उठा कर ले गये, अब वह व्यक्ति कहां जाय? अब आप ही बतायें कि उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति ने माननीय मन्त्रीजी को, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी को दख्वास्त दी और प्रार्थना पत्र दिया। लेकिन उस बेचारे की कोई सुनवाई नहीं हुई और उसकी दख्वास्त पर कोई किसी भी तरह का फैसला नहीं हुआ। कितने अफसोस की बात है? आगे मैं आपको बताऊं कि उस व्यक्ति ने बड़े बड़े अधिकारियों को इसके लिए शिकायतें लिखीं; चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और आई० जी० पी० को भी उसने लिखा। खुद माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री को भी उसने लिखा। उनको तार दिया, रिप्रेजन्टेशन किया और अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो शायद हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी को याद हो तो उनको भी यह तार मिला होगा और रिप्रेजन्टेशन मिला होगा। लेकिन आज वे यह कहने की स्थिति में नहीं हैं कि उन्होंने उसका कोई फैसला किया है। क्या उन्होंने नगरपालिका के अध्यक्ष से पूछा कि उन्होंने स्टाल को क्यों उठवाया? आज उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आज जयपुर में स्थिति यह हो रही है कि आदमी एक है, नारी एक है, वृद्धा एक है: लेकिन पति दो हैं। इसी तरह से काम एक है और उसके लिए दो दो संस्थायें हैं, म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड। आज के कॉन्सटीट्यूशन में, संविधान में इस तरह की चीजें अलाऊ नहीं की जा सकतीं। एक ही चीज पर दो चीजें सवार नहीं हो सकतीं। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमें किसी का विरोध करने में कोई आनन्द नहीं आता। अगर हमें किसी चीज का विरोध करना है तो हम सिद्धान्तों पर करेंगे। आज एक ओर जहां हम लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र को पनपाना चाहते हैं और हम समाज को आगे ले जाना चाहते हैं वहां इस तरह के वाकयात हों तो मैं नहीं समझता कि हम प्रजातन्त्र के पोषक हैं। आज प्रजातन्त्र का जो मूलभूत उद्देश्य, मूलभूत तत्व है, जो केन्द्रबिन्दु है, वह यह है कि आज हम सारे देश की राजकीय सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। तो जहां तक राजकीय सत्ता के विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है उसके बारे में दो मत नहीं हो सकते। यहां जितने भी सदस्य बैठे हैं, चाहे वे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, सभी का यह मत है कि राजकीय सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहिए। अगर उस कसौटी के आधार पर इस प्रश्न को तोला जाय तो जो माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री हैं वे इस चीज की आवश्यकता नहीं समझते कि नगर विकास मण्डल का जो चेयरमैन होगा वह गवर्नमेंट के द्वारा नामीनेटेड हो। साथ ही इस प्रकार की दुहरी संस्था बनाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए मैं समझता हूं कि नगरपालिकायें हैं और नगर विकास मण्डल हैं, यह लोकतन्त्र के विकास के प्रथम बिन्दु हैं। हमारे स्वायत्त शासन मन्त्री हमारी प्रतिष्ठा को सामने रख कर, लोकतन्त्र की परम्पराओं को ध्यान में रखकर और हमारे बड़े बड़े महान नेताओं की बातें सामने रखकर इस प्रकार का प्रबन्ध करते तो मैं समझता हूँ कि अधिक अच्छा होता कि गांव का रहने वाला गांव का इन्तजाम करे और शहर का रहने वाला शहर का इन्तजाम करे। पंचवर्षीय योजना, श्रमदान और सामुदायिक विकास योजना के पीछे कौन सी भावना है, इसे लोगों को बतावें। मैं समझता हूं कि इनके पीछे यही भावना है कि हम अपना प्रबन्ध स्वयं आप करना सीखें, हम अपना विकास आप करना सीखें। आज जयपुर का विकास करने के लिए, उदयपुर का विकास करने के लिए और अजमेर का विकास करने के लिए ट्रस्ट बनाये जायेंगे। नगर-पालिकायें हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वे अच्छा करें, बुरा करें, भला करें उनको करने देना चाहिए। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री इस मौके पर यह कह सकते हैं कि नगरपालिकायें अच्छा इन्तजाम नहीं करती हैं। मगर मैं उनकी बात से असहमत हूँ। आप मुझे बतायें कि क्या हमारे देश का, भारतवर्ष का शासन खराब चल रहा है, तो क्या उसके शासन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए बाहर से लोग लायेंगे? क्या हम यहां का इन्तजाम रूस, अमेरिका और चीन के लोग लाकर करवायेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने देश का शासन हम स्वयं चलायेंगे। इस तरह की योजनाओं के बारे में हम चाहते हैं कि हम स्वयं अपना विकास करें, भला करें, बुरा करें हमें ही करना है। हमारी जनता के प्रतिनिधि, जनता के लोग अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, इन्तजाम में कमी रहेगी तो क्या है। म्युनिसिपैलीटीज़ को सरकार कई तरह के अधिकार देती है। तो जो अधिकार म्युनिपैलीटीज़ को दिये जाते हैं सरकार उनका पूरी तरह से, उचित रूप में उपयोग करे तो फिर म्युनिसिपैलटीज़ के बाद नगर विकास मंडल की क्या आवश्यकता है? यह दोहरा शासन क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्रतिकूल परिस्थिति सरकार ने क्यों उत्पन्न की? इस प्रकार की बदइन्तजामी से एक नगर विकास नहीं हो सकता और अगर इस प्रकार की बोडी रहेगी, जैसा कि मेरे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री चाहते हैं तो नगर का विकास कभी नहीं हो सकता। मेरी निश्चित मन्शा है कि ये नगरपालिकायें नागरिकों की इच्छा के अनुसार चलने वालों का एक गुट है। वह व्यवस्था उन्हीं के अनुसार हो सके, ऐसा कोई उपाय सरकार को करना चाहिए और इस तरह की दुहरी संस्थायें किसी भी कीमत पर कायम नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं कह सकता हूं कि नगर के विकास का प्रबन्ध, विकास का सवाल नगरपालिका का होता तो डिग्गी हाऊस के अन्दर जो मिनिस्टरों को प्लॉट दिए गए हैं वे किसी भी रूप में, किसी भी कीमत पर उनके नहीं हो सकते थे। जो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं और कहीं बाहर रहते हैं उनको आज एक

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

स्थान के ऊपर प्लॉट मिल जाता है तो बड़े आश्चर्य की बात है। उसका कारण एक है कि नगरपालिका में उनके बनाये हुए लोग हैं। क्यों ऐसा किया जाता है ? मैं उदाहरण दे सकता हूं। यहां डिग्गी हाउस के अन्दर एक प्लॉट देवीनारायणजी व्यास को अलॉट हुआ है। वह न तो यहां की नगरपालिका के मेम्बर हैं और न यहां के रहने वाले हैं, फिर भी समझ में नहीं आता कि उनको किस प्रकार से प्लॉट अलॉट हुआ। मैं आपको कहता हूं कि इसका कारण यह है कि वह एक बड़े उच्च नेता का लड़का है। अगर यह नगरपालिका के पास होता तो वह उसको कभी नहीं मिल सकता था। इसलिए नगरविकास मण्डल को लाना हमारे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी की कुचाल है और यही उसका उद्देश्य है; फिर ठीक है मुझे माननीय मन्त्री महोदय को कुछ नहीं कहना है। मैं कहता हूँ कि वे स्वयं इस बात का निर्णय कर सकते हैं, अपने मनचाहे लोगों को प्लाट दे सकते हैं। चाहे उनकी दरख्वास्तें एक साल पहले आई हों या डेढ़ साल पहले आई हों उनको तो प्लाट पहले मिलना चाहिए और चाहे दूसरे लोगों की दरख्वास्तें ८ साल पहले आई हों उनको नहीं मिलना चाहिए। अगर इस तरह की व्यवस्था माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री हमारे राजस्थान में करना चाहते हैं तो फिर मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। अगर सही रूपसे नगर का विकास करना है और राजस्थान के सारे शहरों और सारे नगरों को आगे बढ़ाना है और उनको भी दूसरे प्रान्तों के नगरों के समान लाना है तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की पिछड़ी हुई जनता को, जहां लोकतन्त्र अभी शैशवावस्था में है, शैशवकाल में है; वहां के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। यहां के लोगों का, जन-जीवन के विकास का जो मूलभूत अधिकार है उनको उससे वंचित रखना उनके अधिकार को छीनना, कानूनों के रूप में विधान सभा की सील लगा कर लोकतन्त्रन की हत्या यहां राजस्थान में हमारे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री कर रहे हैं और यह वह कदम होगा, वह प्रतिगामी कदम होगा शायद जो लोकतन्त्र को उसकी भावनाओं को कभी पनपने नहीं देगा। इसलिए इन्हीं मूलभूत आधारों पर कि राजनैतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण इसी तरह की संस्थाओं द्वारा होता है कि वहां के विकास की सारी योजनायें वहीं के लोगों के हाथ में होनी चाहिए; इस तरह का जो संशोधन रखा गया है मैं उसका बहुत ही जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूँ और साथ ही सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सही रूप से इस पर विचार करें और माननीय स्वायत्त मन्त्री सही चीज को सामने रख कर विचार करें। वैसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय स्वयं मेरी इस चीज से सहमत होंगे और जब मेरी इस चीज से सहमत हैं तो मुझे आशा है कि वे खड़े होकर हमारी भावना का आदर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूँ।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : आप सदस्य की हैसियत से बोलेंगे क्योंकि सम्बन्धित मन्त्री तो उपस्थित हैं नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष** : That is for me to decide.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** ( सीकर ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल अभी सदन के समक्ष उपस्थित है और मेरे भरतपुर से आने वाले सदस्य ने जो इसके लिए कहा कि इसे सिले-

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

क्ट कमेटी को भेज दिया जाय और इसके लिए प्रस्ताव भी रखा है कि सिलेक्ट कमेटी इन आधारों पर विचार करे कि इस अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल और म्युनिसिपैलिटी बिल को एक साथ अमेलगमेन्ट किया जा सकता है या नहीं। इन दोनों चीजों का नगर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वह एक जयपुर की नगरपालिका का उदाहरण देता हूँ। पिछले दो-तीन दिन पूर्व ही नगरपालिका के चेयरमैन ने त्यागपत्र दिया है और इस कारण से दिया है कि नगरपालिका की जितनी भी जमीन है उसको नगर विकास मण्डल बेचता है, जबकि जमीनों को बेचने का अधिकार नगरपालिका का है। उनका आरोप यह है कि नगर विकास मण्डल के सदस्य नामीनेटेड हैं और वे ठीक तरह से काम नहीं करने देते; इस तरह का आरोप लगाकर उन्होंने त्यागपत्र दिया है। तो यह तो वास्तव में एक उदाहरण मिलता है। तो क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि वास्तव में इस प्रकार की दिक्कतें आगे आयेंगी या नहीं आयेंगी। दिक्कतें आ रही हैं। नगरपालिकायें वास्तव में प्रजातन्त्र की प्रारम्भिक सीढ़ी हैं, हमारे प्रजातन्त्र के विकास के लिए प्रारम्भिक सीढ़ी है और इसके ऊपर एक प्रकार का अंकुश शोभा नहीं देता क्योंकि नगर विकास मण्डल का अध्यक्ष और दो सदस्य सरकार नोमिनेट करेगी, यानी तीन व्यक्ति तो इस प्रकार के होगये जो नोमीनेटेड होंगे और दो व्यक्ति इस प्रकार के होंगे जो म्युनिसिपैलिटी द्वारा चुने हुए होंगे। तो प्रश्न आता है कि तीन व्यक्ति जो नोमीनेटेड होंगे वे कौन होंगे?

हमने अभी अभी सुना था कि जयपुर नगर से हारे हुए एक उप मन्त्री महोदय को जयपुर नगर विकास मण्डल का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जिस व्यक्ति को जनता ने ठुकरा दिया उसको हमारी सरकार चाहती है कि कोई न कोई पद दे दिया जाय। यही उन भागों के लिए भी होगा जहां जहां विकास मंडल बने हुए हैं। आज दुहाई तो प्रजातन्त्र की दी जाती है लेकिन कार्यवाही इस प्रकार की करने जा रहे हैं जिससे प्रजातन्त्र का गला घुट जाय। विरोधी दल के किसी सदस्य को किसी भी विकास मण्डल का अध्यक्ष बनाया जायगा, यह कदापि आशा नहीं की जा सकती। जनता द्वारा, हमारे संविधान द्वारा जो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं उनको यदि जनता स्वीकार नहीं करती है, जो लोगों द्वारा ठुकरा दिये जाते हैं उनको पिछले दरवाजे से अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है ताकि वे किसी न किसी प्रकार खुश रह सकें। इसके अलावा सदस्यों की भी जो नियुक्ति की जायगी उसमें भी इस बात के लिए मना नहीं किया जा सकता कि विरोधी दल के सदस्यों को लेंगे, हर्गिज उनको स्थान नहीं दिया जायगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय; ताकि दोहरी सरकार है यानी ड्युअल फोर्म आफ गवर्नमेंट है नगरों के लिए उसको हम किसी प्रकार रोक सकें। अगर मन्त्री महोदय इस बिल को रोक लेते हैं और आगे आने वाले म्युनिसिपल विधेयक के साथ इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उस आधार पर व्यवस्था हो सकती है। शायद मन्त्री महोदय को यह डर लगता हो कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया तो हम म्युनिसिपल बिल को विचार के लिए नहीं ले सकते। इसी आधार पर अगर इस विधेयक को स्थगित कर दिया जाता है और दोनों विधेयकों को

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

एक साथ लेकर, दोनों की बातों को एक दूसरे में शामिल करके, नये विधेयक के रूप में यदि विचार किया जाय तो उस दिशा में इसका सिलेक्ट कमेटी में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आगे जाने वाले समय के लिए नगर विकास की दृष्टि ने कानून का ठीक ढंग से पालन हो सकेगा और भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत और संघर्ष होने की सम्भावना भी नहीं रहेगी। इसी दृष्टि से मेरा निवेदन है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे। ताकि सिलेक्ट कमेटी उपरोक्त सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका सही रूप में निर्माण कर सके।

४.५ म० प०

**श्री मोहरसिंह (चूरू)**: माननीय उपाध्यक्षजी, आज हाउस के सामने जो राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बिल आया हुआ है उस पर माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार काफी प्रगट कर दिये हैं। इसके मुतल्लिक मैं भी दो शब्द अर्ज कर देना चाहता हूँ। हालांकि काफी विचार प्रगट कर दिये गये हैं. ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता अब नहीं रही है, फिर भी मैं मामूली तौर पर अपने विचार प्रगट करूंगा।

मुद्दे के तौर पर इस बिल से हमारा मतभेद इसलिये है कि एक तरफ तो हमारी सरकार इस प्रकार की डींगे हांकती जा रही है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं और पॉवर जनता के हाथ में ज्यादा देना चाहते हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा पॉवर्स देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके मुकाबले इस प्रकार के बोर्ड बनाये जा रहे हैं, जो आज के प्रजातन्त्र के युग में कदापि शोभनीय नहीं कहे जा सकते। सबसे मुद्दे का मतभेद इसी चीज पर है। दर असल इस प्रकार के बोर्ड पहले से भी मनोनीत किये जाते रहे हैं। जिस तरह से शहरों की उन्नति के लिए वर्तमान बिल लाया गया है उसी तरह से देहातों में पानी की व्यवस्था के लिए कुछ अर्से पहले वाटर बोर्ड नाम की एक संस्था बनी थी उसका कार्य हमने तीन साल तक देखा और हम इस बात को महसूस करने लग गये कि इससे रिश्वतखोरी और करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। उसके अन्दर इस प्रकार के आदमी मुकर्रर किये गये, इस प्रकार के आदमियों को नोमीनेट किया गया जो वास्तव में सरकार के पक्ष के लोग थे, ज्यादातर रुपया उनके द्वारा लगाया गया और उसमें बड़े भारी गबन तक हुए। आज हमें अनुभव है बोर्ड का, यह बोर्ड भी बनाया गया तो इसमें भी सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे जो वास्तव में प्रजातन्त्र के खिलाफ चीज होगी और रिश्वतखोरी को ज्यादा बढ़ावा देने वाली चीज होगी। अगर वाटरबोर्ड में हुये गबन आदि को जानना चाहते हैं तो उदाहरण भी दिये जा सकते हैं और लाखों रुपये के गबन को साबित भी किया जा सकता है। उसी तरह नोमीनेशन इस बोर्ड में भी होगा, इसका नतीजा यह होगा कि भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा यह भी होगा कि जो माननीय सदस्य हाउस में जनता द्वारा चुन कर नहीं आ सके उनको भी थोपा जायगा। ये चीजें ऐसी हैं जिससे जनता इस प्रकार के बोर्ड्स को नहीं चाहती। हमें तो चाहिये यह कि हम ज्यादा से ज्यादा अधिकार स्वायत्त शासन संस्थाओं को दें, हमें इस प्रकार के पॉवर्स हैं वे म्युनिसिपैलिटी को दे देना चाहिए। इस पर जो खर्चा होने वाला है वह

( श्री मोहरसिंह )

भी म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाय। आज जो बिल लाया जा रहा है वह प्रजातन्त्रीय उसूलों के बिल्कुल खिलाफ पड़ता है। यही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्वमंत्र) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर जो अमेन्डमेन्ट बयाना से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया, उसका मैंने विरोध किया। पहला कारण विरोध करने का यह था कि अन्डर दी रूल्स इस तरह का रेफ़रेन्स सिलेक्ट कमेटी को नहीं हो सकता। रूल ६८ के तहत हम इस प्रकार की कन्डीशन सिलेक्ट कमेटी के लिए लागू नहीं कर सकते। जिस तरह की कन्डीशन इस अमेन्डमेन्ट में लगाई गई है वह अमेन्डमेन्ट की कन्डीशन इस रूल्स की तहत नहीं लगाई जा सकती। सिलेक्ट कमेटी को यह बिल रेफर किया जा सकता है जो हर पहलु पर विचार करे। आज इस पहलु पर जो डिस्कशन हुआ उसको देखते हुए ऐसा मालुम होता है कि सारा का सारा जनरल डिस्कशन हो गया है। कई सदस्यों ने यह भी कहा है कि इस बिल की आवश्यकता नहीं। उनका कहना यह है कि जब म्युनिसिपल एक्ट मौजूद है तो इस अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं समझते। उनका यह मानना है कि म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन्स और अर्बन इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट के फक्शन्स दोनों के एक जैसे है, दोनों के फंक्शन्स एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। मैं समझता हूं कि अगर टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट और अर्बन इंम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि दोनों के फंक्शन्स अलग अलग हैं। म्युनिसिपल बिल की जो १०७ धारा है उसके अन्दर यह साफ है कि म्युनिसिपैलिटी के जो पॉवर्स हैं, उनके अनुसार अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कभी एक्सरसाइज़ नहीं करता। अर्बन एरिया के लिए जहां कहीं भी इस प्रकार के बोर्ड बने हुए हैं वे म्युनिसिपल फंक्शन्स में किसी प्रकार का दखल नहीं देते। इम्प्रूवमेंट बोर्ड का यह कार्य होता है कि किसी भी जगह को या किसी भी शहर में कोई बस्ती बसाना हो तो उसके लिए उसके पास प्लान होता है और उसी प्लान के अनुसार काम किया जाता है। म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन्स इस प्रकार के नहीं हैं इसलिए यह समझना कि एक दूसरे के फंक्शन्स एक दूसरे के खिलाफ हैं, ये एक दूसरे के फंक्शन्स में दखल देते हैं, गलत है। वास्तव में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड आज की आवश्यकता है; जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या और कहीं के लिए भी कहिये। अगर इन एरियाज़ में इम्प्रूव करना है तो इन्डिपेन्डेन्ट बोडी अवश्य बननी चाहिए जिसे सिवाय इस काम करने के और कुछ नहीं करना पड़े और इस काम में ही अपना सब समय दे सकें। मेरे खयाल से आज की यह आवश्यकता है और हर जगह ये हैं।

किसी माननीय सदस्य ने बड़े जोर शोर से कहा कि इससे म्युनिसिपैलिटी के काम में बड़ी रुकावट पैदा होती है, उन्होंने यह भी कहा कि म्युनिसिपल बोर्ड का काम खराब है तो उसके बजाय इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड हो। यह दृष्टिकोण का फर्क हो सकता है, वरना वास्तव में दोनों अपनी जगह उपयोगी हैं और ऐसे साबित होंगे और उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है।

कुछ लोगों ने, उनमें से वे शायद है नहीं, कोटा की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने कुछ जमीनों के डिस्पोजल पर अलॉटमेन्ट पर ऐतराज किये और यों कहना चाहिए कि एक जनरल रिमार्क की तरह कहा कि फलां

( श्री दामोदरलाल व्यास )

अखबार में छपा था। मैं नहीं समझ पाया कि उनका किस जमीन से आशय था। इसलिए उनके इस तरह से जनरल रिमार्क पर कोई जवाब देना मुश्किल है। बाकी यह मैं कहना चाहता हूँ कि इस अर्बन इम्प्रूवमेंट बिल को पास कराने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा शहरों का विकास करने का ही है। इसलिए एक माननीय सदस्य ने जो सजेशन पेश किये हैं मैं उनका विरोध तो करता हूं, दूसरा मोशन जो आपका है ( डॉ० चन्द्रकला का ), सिलेक्ट कमेटी के रेफेरेन्स के लिए, उसको स्वीकार करता हूं। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

**श्री श्रीभानसिंह :** और कोई मोशन ही नहीं है।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** दो ही हैं।

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिस तरह से इसका विरोध किया कि टर्म्स ऑफ रेफरेन्स सिलेक्ट कमेटी को नहीं हो सकती और कल रूल ६८ क्वोट किया, वह शायद किसी तरह से मुझको अपली नहीं करती कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर न किया जाय।

एक दूसरी दलील जो दी वह यह दी कि जो सिलेक्ट कमेटी को न दिया जावे तो सिलेक्ट कमेटी कम्प्रीहेन्सिवली देखेगी, मगर सिलेक्ट कमेटी उस बिल को इस दृष्टिकोण से नहीं देख सकती कि जितने इसके बिल के प्रोवीजन्स हैं उनको म्युनिसिपल बिल में इन्कोर्पोरेट किया जावे या नहीं और वह कभी किसी के लिये रिकमन्ड नहीं कर सकते कि इन बिल्स को इन्कोरपोरेट किया जावे या नहीं। इसलिये इन स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ रेफेरेन्स की बड़ी आवश्यकता थी। अगर यह रेफेरेन्स नहीं दिया जावे तो बियोन्ड दी पॉवर ऑफ दी सिलेक्ट कमेटी होने से वह कब इस राय को दे। तो जहां तक उनकी यह दलील है वह स्टेन्ड करती नहीं।

अब उनका यह कहना कि सिर्फ हमने जो अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड जो कायम करने की बात कही है वह अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने के लिये है, तो मैं मानता हूं कि अर्बन एरियाज़ को डेवलप करने का काम वे कर रहे हैं, मगर क्यों इस दूसरी बोड़ी की नेसेसिटी है? ऐसी बोडी क्यों होनी चाहिये? बहुत सी हमारी स्टेटस हैं उनके अन्दर ट्रस्ट्स हैं। भारतवर्ष के कुछ ऐसे कानून और ऐसी इन्स्टीटयूशन्स ब्रिटिश पीपुल्स की हैं जिनके द्वारा आज हमारे ये मन्त्री जो हैं, जनतन्त्र के हामी मन्त्री जो हैं, वे भी हट नहीं सकते उसमें से। जितने भी वेस्ट कॉन्सीक्वेन्सेज़ हैं लोकल सैल्फ के वे इस बोर्ड में मौजूद हैं। आज अगर यह पद्धति उन ब्रिटिश लोगों ने यहां डाली है तो क्यों नहीं उसे अपने यहां Counties और borough councils को दे रखा है। जो अर्बन इम्प्रूवमेन्ट का काम है, क्यों अमेरिका में लोकल बोडीज़ का फंक्शन है? यह भारतवर्ष में ही कैसे जरूरत पड़ी? आज कानपुर में ट्रस्ट मौजूद है, पर आज तक वह स्लम ( Slum ) क्लियरेन्स नहीं कर सका। आखिर फिर इससे फायदा क्या? जब कि जिस दृष्टिकोण से इसे बनाते हैं, उसे वे पूरा नहीं कर सकते अगर तो।

खर्चा दुगना होता है। आप पेड चेयरमेन रक्खेंगे, मिनिमम ७००) पर-मन्थ उसे देंगे। आखिर वह कहां से आवेगा पैसा? आपके बोर्ड के मेम्बर्स रहेंगे, दो गवर्नमेन्ट के नोमीनेटेड रहेंगे। पांच का बोर्ड रहेगा।

( श्री मानसिंह )

इसकी नैसेसिटी क्या ? एक माननीय सदस्य लॉर्ड रिपन तक पहुंच गये। उन्होंने कहां शुरू किया और कहां एण्ड हुआ ? इसका क्या जवाब दूं। जयपुर तीस साल पहले खराब था, आज भी खराब है, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने अच्छा कर दिया, इस तरह के आर्गुमेंट्स बेसलैस हैं, इर्रिलेवेन्ट भी कहूँ तो गलत नहीं होगा।

अब देखना होगा कि कहां तक इनके फंक्शन्स कोन्साइड करते हैं। गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया है कि "beause lack of funds and abandoued areas"

म्युनिसिपैलिटी इन्हें लैक ऑफ फण्ड्स की वजह से डेवलप नहीं कर सकती। तो उन एरियाज को अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड कर सकेगा। अगर लैक ऑफ फण्ड्स की वजह से म्युनिसिपैलिटी से नहीं हो सकता तो मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के फाइनेन्स के रिसोर्सेज कहां से आवेंगे ? ग्रान्ट इन-एड गवर्नमेंट से है, आप कहेंगे। तो गवर्नमेन्ट जो ग्रान्ट-इन-एड इसे दे सकती है तो वह क्या गवर्नमेन्ट म्युनिसिपल बोर्ड को नहीं दे सकती ? सिर्फ एक दलील इसके फेवर में है और वह यह है कि एक्सपर्ट आदमी डेवलपमेंट करेंगे। एक प्लानिंग ऐसी चीज है जिसको जनता के रिप्रज़ेन्टेटिव्ज़ पर नहीं छोड़ा जा सकता और यह इसलिये कि वे इसको वोट पर बेचेंगे। पर मैं निवेदन करूं कि आज सब जगह बोर्डों का रिऑर्गेनाइज़ेशन हो रहा है। पुराने पैटर्न को सब डिसकरेज करते जा रहे हैं। आज कल एसोशियेशन जितनी हैं, एक्सपर्टों की और जो विकास में इन्टरेस्टेड हैं उन सब को एसोशियेट किया जा रहा है कमेटीज में। तो वे जो अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड कायम कर रहे है वे एक्सपर्ट्स को, विकास में इन्टरेस्ट रखने वालों को डेवलपमेंट कमेटीज़ में म्युनिसिपल बोर्ड के नीचे कर सकते हैं और उन एक्सपर्ट्स के वही पॉवर कर सकते हैं। मगर इसकी तो जरूरत नहीं, हमको तो दूसरा चाहिये। म्यूनिसिपेलिटी को इसके लिये फंड्स की जरूरत पड़े तो वह खुद इसका प्रबन्ध करे, पर इस अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को फन्ड्स की जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट एड दे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। दलील देती है सरकार कि म्युनिसिपल बोर्ड की आज जो इन्कम है और उसके जितने फन्कशन्स हैं उनको ही पूरा नहीं कर सकता, फिर उसको धन देने से क्या फायदा ? अगर कोई चीज ठीक काम नहीं करती तो क्या उसे सुधारा नहीं जा सकता ? उसके फन्कश्न्स को कन्ट्रोल नहीं किया जा सकता ? अगर हम इसको कन्ट्रोल नहीं करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावेंगे। जो भी ब्यूरोक्रेसी या डिक्टेटरशिप है तो हमें म्यूनिसिपल बोर्ड को सुधारना पड़ेगा। और सुधारने की पहली कन्डीशन है, फाइनेंस देना पड़ेगा। पर जो फाइनेन्स के साधन हैं, जैसे बाहर के देशों में म्युनिसिपल बोर्ड किया करते हैं, सरकार वे उनको नहीं देती। बाहर के देशों में म्युनिसिपैलिटी मकान बनाती है, प्लॉट बनाती है, reclaim करती है, उन्हें बेचती है और उसकी प्रोसीड को अपने काम में लेती है। पर यहां यह काम दिया जाता है अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को। म्युनिसिपैलिटी के हेल्थ के फंक्शन को देखिये फन्क्शन दूसरा आता है सेनीटेशन का उसे देखिये, उसके एजुकेशन के फन्क्शन को देखिये, कंस्ट्रक्शन्स के फन्क्शन को देखिये, दूसरे देशों में ये सब म्युनिसिपैलिटी के फंक्शंस में आते हैं। पब्लिक वर्कस का फन्क्शन भी उनका होता है। हमारे म्युनिसिपल बोर्डों का

( श्री श्रीभानसिंह )

क्या हाल है ? यहां पब्लिक वर्कस का तो मानो जैसे कोई फंक्शन ही नहीं है। Naming the street. Why not constructing a House ? तो यह हालत है हमारे यहां, इसके लिए म्युनिसिपल एक्ट में कोई रूल नहीं। माननीय मन्त्री जी खुद बिल को पेश कर रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल के क्लॉज़ेज् को पूरा नहीं देखा है। यदि नहीं देखा है तो मैं उन्हें थोड़ा बताऊं। जल्दी में सब तो नहीं बता सकूंगा, पर जो बता सकूंगा वह बताऊंगा। वे सेक्शन ४३ पढ़ें, जहां पर उन्होंने खुद ने यह पॉवर ली है, इस डर के मारे कि कहीं कोई समय आवेगा तब म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का क्लैश होगा इसलिये गवर्नमेंट के निर्णय की जरूरत पड़ेगी।

इसके आगे चलिये सेक्शन २२ में। इसमें फन्क्शन दिये हैं वहीं डिटो फन्क्शन मिलेंगे म्युनिसिपल बोर्ड के फंक्शन्स में।

आगे चलिये ३७ में। वे कहते हैं कि जो म्युनिसिपल एक्ट है वह अलग है और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का जो एक्ट है वह अलग है। पर सेक्शन ३७ में प्रोविजन करते है :

"In order to carry out these functions the Boards shall assume the functions and powers given to the Municipal Board under the Municipal Act."

यह सेक्शन ३७ में क्लियर दिया हुआ है। तो फिर इस कदर इन्टररिलेटेड है तो सेपरेट रखने की क्या जरूरत है ?

सिर्फ एक है और कोई आग्यूमेंट नहीं है। जब तक पुरानी प्रणाली पर चलते जावेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। आज हमारे देश में एडवन्चर की जरूरत है, एक्पर्टस की जरूरत है, डेवलपमेण्ट का काम करना है। लेकिन नतीजा क्या होता है ? बिल्स ड्रांफ्ट करते हैं सेक्रेटेरियेट के एक लिमिटेड स्कोप के आदमी, जिनको शिक्षा दी ब्रिटिशर्स ने, जो पुरानी चीजें हैं, जो लिमिटेड स्कोप है वे उनसे बाहर नहीं जा सकते, वे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, सुझाव नहीं दे सकते। यह चीज होती है कि कोई काम होने ही नहीं पाये क्योंकि एक लिमिटेड क्लास के लोग हैं, एक आइवरी टावर में रहते हैं, लो ओपिनियन है। प्लानिंग में डिफरेन्ट एडहॉक बोडीज बना रहे हैं, दिन पर दिन कानून बन रहे हैं, उनका एक लिमिटेड स्कोप करिये जिससे कि पब्लिक ओपिनियन उसको देखे, समझे, लेजिस्लेशन का जो कायदा होता है वह उनको मदेनजर रखे।

इस पर ओब्जेक्शन किया है इसलिये वह लास्ट लाइन विद्ड्रॉ करनी पड़ती है। क्लॉज बाई क्लॉज म्युनिसिपल एक्ट की ले लेंगे, वह सिलेक्ट कमेटी में जाना था इसलिये लास्ट लाइन 'विद् डिलीटेड' विद्ड्रॉ कर लेता हूं।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** That means only one amendment remains that this Bill be referred to the Select Committee which I have acepted.

**श्री उपाध्यक्ष :** I should take the leave of the House.

(स्वीकृत)

Leave granted.

(विराम)

Whether the withdrawal (by Shri Shribhan Singh) is allowed by the House ?

(स्वीकृत)

Permisoisn is given.

**श्री श्रीभानसिंह :** I withdraw the amendment.

**श्री उपाध्यक्ष :** The motion is that the Rajsthan Urban Improvement Bill, 1957, be referred to a Select Committee whose members shall be as per list attached. The Select Commitee shall present its report in the first week of the next session.

1. Minister-in-charge.
2. Dr. Chandrakala.
3. Shri Shribhan Singh.
4. Shri Madan Singh Danta.
5. Shri Bhimsen.
6. Shri Jwala Prasad.
7. Shri Laloo Ram.
8. Smt. Pradha Mishra.
9. Shri Hari Shankar Sidhant Shastri.
10. Shri Rameshwar Dayal Saxsena.
11. Shri Ramdan.
12. Shri Mahendra Singh.
13. Shri Sohanlal Bhatnagar.
14. Shri Ram Prasad Ladha.
15. Shri Narain Singh Masuda.
16. Shri Abid ali.
17. Shri Tikaram Paliwal.
18. Shri Murlidhar.
19. Shri Bhairon Singh. Khachariavas.
20. Shri Hotilal.
21. Shri Girdharilal.

**श्री तनसिंह** ( बाड़मेर ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक सदन की यह परम्परा रही है कि जब कभी भी कमेटी में कोई नाम लिये जाते हैं तो उस समय जितने भी दल होते हैं उनसे उस सम्बन्धि में पूछ लिया जाता है। मुझे यह खेद है कि जब यहां नाम दिये गये उस समय राम राज्य परिषद, जिसके कम से कम १७ सदस्य हैं, किन्हीं से भी पूछा नहीं गया और ऐसी अवस्था में जब मोशन मेजोरिटी से केरीड आउट किया जाता है, लेकिन कन्वेंशन इस प्रकार का है कि उनको भी कॉन्फिडेन्स में लिया जाता है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार से कॉन्फिडेन्स में हमको नहीं लिया गया और जब इस प्रकार के कन्वेन्शन को तोड़ा जाता है तो भविष्य में क्या स्थिति होगी?

**श्री नरोत्तमलाल जोशी :** I want to know whether the hon'ble member is seeking a favour? If he is demanding a right he should oppose it ( the motion ). If he is seeking a favour then he should request the Minister. It is no use requesting the Chair.

**श्री तनसिंह :** जो अधिकार हैं वे तो हम डिमान्ड कर सकते हैं, उसको अपोज़ करने पर। लेकिन यदि हर एक कमेटी के लिए इस अधिकार को प्रयोग में लाया जाय तो वह सदन की व्यवस्था को चलाये रखने के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अंत: माननीय मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो कुछ कह दें तो ठीक है।

**श्री दामोदरलाल व्यास** (राजस्वमंत्री) : You can propose the name and we will try to accomodate. मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में बात करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि आज हमारे व्हिप मौजूद नहीं थे इसलिए ऐसा नहीं हो सका। ऑर्डिनरीली हर कमेटी के लिए ऐसा करते हैं और उसको आगे भी कायम रखना चाहिए। आप एक

( श्री दामोदरलाल व्यास )

दो मेम्बर का नाम और बता दीजिये इसमें एड कर लिया जाय दूसरों के स्थान पर ...

**श्री जगदीशप्रसाद** : ठाकुर मदन सिंहजी का जहां नाम है उनके स्थान पर श्री सतीशचन्द्रजी का नाम रख लीजिये।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : आप चाहें तो प्रपोज भी कर सकते हैं। हरएक आदमी से तो पूछना मुश्किल है। आज व्यवस्था नहीं हो सकी एक-दो नाम की गुन्जाइश हो सकती है।

**श्री तनसिंह** : हर एक आदमी को पूछने का मैं कहां कहता हूँ? किसी आदमी से ही पूछने का सवाल नहीं है लेकिन कॉन्फिडेन्स में लाने की आवश्यकता थी। ऐसा मालूम होता है कि जन संघ के भी किसी आदमी को पूछा नहीं गया। जैसा आपने विचार किया और नाम रख दिया और यदि वैसा ही है तो हम इसका विरोध करते हैं।

**श्री दामोदरलाल व्यास** : बहुत अच्छा है, विरोध करते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक को सदस्यों की नामावली के साथ एवं दूसरे सैशन के प्रथम सप्ताह में पुनः इसको प्रस्तुत करने के लिए प्रवर समिति में भेजे जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय?

( मत दान के पश्चात् )

'हां' पक्ष जीता।

**श्री तनसिंह** : 'Noes' have it, Sir.

**श्री उपाध्यक्ष** : You want a division?

(मत विभाजन घंटी के बजने के समय)

**श्री अर्जुनदास** : I think, the dispute is about the personnel of the Committee or about the whole Bill?

**श्री उपाध्यक्ष** : A point has been raised that the parties have not been consulted so far as the personnel of the Committee are concerned.

**श्री अर्जुनदास** : On a point of order, sir......

**श्री उपाध्यक्ष** : When there is a ring, no point of order should be raised.

**श्री अर्जुनदास** : It is for the House to decide.

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please!

**श्री अर्जुनदास** : The ring is for those who are absent.

**श्री उपाध्यक्ष** : There should not be any discussion when there is a ring.

( मत-विभाजन घंटी के पश्चात् )

**श्री अर्जुनदास** : Now sir, after the ring is over I want to know what is the legal position? You kindly inform us. Are we to vote on the whole resolution or only on the personnel of the Committee?

**श्री उपाध्यक्ष** : Motion for reference to a Select Committee including the personnel and the report to be submitted the period, the whole resolution.

**श्री तनसिंह :** If it is necessary to do so the Speaker has the authority to divide the resolution in certain parts and those parts can be voted.

**श्री उपाध्यक्ष :** I am not dividing it. Now I put it to vote once again. The question is that the Rajasthan Urban Improvement Bill, 1957 be referred to a Select Committee whose members shall be as per list attached and the Select Committee shall present its report in the first week of the next session.

( मत गणना के पश्चात् )

'Ayes' have it.

**श्री तनसिंह :** 'Noes' have it sir.

**श्री उपाध्यक्ष :** 'Ayes' will go in the 'Ayes' lobby and 'Noes' will go to the Noes Lobby.

**श्री तनसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि क्यों कि हमारे ऑपोज़िशन में डिविजन होगा, वह सारे रिज़ोल्युशन के सिलसले में होता है इसका निर्णय प्रेज्युडिशियल होगा, क्यों कि हम एक ओर सिलेक्ट कमेटी के मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी ओर सारे मोशन को आपोज़ करेंगे....

**श्री दामोदरलाल व्यास :** But the motion has been put to vote.

**श्री तनसिंह :** मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ कर रहा हूं इसलिये मुझे बोलने का हक है। इसलिये मैं कहूँगा कि इसे स्पिलिट अप कर लिया जाय, वरना इस पर जो राय प्रकट होगी वह किस ओर होगी, उसमें गलतफ़हमी होगी।

**श्री दामोदरलाल व्यास :** The motion has already been put to vote.

**श्री अर्जुनदास :** I think neither you have understood nor he.

**श्री उपाध्यक्ष:** Please address through the chair.

**श्री अर्जुनदास :** Through you only. We agreed on one thing that the matter be referred to a Select Committee. There are no two opinions about this in this House. Therefore, let that not be a point for division. As regards the personnel we should go in division, on the point at dispute ( issue ) and not on the points on which we agreed among ourselves. My submission is restrict the issue with regard to the personnel only and not regarding the whole motion.

**श्री दामोदरलाल व्यास :** माननीय उपाध्यक्षजी, मेरी यह अर्ज है कि जब मोशन पेश किया गया था उस समय माननीय सदस्यों को अधिकार था कि कुछ नाम पेश करते। उन्होंने कोई नाम सजेस्ट नहीं किया लेकिन मोशन को अपोज़ किया then the result must be declared this way or that way.

**श्री तनसिंह :** यदि आप कानून की ओर जाना चाहते हैं तो मैं भी कहता हूं कि पर्सनल भी मोशन के साथ आने चाहिये। यदि इलेक्शन आवर पर आते हैं तो हम नहीं सोच सकते कि किसका नाम आता है और किसका नहीं आता है। यदि रूल्स देखने हैं तो देख लीजिये, साथ साथ नाम आने चाहिये और डेट भी साथ ही आनी चाहिये। जिस

# Page No.96



( श्री तनसिंह )

समय यह मोशन आये उस समय उसके साथ नाम और डेट दोनों ही नहीं थे ।

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** : To cut short the controversy, I will request the hon'ble member of the Treasury Bench to defer the announcement of the personnel of the Select Committee and pass the substantive motion about its reference to the Select Committee. After consultation with the various whips of the Opposition the personnel may be announced within a week. So if that proposal be accepted, the whole controversy about the division might beresolved.

**श्री तनसिंह** : Yes sir. That is a way for adjustment.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : But you had demanded division and all that. Otherwise I had already expressed my regret that due to the absence of whips we could not consult all parties, but you were not accepting that.

**श्री तनसिंह** : That could be rectified.

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please ! अध्यक्ष की स्पष्ट व्यवस्था है और दे दी गई है और साथ ही यह भी निवेदन कर दिया गया है ।

**श्री श्रीमानसिंह** : यह तो डिवीज़न का पोइन्ट नहीं है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Well, that is so.

**श्री दामोदरलाल व्यास** ( राजस्व मंत्री ) : मुझे कोई ऐतराज नहीं यदि पर्सनल डेफर कर दिये जांय ।

**श्री श्रीमानसिंह** : An alternative has been suggested and that is the most convenient to all of us.

**श्री उपाध्यक्ष** : Should we proceed on the suggestions made by the Members ?

**श्री तनसिंह** : I am to say that the Ram Rajya Parishad will forego to get its names included in that Select Committee. But what I want to say is that we defer the members of the Select Committee.

**श्री उपाध्यक्ष** : That means that the personnel should be declared later on.

**श्री ज्वालाप्रसाद** : According to the rules within the definite time limit the names of the members of the Select Committee should be included in the proposal for reference of a Bill to the Select Committee, as has already been said by one of my friends. Without the names you cannot call a Committee. The Committee cannot be in air. The Committes must consist of Members.

**श्री दामोदरलाल व्यास** : That the Bill be referred to a Select Committee consistiong of the Members; names to be announced later on.

**श्री उपाध्यक्ष** : And then the time has to be fixed up.

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** : Under the Rules it has been provided that

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

when there is no time limit fixed for the presentation of the Select Committee Report, two months is the period.

श्री उपाध्यक्ष : Then the question is that it should be referred to the Select Committee whose members are to be announced later on and that its report should be presented to the House within the first week of the next session.

I presume that it is accepted unanimously.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Any decision on a question must be put and then decided.

श्री उपाध्यक्ष : Should I enter in. to the whole formalities ?

( विराम )

The question is that the Rajasthan Urban Improvement Bill, 1957, be referred to a Select Committee whose personnel will be declared later on and the Report of which will be presented in the fist week of the next session.

( स्वीकृत )

The motion is Carried.

श्री टीकाराम पालीवाल : Who will declare the personnel of the Committee ?

श्री उपाध्यक्ष : The Member-in-charge of the Bill will submit the names of the personnel before the House.

४.४० म० प०

सदन के पत्रादि वितरण सम्बन्धी वाद-विवाद

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, असेम्बली के कागज कुछ तो हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों में जाते हैं। कुछ केवल अंग्रेजी में ही जाते हैं। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए सभी कागज हिन्दी में जाया करें।

श्री अर्जुनदास : On a point of information, it is not correct what has been stated just now. Some of the papers are only in Hindi and I cannot read them. My contention is that all the papers should be both in Hindi and English.

(करतल-ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : Well, I am not taking any decision. I am only relying on the good sence of the House.

श्री अर्जुनदास : Thank you, Sir.

राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ विधेयक, १६५७

( विचार-विमर्श स्थगित )

श्री उपाध्यक्ष : Now we are taking the Rajasthan Municipalities Bill, 1957.

Shri Jagdish Prasad Mathur to move his amendment.

श्री श्रीभानसिंह : On a point of oonvenience, Sir. I move that the House be adjourned to tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : Is it the convenience of all ?

So we adjourn till tomorrow to meet at 11.00 A. M.

( सदन की कार्यवाही ४ बजकर ४३ मिनट पर कल दिनांक ६ नवम्बर, १६५७ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई )

## संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, ५ नवम्बर, १९५७)

स्तम्भ

### तारांकित प्रश्नोत्तर

विकास विभाग द्वारा बनेठा (त० उनियारा) में स्कूल के लिये १२००) रु०

सीकर, खेतड़ी व उनियारा जागीर कर्मचारियों के पेन्शन केसेज़।

बीकानेर जिला कोष से राजकीय परिवारों को मिलनेवाला गुजारा व मुआवजा।

तहसील दूनी व उनियारा में छः छः गुना लगान वसूली।

जागीरदारों को लोन दिये जाने का आधार।

गंग–कॉलोनी में ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलें।

ग्राम आकोड़, तहसील दूनी में आबाद गांधी ग्राम में पड़त व काश्त योग्य भूमि का वितरण।

रेशनेलाइज़्ड व यूनीफाइड पे स्केल के अनुसार राजस्थान में कर्मचारियों का फिक्सेशन।

सिरोही जिले में बहु उद्देशीय स्कूल का अभाव।

चक १४ एम० एल० व रायसिंह नगर की खरीद–शुदा भूमि।

स्तम्भ

मिडिल स्कूल कालन्द्री जिला सिरोही को हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाने की सरकारी योजना।

तहसील सूरतगढ़, जिला गंगानगर में रशियन फार्म क्षेत्र से हटाये गए लोगों को भूमि वितरण।

सरकार द्वारा सिरोही में लड़कियों के लिये उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने का विचार।

राजस्थान में भांग और गांजा की दुकान।

राजस्थान निर्माण के बाद बीकानेर जिले में इन्डस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल कन्सर्न्स को सहायता।

राजस्थान सचिवालय में मई से जुलाई, १९५७ में पानी, बिजली व खस के टाटों आदि का खर्चा।

राजस्थान के सर्किट हाउस, उनका वार्षिक व्यय व आय और बकाया।

भूतपूर्व मन्त्री श्री कुम्भाराम के निवास स्थान पर लगे टेलीफोन के रजिस्टर की पूर्तियों में अनियमितता।

गंगानगर जिले में जागीरदारों को काश्त के लिए भूमि।

सरकार को प्रतिवर्ष निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति से आमदनी।

सरकार द्वारा अशक्त व वृद्ध विस्थापितों के लिए मुफ्त निवास की व्यवस्था।

जैसलमेर के कुछ गांवों का बीकानेर जिले में स्थानान्तरण।

सन् १९५० से अब तक राज्य में अफीम की बिक्री की दुकानें।

## अनुपस्थिति के लिए अनुमति

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

| नाम | अनुपस्थित रहने की तिथियां |
|---|---|
| श्रीमती गौरी पूनिया | ४ व ५ नवम्बर, ५७ |
| श्री भैरोंसिंह (खेजड़ला) | ४ से ७ ,, ,, |
| श्री आनन्दसिंह कछवाहा | ४ से ६ ,, ,, |
| श्री परसराम | ४ से ६ ,, ,, |
| श्री जनार्दनराय नागर | ४ से ८ ,, ,, |
| श्री माधोसिंह | ४ से २५ ,, ,, |

## स्थगन प्रस्ताव

भरतपुर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में श्री श्रीमानसिंह द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

## विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक

(१) राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़्यूशन आफ जागीर्स (छठवां संशोधन) विधेयक, १९५७

उपरोक्त विधेयक को पारित किये जाने का जो प्रस्ताव प्रभारी मन्त्री द्वारा कल प्रस्तुत किया गया था उस पर आज वाद-विवाद किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री तनसिंह
(२) श्री मदनसिंह
(३) रावराजा श्री सरदारसिंह
(४) श्री नरेन्द्रसिंह
(५) श्री मुक्तिलाल मोदी
(६) श्री सूबेदारसिंह
(७) श्री जगदीशप्रसाद

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा बहस का उत्तर दिये जाने पर विधेयक सदन द्वारा पारित किया गया।

### २. राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने पर श्री श्रीमानसिंह ने यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द इस निर्देशन के साथ किया जाय कि क्या इस विधेयक के प्रावधान राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ विधेयक, १९५७ में ही सम्मिलित किये जा सकते हैं? इस प्रश्न पर कि क्या ऐसा निर्देशन प्रवर समिति को अभी दिया जा सकता है निम्नलिखित सदस्यों

ने अपने अपने विचार व्यक्त किये:—

(१) श्री तनसिंह
(२) श्री मदनसिंह
(३) श्री मुक्तिलाल मोदी
(४) श्री पी० के० चौधरी
(५) श्री अनूपसिंह
(६) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
(७) श्री हरिप्रसाद
(८) श्री नारायणलाल
(९) श्री दलीपसिंह
(१०) श्री नारायणसिंह (मसूदा)
(११) डॉक्टर चन्द्रकला
(१२) श्री मूलचन्द डागा
(१३) श्री सतीशचन्द्र
(१४) श्री जगदीशप्रसाद

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के उत्तर पर श्री श्रीमानसिंह ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया। इस सम्बन्ध में एक अन्य संशोधन प्रस्ताव डॉक्टर चन्द्रकला द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन सभा के आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक उपस्थित करे। यह संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किया जाकर विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया जिसके सदस्यों के नाम बाद में घोषित किये जावेंगे।

## दिनांक ६ नवम्बर, १९५७ की कार्य सूची

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७

एवं

राजस्थान एक्साइज़ विधेयक, १९५७

# परिशिष्ट १

( कृपया प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर देखिये )

## राजस्थान में भांग व गांजा की कुल दुकानें, उनकी खपत तथा बिक्री से हुई आय की तालिका

| वर्ष | भांग व गांजा की दुकानों की संख्या | भांग व गांजा की खपत | | | | | | भांग व गांजा की बिक्री की कीमत | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | | | | | | ४ | | | | |
| | | भांग | | | गांजा | | | भांग | | | गांजा | |
| | | मन | सेर | छटांक | मन | सेर | छटांक | रुपया | आना | पाई | रुपया | आना |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | — | — | [illegible] | — |

## परिशिष्ट २

( कृपया प्रश्न संख्या ४२ का उत्तर देखिये )

बीकानेर जिले में राजस्थान बनने के बाद इन्डस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल कन्सर्न्स को दी गई सहायता का विवरण

| | नाम संस्था | सहायता | ऋण | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| (१) लोन कमेटी द्वारा दी गई धनराशि | लक्ष्मीनिधि एलक्ट्रोप्लेटिंग वर्कस्, बीकानेर। | — | ४,५०० रु० | |
| | बीकानेर जिला खनिज उत्पादक सहकारी लि०, बीकानेर। | — | १०,००० रु० | |
| | मैसर्स मौलाबक्स कुरेशी बीकानेर बैन्ड स्टॉ मशीन, बीकानेर। | — | ५,००० रु० | |
| | शिव-शक्ति उद्योग भंडार, बीकानेर। | — | २,००० रु० | |
| | दमानी प्रोडक्ट्स्, बीकानेर। | — | ५,००० रु० | |
| | राजस्थान वुड वर्क्स, बीकानेर | — | | |
| | (कोआपरेटिव सोसाइटी) | — | १०,००० रु० | |
| (२) हाथ कर्घा उद्योग के हेतु सरकारी समितियों को दी गई धनराशि। | | — | ४,५७२ रु० ८ आ० | |
| | १९५४–५५ | — | १,५५२ रु० ८ आ० | |
| | १९५५–५६ | — | २०,२६० रु० | |
| | १९५६–५७ | | | |
| | | | योग—६२,७८५ रु० | |
| (३) खादी तथा ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन हेतु राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा दी गई धनराशि | (१) खादी मंदिर, बीकानेर | १,५०० | ५,००० रु० | तेल रिबेट |
| | | ६६·६४ | | |
| | | १३,२०० | ११,००० रु० | नवीन आय चक्की परीक्षेत्र खादी बोर्ड को राज्य सरकार से सहायता ५५-५६ |
| | | ७० | | |
| | | ५,००० | — | |
| | (२) खादी, ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान | १९,७०० | २२,००० रु० | अम्बर चरखा। आय चक्की परिवेद। |
| | ,, | ३,९२० | — | |
| | (३) ऊनी उत्पत्ति केन्द्र, बीकानेर। | १६,७०० | ३०,००० रु० | राज्य सरकार द्वारा दी गई। |
| | योग | ६०,१५६·६४ | ६८.००० | |
| | कुल योग | ६०,१५६·६४ | १३०,७८५ | |

# परिशिष्ट ३

( कृपया प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर देखिये )

( ब्यौरा प्रश्न (२) के उत्तर में )

| क्रम. संख्या : | वर्षों में : | खर्च का ब्यौरा : |
|---|---|---|
| १. | १९५०-५१ | १,४०,७२९ |
| २. | १९५१-५२ | १,९१,०१५ |
| ३. | १९५२-५३ | १,९२,००८ |
| ४. | १९५३-५४ | २,२४,९३७ |
| ५. | १९५४-५५ | १,६४,१५० |
| ६. | १९५५-५६ | १,४१,२८३ |
| ७ | १९५६-५७ | १,८९,६६८ |
| ८ | अप्रेल १९५७ से जुलाई १९५७ | ४०,५६३ |
| | कुल मीज़ान : | १२,८४,३५३ |

## परिशिष्ट ४

( कृपया प्रश्न संख्या ५१ का उत्तर देखिये )

### राजस्थान में अफीम की दुकानों की संख्या, विक्रय की गई अफीम की मात्रा तथा विक्रय से प्राप्त राजस्व की तालिका।

| साल | अफीम की दुकानों की संख्या | बिकी हुई अफीम की मात्रा | | | अफीम की बिक्री से हुई आय |
|---|---|---|---|---|---|
| | | म० | सेर | छटांक | |
| १९५०-५१ | १३६७ | ५७६ | १८ | २।। | ६०,२६,३१४ |
| १९५१-५२ | १३०७ | ५६१ | २४ | ५ | ८२,६३,२३५ |
| १९५२-५३ | १३२१ | ५५१ | ३३ | १४ | ७३,२०,०६७ |
| १९५३-५४ | १३३७ | ५७७ | १३ | १० | ७४,१२,१०८ |
| १९५४-५५ | १३३२ | ७४५ | १० | १ | ८७,५२,६३० |
| १९५५-५६ | १२६८ | ५६० | १८ | ७ | ७५,०७,५१४ |
| १९५६-५७ | १२८८ | ४०४ | ३५ | १३ | ७२,६७,७४६ |

## शुद्धि-पत्र

( कार्य-विवरण, मंगलवार, दिनांक ५नवम्बर, १६५७ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| २४० | २४ | श्री अर्जुनदास । | श्री अर्जनदास |
| २४२ | १३ | उनियारा से में कितने | उनियारा में से कितने |
| २४३ | १८ | यह कव तव | यह कब तक |
| २४५ | १६ | डि.स्ट्रक्ट टोंक में | डिस्ट्रिक्ट टोंक में |
| २४७ | २ | (श्री दामोदरलाल व्यास) | (रावराजा श्री सरदारसिंह) |
| २४८ | २२ | जिजुआई आवश्यकता | जिन्युआइन आवश्यकता |
| २५१ | ४ | का वतरण | का वितरण |
| २६० | अन्तिम से १० वीं | श्री मोहव्वबतसिंह | श्री मोहब्बतसिंह |
| २६१ | २ | ,, | ,, |
| २६२ | ७ व १६ | ,, | ,, |
| २७५ | ३ | Urnning the Jaipur | running the Jaipur |
| २७६ | ३ | मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री की ओर से | राजस्व मंत्री मुख्य मंत्री की ओर से |
| २७७ | ५ | श्री चौघरी | श्री चौधरी |
| २७८ | ३ | (श्री दापोदरलाल व्यास) | (श्री दामोदरलाल व्यास) |
| ,, | ८ | अत्यधिक विस्तत | अत्यधिक विस्तृत |
| २६१-२६४ | १ | -४ नवम्बर, १६५७- | -५ नवम्बर, १६५७- |
| ३०२ | १७ | और आर्य हमाज ने | और आर्य समाज ने |
| ,, | २३ | अभी कत यों कहूंगा | अभी तक यों कहूँगा |
| ३०६ | २ | माननीय अध्वक्षजी | माननीय अध्यक्ष जी |
| ३१६ | २०-२१ | गय है : किन्तु महन्त | गया है : "किन्तु महन्त |
| ,, | २६ | जाय। | जाय।" |
| ३१८ | २० | इन तहसली हैड | इन तहसील हैड |
| ३२६ | २६ | रिलीजियस इन्स्ट्रीट्यूशन | रिलीजियस इन्टीट्यूशन |
| ३४६ | २१-२२ | whethrr it should | whether it should |
| ,, | २३ | in psrtions | in portions |
| ३४८ | १० | Conditien | Condition |
| ,, | २६ | the princciple of | the principle of |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ३६८ | १३ | द्रस्ट एक नोमीनेटेड सरकार | ट्रस्ट एक नोमीनेटेड सरकार |
| ३७० | २७ | areas in those bays | areas in those days |
| ३७१ | ६ | जाते हैं और ये | जाते हैं और वे |
| ३८४ | ३ | सब वर्ष में साफ | सब वर्षों में साफ |
| ,, | अन्तिम से ६वीं | माननीय कक्षाओं को | माननीय वक्ताओं को |
| ३८५ | १ | नगर पुधार विधेयक | नगर सुधार विधेयक |
| ,, | १४-१५ | between among themlelves | between themselves |
| ३९४ | २ | जो मैं समझता हूं | तो मैं समझता हूं |
| ३९५ | ४ | is a miniaure of | is a miniature of |
| ४०१ | २९ | ज पुर की माननीय | जयपुर की माननीय |
| ४१३ | ८ | (राजस्वमंत्र) | (राजस्व मंत्री) |
| ४१७ | २ | (श्री मानसिंह) | (श्री श्रीमानसिंह) |
| ,, | १४-१५ | "beause lack of funds and abandoued areas" | "because lack of funds and abondoned areas" |
| ४१९ | अन्तिम से ३ | कोई आग्यूमेंट नहीं | कोई आग्युमेंट नहीं |
| ४२० | अन्तिम | Permisoisn is given | Permission is given |
| ४२१ | ५ | Rajsthan Urban | Rajasthan Urban |
| ,, | २० | 8. Smt. Pradha Mishra | 8. Smt. Prabha Misra |
| ४२५ | अन्तिम से ४ | इसे स्पिलिट अप | इसे स्प्लिट अप |
| ४३० | १ | राजस्थान नगर सुधार विधेयक | सदन में पत्रादि वितरण |
| ४३२ | अन्तिम व उससे द्वितीय | good sence of<br>निष्कणार्थी सम्पत्ति से | good sense of<br>निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति से |